खण्ड-129, अंक-5
मंगलवार, 27 माघ, शक संवत् 1875
(16 फरवरी, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 129 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ फरवरी, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पान्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
निरजंनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल, सिंह श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकरशुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री

बालेन्दुशाह, महाराज कुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बालमीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुललतीफ़, श्री
मुहम्मद नवी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जायसवाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनाथभार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरूजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री

सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिचन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

सूचना विभाग की ओर से पत्रकारों का दौरा

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग की ओर से हाल ही में पत्रकारों का कोई दौरा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हुआ था?

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)—जी हाँ।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह दौरा किन-किन स्थानों में किया गया और इन पर क्या व्यय हुआ?

श्री राममूर्ति—यह दौरा हमीरपुर व झांसी जिलों में या उसके आस-पास स्थित अर्जुन डैम, रंगावां डैम, सपरार डैम और माताटीला डैम देखने के लिये किया गया था।

इस दौरे पर ४९८ रु० व्यय हुआ।

*३—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दौरों में पृथक २ कौन कौन पत्रों के प्रतिनिधि थे और कौन कौन से बाहर के आदमी थे?

श्री राममूर्ति—इस दौरे में केवल निम्न समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि गये थे:—स्टेट्समैन, टाइम्स आफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, पाइनियर और स्वतंत्र भारत। उन दौरों में बाहर का कोई आदमी नहीं था। परन्तु सूचना विभाग की ओर से कुछ अधिकारी व कर्मचारी गये थे।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन सरकारी कर्मचारियों में कोई वेटरिनरी के डाक्टर भी शामिल थे?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। डाक्टर की उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४९८ रुपये का व्यय जो बताया गया है उसमें जो सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हुई है उसका खर्चा शामिल नहीं है और सरकारी कर्मचारियों का, जो वहाँ गये थे, टी० ए० और डी० ए० भी शामिल नहीं है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सरकारी कर्मचारियों का टी० ए० और डी० ए० रूल के मुताबिक होता है और वह ऐसे खर्च में शामिल नहीं किया जाता। जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है वह इसमें शामिल है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जर्नलिस्ट ले जाये गये थे उसमें किन्हीं विशेष अखबारों के सम्वाददाता बुलाये गये थे या सबको उसके लिये सूचित किया गया था ?

श्री राममूर्ति--पहले दौरे में प्रदेश के सारे अखबारों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था लेकिन यह आखिरी दौरा था जिसका सवाल में जिक्र है । उसमें लखनऊ के ही चार अखबारों के सम्वाददाताओं को नगवा और जिन डैमों का जिक्र उत्तर में किया गया है उसको देखने के लिये बुलाया गया था और ले जाया गया था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग से निकलने वाले दैनिकों के सम्वाददाताओं को इसमें ले जाने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने आप से निवेदन किया कि आखिरी दौरा है और इस दौरे में यहीं के चार अखबारों के प्रतिनिधियों को ले जाया गया लेकिन जो दौरा गत वर्ष हुआ था उसमें इलाहाबाद के, बनारस के, कानपुर के और आगरा के विभिन्न पत्रों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या यह बताने की कृपा की जायेगी कि ये पत्रकार लोग वहाँ किस उद्देश्य से गये थे और उन्होंने अपना इम्प्रेशन इन डैम्स को देखने के बाद मंत्री जी को क्या दिया था ?

श्री राममूर्ति--यह जो पत्रकार गये थे वह इसलिये ले जाये गये थे कि सरकार के जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं कैनाल्स और इरीगेशन के सिलसिले में उनको देखें और देखने के बाद उनको, लोगों को, बतावें, ताकि जनता भी जान सके। उसमें जो लोग गये थे उन्होंने अखबारों में जिक्र किया, आर्टिकिल्स भी लिखे। माननीय सदस्यों ने उन्हें देखा भी होगा। जो परपज़ था जिसकी वजह से यह दौरा किया गया था उसमें कामयाबी भी हुई।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस दौरे में किसी उर्दू अखबार के नुमाइन्दा साहब नहीं गये थे ?

श्री राममूर्ति--जी हाँ थे। उर्दू के भी थे और हिन्दी के भी थे। सभी के थे।

श्री सीताराम शुक्ल--लेकिन आज जो सुनाया गया है उसमें तो नाम नहीं है ?

श्री राममूर्ति--आखिरी दौरे में उर्दू समाचार-पत्र के सम्वाददाता नहीं गये थे लेकिन जो पहले दौरे हुये थे उनमें गये थे।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी सदन के सदस्यों को भी, जो सरकार ने काम वहाँ पर किये हैं जहाँ पत्रकार गये थे, उन्हें दिखलाने की व्यवस्था करेंगी ?

श्री राममूर्ति--इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस टूर में कितना माइलेज कवर हुआ, और वह किस तरीके से हुआ, आया रेल द्वारा या मोटर द्वारा ?

श्री राममूर्ति--यह तो बताना मुश्किल है कि कितना माइलेज कवर हुआ लेकिन पूरा दौरा मोटर के जरिये से किया गया।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें हिन्दी अखबारों के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं निमंत्रित किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने आप से निवेदन किया कि यह चौथा आखिरी दौरा हुआ और काम जल्दी में करना था इसलिये लखनऊ के हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख पत्रों के, प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया गया लेकिन इसके पहले जो दौरे हुये उनमें हिन्दी के प्रायः सभी पत्रों के प्रतिनिधि थे।

फ़तेहपुर जिले के उत्तरार्द्ध में सिंचाई के साधन

*४—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के उत्तरार्द्ध में सिंचाई के क्या-क्या साधन हैं ?

श्री राममूर्ति—इस समय फतेहपुर जिले के उत्तरार्द्ध में सरकारी सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं।

*५—श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या सरकार उस उत्तरार्द्ध में ट्यूबवेल बनवाने की कोई योजना तैयार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—फतेहपुर जिले में पंचवर्षीय अथवा पंद्रह वर्षीय योजना में सरकारी ट्यूबवेल बनवाने का तो कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार से उनकी अन्वेषणात्मक नलकूप योजना के अन्तर्गत चार अन्वेषण नलकूप बनाने की सिफारिश की है और सरकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत १९५३-५४ में इस जिले में कुछ नल कूप निर्धारित करने का विचार किया जा रहा है। यदि उक्त उत्तरार्द्ध के काश्तकार सहकारी समिति बनाकर जिलाधीश फतेहपुर को प्रार्थनापत्र देंगे तो वे उस पर विचार करेंगे।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि फतेहपुर जिले के उत्तरार्द्ध में सिंचाई के कोई साधन न होने पर भी सरकार ऐसे क्षेत्र के लिये सिंचाई की कोई योजना क्यों नहीं तैयार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो मैंने आप से निवेदन किया कि वहाँ के लिये सरकार नलकूप योजना पर विचार कर रही है और कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स पर भी विचार कर रही है। वहाँ के काश्तकार अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं।

*६—श्री अनन्त स्वरूप सिंह—[स्थगित किया गया।]

मेरठ में अदालती नोटिस और सम्मनों का समाचार पत्रों में प्रकाशन

*७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि मेरठ जिले की दीवानी अदालतें मेरठ में प्रकाशित किन-किन समाचार-पत्रों को किस नीति के आधार पर अपने नोटिस या सम्मन आदि छपने को देती हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मेरठ जिले की दीवानी अदालतें अपने नोटिस और सम्मन, यदि फरीकैन मेरठ जिले के निवासी हैं, तो बारी-बारी से निम्नलिखित समाचार-पत्रों को छपने के लिये देती हैं :—

(१) दि लाइट हाउस
(२) दि संडे टाइम्स
(३) दि पंचायत राज
(४) दि इंडियन सीन
(५) दि प्रभात
(६) दि पब्लिक, मेरठ

इनके अलावा नोटिस और सम्मन फरीकैन के निवास क्षेत्र में प्रचलित समाचार-पत्रों में छापने को दिये जाते हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी उक्त जिले की अदालतों को यह हिदायत जारी करने की कृपा करेंगे कि सम्मन व नोटिसों के देने में उन अखबारों को ही प्रायरिटी दी जाय जो ज्यादा तादाद में छपते हैं ?

श्री सैयदअली जहीर--यह मामला तो उन्हीं अदालतों की राय पर रहता है कि किन अखबारों में वह सम्मन छपने के लिये देना मुनासिब समझती हैं। उसके लिये कोई हिदायत यहाँ से भेजना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा।

*८-१० श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[१६ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

मादक द्रव्य निषेध प्रचारकों की नियुक्ति

*११--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस-किस जिले में मादक द्रव्य निषेध के प्रचारक काम कर रहे हैं और उनको कितना-कितना (Honorarium) आदि दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--प्रचारकों की नियुक्ति जिलों में नहीं बल्कि रीजन्स में की गई हैं। इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर, मेरठ, लखनऊ और बनारस रीजन्स में एक एक मद्यनिषेध प्रचारक नियुक्त हैं। गढ़वाल जिले के लिये एक प्रचारक अलग है। इनके अलावा अभी फरवरी में बनारस, मेरठ, इलाहाबाद रीजन्स में आठ-आठ, कानपुर रीजन में ९, फर्रुखाबाद रीजन में ४ और लखनऊ रीजन में ३ प्रचारक नियुक्त किये गये हैं। हर एक प्रचारक को ५० रुपया माहवार आनरेरियम (Honorarium) मिलता है।

*१२--श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रचारकों के काम की कौन निगरानी करता है और क्या वह अपने कार्य की डायरी रखते हैं तथा किसी अफसर को हफ्तेवार रिपोट देते हैं ;

श्री सैयद अली जहीर--जिला इक्साइज अफसर और Social Uplift and Prohibition Officer इन प्रचारकों के काम की निगरानी करते हैं। प्रचारक अपने काम की डायरी रखते हैं और हर महीने की पहली और सोलहवीं तारीखों को अपने काम की रिपोर्ट जिला इक्साइज अफसर के जरिये Social Uplift and Prohibition Officer के पास भेजते हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार इन प्रचारकों को सफर खर्च भी देने की कृपा करेगी ?

श्री सैयदअली जहीर--इस वक्त कोई ऐसा विचार सरकार का नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इनमें कितने प्रचारक हरिजन हैं ?

श्री सैयदअली जहीर--इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--क्या यह सही है कि कुछ प्रचारक रायबरेली जिले में शराब पीने के अभियोग में पकड़े गये और मुअत्तल किये गये ;

श्री सैयदअली जहीर--इसका तो कोई ताल्लुक इस जवाब से नहीं है ? लेकिन अगर आप जानना चाहें तो मैं दरियाफ्त करके बतला सकता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रचारकों के द्वारा नशा निषेध कार्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री सैयदअली जहीर---इसका जवाब सहल तो है नहीं मगर जैसा कि मैं इस विधान सभा के सामने कई दफा बतला चुका हूं कि इसके लिये मैंने कुछ सवालात जारी किये थे। उनके जवाबात आ गये हैं। वह जवाबात अब मुरत्तब किये जायेंगे और गालिबन जब बजट का मामला आयेगा उस वक्त मैं इसके ऊपर रोशनी डाल सकूंगा।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फैजाबाद किस रीजन में आता है ?

श्री सैयदअली जहीर---इलाहाबाद रीजन में आता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इन प्रचारकों के बावजूद भी शराब की खपत इन जिलों में हर साल बढ़ती जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं यह तो नहीं कह सकता कि बढ़ती जा रही है या नहीं लेकिन यह मालूम है कि हमारी आमदनी घटती जा रही है।

मुरादाबाद के नलकूप विभाग में ग़बन

*१३---**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)---क्या यह सच है कि जिला मुरादाबाद के नलकूप विभाग में कुछ गबन हुआ है ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं।

*१४---**श्री महीलाल**---यदि हां, तो यह गबन कितनी धनराशि का हुआ और उसका उत्तरदायित्व किन-किन राजकर्मचारियों पर है ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में यह बात बतला दूं कि ट्यूबवेल के मुहकमें में तो कोई गबन था नहीं, लेकिन एक डींगरपुर सबडिवीजन है, उसमें मिस्टर जौहरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुरादाबाद हैं। उनके जांच करने से पता चला कि वहां पर कोयला इंटें, लकड़ी और टीन की कमी पड़ गयी थी। उसकी जांच करायी गयी है और अभी रिपोर्ट नहीं आयी है। जब रिपोर्ट आ जायगी तब उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष---क्या इसको आप पहले उत्तर में ही सम्मिलित करना चाहते हैं? अगर ऐसा हो तो कृपा करके लिख कर भेज दें कि उसमें सम्मिलित कर दिया जाय।

श्री राममूर्ति---यह पहले में नहीं है। मैंने माननीय सदस्य की सूचना के लिये कह दिया।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि कितने रुपये का कोयला और ईंटें कम हो गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि इस विषय में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कमेटी जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट आ जाने पर ही कुछ ठीक-ठीक बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---मुझे थोड़ी सी कठिनाई इसमें हो रही है। यह प्रश्न जो पूछा गया मैं समझ नहीं पाया कि आखिर जो उत्तर दिया गया वह पूरक सवाल था। यानी वह तो पहले आ जाना चाहिये। बगैर इसके कैसे होगा? आप दूसरा प्रश्न इस बारे में पूंछें तब तो यह पूरक

प्रश्न हो सकता है कि गबन कहां हुआ या शिकायत कहां पर हुई। इसके बारे में जब तक आपका प्रश्न नहीं है तब तक मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि यह कार्यवाही में शामिल हो। आप फिर से प्रश्न पूछें।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो हानि सरकार को वहां की गयी वह किसके द्वारा की गयी और किस जानकारी के आधार पर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी बैठायी गयी ?

श्री अध्यक्ष—आप समझे नहीं। आपके सामने प्रश्न १३ का उत्तर है "जी नहीं" और १४ का उत्तर है "प्रश्न ही नहीं उठता"। इसके ऊपर आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं। उस पर नहीं करना है जो सूचना अलग से मंत्री जी ने दी थी वह खत्म हो गयी।

***१५-१६—श्री केशव पाण्डेय** (जिला गोरखपुर) [वापस लिये गये]

***१७—श्री कल्याण चन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया।

जौनपुर जिले में नलकूपों की संख्या

***१८—श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में अभी तक कुल कितने नलकूप लग चुके हैं और कितने बाकी हैं ?

श्री राममूर्ति—उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये स्वीकृत २०० नलकूप योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले में २५ राजकीय नलकूप लगाने का आयोजन है। इसमें से ४ नलकूप लगाये जा चुके हैं और दो पर कार्य जारी है। उचित भूस्तर प्राप्त होने पर शेष नलकूपों पर भी कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त टी० सी० ए० १९५३ की २८० नलकूप योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर जौनपुर में ५५ नलकूप और लगाने का प्रस्ताव है।

१९५२-५३ सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत भी १२ सहकारी नलकूप इस जिले में बनाने की योजना है परन्तु बोरिंग रिंग खाली न होने के कारण इनका निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५५ नलकूप लगाने का प्रस्ताव था उसके लिये भारत सरकार की स्वीकृति कब तक मिलने की आशा है।

श्री राममूर्ति—भारत सरकार की स्वीकृति आ गयी है और बजाय ५५ नलकूप के ४५ मंजूर हुये हैं। १० काट दिये गये हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन नलकूपों का निर्माण-कार्य बोरिंग रिंग के खाली न होने के कारण प्रारम्भ नहीं हुआ है, उसको कब तक दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—जैसे ही खाली हो जायगी काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जितने नलकूप जिले की आवश्यकता को देखते हुये दिये गये हैं तो क्या सरकार पंचवर्षीय योजना में और नलकूप लगाने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जौनपुर जिले में जितने नलकूप दिये गये हैं उनके अलावा वहां नहर की भी योजना हो रही है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि इस जिले के लिये पानी की कमी नहीं रहेगी ।

जौनपुर जिले में गोमती नदी के उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई की योजना

*१९--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में जो क्षेत्र गोमती नदी के उत्तर में है उसमें किस तरह की सिंचाई की योजना बनायी गयी है ?

श्री राममूर्ति--इस क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सिंचाई करने की योजना बनायी गयी है। ट्यूबवेल प्रोग्राम में जौनपुर जिले के लिये ८५ नलकूप रक्खे गये हैं। इनमें से ३० नलकूप जिनका सर्वे हो रहा है गोमती नदी के उत्तरी क्षेत्र में बनाने की सम्भावना है। नलकूपों की ठीक-ठीक संख्या सर्वे के पश्चात् इस क्षेत्र की उपयुक्तता पर निर्भर होगी।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन ८५ नलकूपों के कब तक पूरा होने की आशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पंचवर्षीय योजना की तिथि के पूर्व ही।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के किस क्षेत्र में नहर की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक तो वह हिस्सा है जो प्रतापगढ़ के पट्टी स्थान से मिला हुआ है। उधर से नहर जायगी और जौनपुर टाउन से ५-६ मील की दूरी से निकलेगी और दूसरी योजना मड़ियाहूं की है जिसकी ओर माननीय सदस्य का इशारा है।

मौजा कोड़रामादूपुर, जिला प्रतापगढ़ में बांध का पुनर्निर्माण

*२०--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि मौजा कोड़रामादूपुर, तहसील व जिला प्रतापगढ़ में पानी के बहाव को रोकने के लिये बना हुआ एक बहुत पुराना पुख्ता बांध अब टूट गया है ?

श्री राममूर्ति--जी हां ।

*२१--रामअधार तिवारी--यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त बांध के पुनर्निर्माण पर विचार कर रही है

श्री राममूर्ति--जी हां।

श्री रामअधार तिवारी--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध का निर्माण-कार्य सन् १९५४ ई० के अन्त तक समाप्त हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--कार्य शुरू हो गया है। आशा तो की जाती है कि हो जायगा ।

*२२--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--[स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

पहाड़ी व मैदानी नहरों से सिंचाई का रेट

१—श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहराद्दून)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पहाड़ी नहरों और मैदान की नहरों पर समान रूप में कर लागू है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल जिलों में अभी तक कुल ११२ मील नहरें बनी हैं। ये नहरें प्रयोगात्मक रूप में बनायी गयी थीं और उन पर सिंचाई रेट लगाने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

देहरादून जिले की यमुना स्कीम का कार्य

२—श्री नरदेव शास्त्री—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहराद्दून जिले की यमुना स्कीम का कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—यमुना स्कीम का काम पन्द्रह वर्षीय योजना के दूसरे दौर में १९५९-६० तक चालू होने की उम्मीद है।

देहरादून जिले में सौंग नदी के पुल का निर्माण

३—श्री नरदेव शास्त्री—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहराद्दून जिले में सौंग नदी का पुल कब तक बन सकेगा ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—यह पुल पंचवर्षीय योजना में नहीं है लेकिन तब भी सरकार इस पुल को जल्दी बनवाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह पुल कब तक बन सकेगा ?

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२९-३३० पर।)

सार्वजनिक लेखा समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का प्रश्न

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—पहले इसके कि हम वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद शुरू करें, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपकी व्यवस्था लेना चाहता हूं। इस सदन द्वारा एक पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी बनायी गयी थी, जिसका चेयरमैन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से अपोजीशन का है। जितनी कमेटीज इस हाउस से बैठायी जाती हैं उन कमेटियों के चेयरमैन ही अपनी अपनी कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश करते हैं। हमारी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय बिलकुल तैयार है सिर्फ इस बात की दिक्कत अब पड़ रही है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को इस सदन के सामने कौन पेश करेगा। जितनी इस सदन की और भी कमेटीज हैं, जैसे प्रिविलेज कमेटी है, पेटीशन कमेटी या सेलेक्ट कमेटी हैं उनकी रिपोर्ट चूंकि उनके चेयरमैन सरकारी पक्ष के होते हैं तो वह उसे पेश कर ही देते हैं। क्योंकि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का चेयरमैन मैं हूं और मेरी रिपोर्ट तैयार है। दिक्कत इस बात की हो रही है कि इस बजट सेशन के पहले कैसे वह पेश हो। क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और सन् १९५०-५१ के एकाउन्ट्स पर यह रिपोर्ट हमने तैयार की है और अगर वह अब पेश नहीं होती है तो पुरानी हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस कमेटी की मियाद भी खत्म हो जाती है ३१ मार्च को। तो हम चाहते

यह है कि उसको साल खत्म होने के पहले हम इस सदन के सामने पेश करें । आप मुझे यह मौका दीजिय कि मैं अपनी कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश कर सकूं और जो कमेटी ने मुझे सुझाव दिये हैं उन बातों को सदन के सामने रखूं । कोई दूसरा उस कमेटी की रिपोर्ट को पेश नहीं कर सकता है जब तक चेयरमैन यहाँ पर हाजिर हैं । इस पर आपकी आज्ञा चाहता हूं और व्यवस्था भी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय उपाध्याय जी से कहूंगा कि यह बात पहले-पहल उन्होंने मेरे सामने अभी रखी और सदन में एक दम रख दी । यद्यपि इन कमेटियों से मेरा काफी सम्बन्ध रहता है और कमेटियों की जो कार्यवाही होती है वह किस तरह से हो, क्या हो उसके सम्बन्ध में बीच बीच में मुझसे पूछा भी जाता है । तो यह उचित था कि वह मुझे इस सम्बन्ध में पहले बतला देते और मैं अपने चैम्बर में कमरे में ही उनमें पूछ कर कि क्या निर्णय में सदन में ही दूं, निर्णय दे देता । क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वहां भी बात हो जाती है और निर्णय यहां पर आकर देता हूं । तो मैं पहले उपाध्याय जी से बातचीत कर लूं और फिर इस विषय में जो नियम है वह अध्ययन करने के बाद मैं अपनी राय दूं, क्योंकि यह नया प्रश्न है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--तो मैं कल तक आशा करूं कि आपका निर्णय मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष--परसों मैं इसके ऊपर निश्चित राय दे दूंगा ।

१९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य वाद-विवाद शुरू होगा ।

श्री राम नाराण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, यह इस साल का सरकार द्वारा उपस्थित दूसरा अनुपूरक बजट है । दिसम्बर में २,७२,७८,८०० रुपये का एक अनुपूरक बजट उपस्थित किया था और दो महीने बाद यह ६,७१,६६,६०० रु० का दूसरा अनुपूरक बजट उपस्थित कर दिया । इस प्रकार सरकार ने ९,४४,४५,४०० रु० अनुपूरक बजट के द्वारा विधान सभा की राय के बिना खर्च कर लिया ।

अध्यक्ष महोदय, यह एक विवाद-पूर्ण बहस है कि जब किसी स्टेट में डेफिसिट का बजट चल रहा है और ७८ करोड़ के बजट में करीब साढ़े नौ करोड़ रुपया विधान सभा की राय के बिना सरकार खर्च कर ले, यह कहाँ तक मुनासिब है ? और अध्यक्ष महोदय, परसेंटेज लगाने से यह रकम पूरे बजट की साढ़े बारह परसेंट के करीब पड़ती है । पहला बजट जो सन् १९५३-५४ का पेश किया गया था उसमें ४ करोड़ का डेफिसिट था । एक तरफ तो बजट में ४ करोड़ का डैफिसिट और उसके बाद सरकार बिना विधान सभा के सदस्यों की राय के साढ़े नौ करोड़ रुपया और खर्च कर दे । इस तरह से हमारे सदन के सामने साढ़े तेरह करोड़ रुपये का प्रश्न उपस्थित हो जाता है । अगर सरकार यह कहती है कि हमारे बजट जो डेफिसिट पेश होते हैं, इन में हम उनकी आमदनी और खर्च बराबर कर देते हैं, शुरू में केवल डेफिसिट बजट पेश कर देते हैं, तो अध्यक्ष महोदय, यह भी अपनी जगह पर बहुत निश्चित बात है कि ७८ करोड़ के बजट में अगर सरकार साढ़े तेरह करोड़ के खर्च का हिसाब किताब पूरा नहीं कर देती है तो बजट के आँकड़े और तखमीने जो पेश किये जाते हैं, ये डिटेल्स जो पेश किये जाते हैं उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं । एक प्रश्न तो यह उपस्थित होता है और दूसरे हर एक सप्लीमेंटरी बजट के बारे में यह एक सर्वमान्य सिद्धांत सा है कि ऐसी ही मदें इस बजट में पेश होनी चाहियें जो कि अनफोरसीन हों, जिनको कि सरकार पहले कभी न सोच सकी हो । अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी गौर से

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अध्ययन करने के बाद हिसाब लगाया तो पाया कि इस रकम की ६० प्रतिशत रकम ऐसी है, जो पिछले सप्लीमेन्टरी बजट में आ सकती थी या मूल बजट में आ सकती थी और उसके बावजूद भी सरकार हर जगह दावा करती है कि यह सब अनफोरसीन सर्कमस्टांसेज़ हैं, यह बहुत अनुचित है। मैं सदन का ज्यादा समय इस सम्बन्ध में नहीं लेना चाहता, क्योंकि ६० फीसदी हिसाब का मामला है। इसमें कई घंटे लग जायेंगे। लेकिन नमूने के तौर पर सरकार के सामने मैं ग्रांट नं ७, १२, १६, १७, ३२, ४०, ४३ और ५२ रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के लिये नितान्त अनुचित है कि इस किस्म से इस बात का वह गर्व करती है कि चूंकि विधान सभा में सरकारी दल के सदस्य बहुत ज्यादा हैं इसलिये चाहे उचित या अनुचित कुछ भी बात करे, बजट तो पास हो ही जायगा। इसलिये वह फाइनेंस के सर्वमान्य सिद्धांतों का भी उल्लंघन करने पर तैयार हो जाती है। मैं कुछ अब अनुदानों की टीका टिप्पणी करूंगा।

अनुदान संख्या १२, यह सेक्रेटेरिएट के संगठन के संबंध में सामान्य प्रशासन का अनुदान है। इस अनुदान की भी भावना सरकार की वह भावना है जिसके मातहत मुख्य मंत्री पं० गोविंद बल्लभ पंत ने तमाम सरकारी विभागों से एक बचत आँदोलन करने की कोशिश की। कितनी जल्दी-जल्दी में और किस प्रकार से बचत आँदोलन किया जा रहा है, इसका नमूना मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ आदमियों की कमी नहीं। केन्द्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि बेरोजगार लोगों के आँकड़े इकट्ठे किये जायं और सबको सामूहिक रोजी देने की व्यवस्था की जाय, लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारी उस बचत योजना में किस किस्म के लुत्फ का नमूना उपस्थित कर रहे हैं, उसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। हमारे सेक्रेटेरिएट में बचत आँदोलन चलाया गया। बार बार हमारी तरफ से यह कहा गया कि बड़े बड़े ऊंचे अफसरों की तनख्वाहें घटायी जायं। सेक्रेटरियट का रिआर्गेनाइजेशन किया जाय। हमारा यह निश्चित दावा है कि जितने आदमी सेक्रेटरियट में जरूरी हैं उनसे इस समय ज्यादा आदमी हैं। मैं पंडित जवाहर लाल के शब्दों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हमारे सेक्रेटरियट के कर्मचारियों की मनोभावना अपने को सेल्फ मल्टीप्लाई करने की है। उसका ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। सेक्रेटरिएट के बचत आँदोलन में बड़े बड़े तो बच जाते हैं लेकिन चपरासी की काट छांट, टेम्पोरेरी आदमियों की काटछांट होती है। बेचारे स्टेनोग्राफर्स पर तो विशेष कृपा होती है। हमेशा ये गरीब लोग मारे जाते हैं। चूंकि हमारे देश में आदमियों की कमी नहीं है इसलिए उसके प्रापर यूटिलाइजेशन की समस्या है। अब इस सप्लीमेन्टरी बजट में एक रेक्स रिकार्डर डिक्टेटिंग ऐंड ट्रांसक्राइबिंग मशीन जो २१०० रु० की मिलती है, मंगाई गयी है, जो कि स्टेनोग्राफर को रिप्लेस कर सके। यह कहा जाता है कि इससे स्टेनोग्राफर कम हो जायेंगे। एक तरफ तो गवर्नमेंट अनइम्प्लायमेंट को हल करने की योजना बना रही है और दूसरी तरफ अनइम्प्लायमेंट को इस तरह से बढ़ाना चाहती है। इसमें एक बड़ा व्यापक प्रश्न छिपा है। सरकार केन्द्रीयकरण के आधार पर संगठन हर मुहकमे में रखना चाहती है। उसको मशीन युग नहीं लाना चाहिये। सरकार इस विषय में जो महात्मा गाँधी की नीति का दावा करती है, केन्द्रीयकरण के बजाय विकेन्द्रीकरण का दावा करती है, वही सरकार मशीनें लाकर मनुष्यों के काम को छीनना चाहती है, यह उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारी पार्टी की ओर से बराबर सुझाव दिये गये।

मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं। मैंने यह सुना है कि ऐग्रीकल्चर विभाग के लोगों ने, अपने बचत आँदोलन में पटने का आलू जो मंगाया जाता था, उसको काट दिया है। पटने से आलू मंगा करके उससे फायदा भी होता था और उससे लोगों को अच्छा बीज भी मिल जाता था लेकिन आलू मंगाना बन्द किया जा रहा है। खाद मंगाना कम किया जा रहा है।

दूसरे अनुदान संख्या १६, जेलों के सम्बन्ध में है। इस मद में १४ लाख ९२ हजार ७ सौ रुपये की माँग की गयी है। जब हमारी तरफ से यह कहा गया कि यह सही है कि कुछ डाकुओं को पकड़ा जा रहा है, कुछ क्राइम्स कम किये जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यह प्रश्न उठता है कि क्या पहले से क्राइम्स कम हैं तो हमेशा सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि विरोधी दल झूठा आक्षेप करता है। लेकिन इस अनुदान पर अगर आप गौर करें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ गयी, हवालातियों की संख्या बढ़ गयी, यहाँ तक कि कसेया और देवरिया में प्रतिमास ९,९३५ कैदी वहाँ की हवालातों में रखे गये हैं। ऐसी हालत में सरकार का यह दावा कि क्राइम्स कम हो रहे हैं बिल्कुल झूठा है जो बजट के आँकड़ों से साबित होता है।

२१ नवम्बर का अनुदान कुम्भ मेले के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सदन में काफी वादविवाद हुआ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--प्वाइंट आफ आर्डर सर, मेरे दोस्त तकरीर फरमा रहे थे जिसके दरमियान उन्होंने कहा कि सरकार का दावा झूठा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि लफ्ज "झूठा" का कहना इस हाउस में पार्लियामेंटरी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--सत्य के लिए पहले कहा गया था कि जो सत्य नहीं है वह असत्य है। दावा झूठा है, इसका मतलब यही होता है कि यह करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा है कि उनका कहना झूठ है। इसलिए पार्लियामेंटरी हो जाता है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, कुम्भ मेले पर बहस के समय सरकारी दल की तरफ से विरोधी दल के ऊपर यह आक्षेप लगाया गया कि विरोधी दल अपना मनःसंतुलन खो बैठा है लेकिन माननीय गृहमंत्री ने जो भाषण दिया था वह काफी आपत्तिजनक था। एक इतनी जबर्दस्त बात माननीय गृह मंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने कही कि इससे पहले कुम्भ मेले में दस बारह लाख से ज्यादा आदमी उपस्थित नहीं हुए। लेकिन हमारे इसी बजट में लिखा है कि १९४२ के कुम्भ मेले में १२ लाख आदमी थे। १९४८ के अर्द्ध कुम्भ में ३० लाख आदमी थे और १९५४ के कुम्भ में ५० लाख आदमी थे। इस तरह से प्रदेश के गृह मंत्री इतनी बड़ी भूल कर दें यह बड़े अफसोस की बात है, यद्यपि बार-बार बड़े-बड़े लाँछन विरोधी दल के लोगों पर डाले गये। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

कृषि सम्बन्धी विकास और खोज के सम्बन्ध में २२ नम्बर का अनुदान है। रहीमाबाद ऊसर रिक्लेमेशन के लिये थर्मल पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। हमारी सरकार दावा करती है कि उसकी विकास योजना बहुत अच्छी और सुनियोजित है। अभी इस सदन में कई मर्तबा प्रशंसात्मक रूप से कहा गया है कि सारदा पावर स्टेशन जून, १९५४ में काम करना शुरू कर देगा। ऐसी सूरत में ऊसर रिक्लेमेशन के सिलसिले में जो थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिये ७ लाख रुपया सरकार ने दिया है वह बिलकुल बेकार है। थर्मल पावर स्टेशन बनाने से क्या लाभ है जब वह उसी लाइन पर है जो सारदा प्रोजेक्ट से लखनऊ को आती है। सन् १९५४ में सारदा प्रोजेक्ट भी तैयार हो जायगा और जून, जुलाई या अगस्त में थर्मल पावर स्टेशन भी बन जायगा। तो इस तरह से जनता का रुपया बरबाद किया जाता है। उस पर भी दावा किया जाता है कि फाइव ईयर प्लान बहुत ही सुनियोजित है।

उसके बाद २९ नम्बर का अनुदान कर्घे और चर्खे के सम्बन्ध में ९,९९,६०० रुपये का है। यह चर्खे और कर्घे का आँदोलन भी एक विचित्र बात है। सरकार की तरफ से सन् १९४६ से आज तक जो कार्यवाहियाँ हो रही हैं, आपको मालूम होगा कि खादी के कपड़े में तीन आने छूट मिलती है और कर्घे के कपड़े में छः पैसे से दो आने तक। यह समस्या का हल नहीं है। इसके लिये डिसेंट्रेलाइजेशन आफ इंडस्ट्री करना पड़ेगा, जैसा कि महात्मा गाँधी ने बताया था। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज पंडित जवाहर लाल नेहरू का हाथ

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कौन रोक सकता है ? आज प्रदेश में मुख्य मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत का कौन हाथ रोक सकता है ? काटन मिल्स पर पाबन्दी लगायी जाय कि ४० नम्बर सूत के ऊपर ही मिलें कपड़ा बुन सकती हैं और जो रोजाना के इस्तेमाल का कपड़ा है उसे मिलें न,बनायें। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती। वह जमाना मुझे याद है, शायद आपको भी याद हो, जब विलायती कपड़ों की होली जलायी जाया करती थी। आज अपनी सरकार है फिर भी विलायती कपड़े के आने पर कोई रोक नहीं है। अरबों रुपया स्टार्लिंग बैलेन्स के रूप में लिप स्टिक और फारेन माल पर खर्च कर दिया गया। कौन कांग्रेसी सरकार को आज रोकता है कि विलायती कपड़े पर पाबन्दी लगा दे या मिलों पर पाबन्दी लगा दे ? चर्खे के ऊपर कुछ लाख रुपया दान दे देना और मिल के ऊपर कोई प्रतिबन्ध न लगाना इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। मिल मालिकों की थैलियों में कमी न हो और बुनकरों और गरीबों को कुछ रुपया दान में देकर दोनों को एक साथ लेकर गवर्नमेंट जो एक जाल रचना चाहती है और इलेक्शन में दोनों का वोट हासिल करना चाहती है यह कोई समस्या का हल नहीं है। करघों की समस्या को हल करने के लिये एक ठोस और क्रांतिकारी कदम उठाना होगा और मामूली दान से काम नहीं चल सकता।

अनुदान संख्या ३६ में २ लाख रुपया माँगा गया है। सरकार को मालूम है कि हजारों की संख्या में मकान बह गये और फसल को नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस को लिखा कि जितने रुपये की आवश्यकता हो उतना खर्च करो लेकिन उन्होंने एक जिले में ५ से १० हजार रुपये ही खर्च किया और किसी को ५ और किसी को ७ रुपये दिये। इससे कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। जहाँ हजारों की संख्या में मकान बह गये हों वहाँ फी मकान २५,३० रुपये पुर्ननिर्माण के लिये दिये गये। अगर एक करोड़ रुपया भी माँगा जाता तो हम देने के लिये तैयार थे लेकिन जहाँ जनता के हित की बात होती है वहाँ सरकार रुपया माँगना नहीं चाहती। फिर १८६४ के फेमिन रिलीफ ऐक्ट की दुहाई दी जाती है। टेस्ट वर्क्स शुरू किये गये। उनमें १५० क्युबिक फुट मिट्टी निकालने पर आदमी को ८ आने और औरत को १०० क्युबिक फुट मिट्टी खोदने पर ७ आने दिये जाते हैं। लेकिन अगर कोई तीन चार घंटे में १०० क्युबिक फुट मिट्टी निकाल देता है, तो उसको मजदूरी नहीं दी जाती। कहा जाता है कि तुमको ५ बजे शाम तक बैठा रहना पड़ेगा। इसी से टेस्ट वर्क में कोई नहीं आता। एक तरफ तो सरकार न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार १॥) प्रतिदिन लागू करती है और दूसरी तरफ वक्त की पाबन्दी लगायी जाती है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट में १ रुपया २ आने प्रति मजदूर के हिसाब से दिया जाता है लेकिन यहाँ १८६४ के फेमिन रिलीफ ऐक्ट को ही लागू किया जाता है। लगभग १०० वर्ष बीत गये, वह क्या जमाना था जब वह ऐक्ट बना था। मंहगायी का सवाल केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये ही उठाया जाता है कि चीजों का मूल्य बढ़ गया है और रुपये की कीमत घट गयी है। लेकिन जब टेस्ट वर्क्स के मजदूरों का सवाल आता है तो उनको ८ आने ही दिये जाते हैं। इसीलिये टेस्ट वर्क्स फ़ेल हो गये।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ४० नम्बर के अनुदान की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें कई विविध व्यय हैं। जमींदारी उन्मूलन फंड को जमा करने के लिये यह १ करोड़ ५८ लाख की माँग की गई है। इस सम्बन्ध में हमारी जबान थक गयी कि जो सरकारी नीति है वह गलत है। अब तक केवल ३१ करोड़ रुपया वसूल हुआ है जब कि सरकारी कर्मचारियों से भाषण दिलाये गये, सभाओं का आयोजन कराया गया। तब भी यह आयोजन असफल हुआ। अभी दस दिन बाद मूल बजट आने वाला था। फिर इस समय इस रकम को इसमें लाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ? कौन से अनफोरसीन सर्कमस्टांसेज आ गये।

एक और अनुदान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को सहायता देने के बारे में है। जिस समय विरोधी दल की तरफ से यह दावा हो रहा था कि अधिकांश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को यह रुपया नहीं

दिया गया और अध्यापकों का आंदोलन चल रहा था उस समय हमारी सरकार ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ दो चार ऐसे बोर्डस हैं जिनको रुपया नहीं दिया गया। मैं इस स्मृति-पत्र के पेज ५५, आइटम नम्बर ३ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, उसमें यह लिखा हुआ है —"उस समय सरकार ने अध्यापकों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि जिला बोर्ड अध्यापकों को देय बकाया धनराशियों का भुगतान यथासंभव शीघ्र कर दें और भविष्य में भी अध्यापकों को नियमित समय पर वेतन मिल जाया करे।"

तदनुसार अध्यापकों को देय बकाया की धनराशि का पता लगाने के लिये नये आँकड़े इकट्ठा किये गये। प्राप्त रिपोर्टों से जैसा कि इस अनुपूरक बजट से स्पष्ट है, यह विदित हुआ कि ३१ मार्च और ३० जून, १९५३ ई० को क्रमशः २०.१५ लाख तथा ४१.१९ लाख रुपये की कुल धनराशियाँ बकाया थीं। यह भी मालूम हुआ कि थोड़े से जिला बोर्डों ने तो सरकार के आदेशों का पालन करके अध्यापकों की देय बकाया धनराशियों को चुका दिया है, परन्तु अधिकांश जिला बोर्डों द्वारा बकाया धनराशियों की काफी बड़ी रकमें अभी चुकता करनी बाकी हैं।

एक तरफ सरकार का यह दावा है कि कुछ ही रकम बाकी है लेकिन ३१ मार्च को २०.१५ लाख रुपया बाकी था जिसकी कि अब व्यवस्था की जा रही है। उसके लिये काफी वक्त हो गया था उसकी व्यवस्था, पहले से ही होनी चाहिये थी लेकिन अब उसका प्रबंध किया गया है। लेकिन बावजूद इसके अध्यापकों की अब भी ३, ३ और ४, ४ महीने की रकम बाकी है और उनको रुपया नहीं मिला है और उनका वेतन वृद्धि का सवाल तो अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। जब कि प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी ने भी उनकी सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उस सवाल को खटाई में डाल रखा है।

अब मैं अनुदान संख्या ५२ पर आता हूं जिसमें ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण का जिकर किया गया है। मैं तो यह उम्मीद करता था कि हमारे यहाँ किसानों को और बुनकरों को तथा जिनके रोजगार बन्द हो गये हैं उनके लिए कुछ सुविधा होगी लेकिन उनके लिये कोई विशेष सहायता नहीं की गयी है। कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये सरकार सहायता तो करती है लेकिन उनसे १५ फीसदी सूद लेती है।

गोविंद शुगर मिल्स लिमिटेड, ऐरा, जिला लखीमपुर खीरी को सरकार ने ६ लाख रुपया ४॥ प्रतिशत की दर पर कर्ज दिया है और इसी बजट में सीमेंट की कंक्रीट सड़क बनाने के लिये बहुत सी सड़कों को अनुदान दिया गया है। पिछले साल ज्यादा गन्ना पैदा गया और केन्द्रीय सरकार ने शुगर की कीमत कम कर दी और मिलमालिकों को कुछ नकद रुपया सरकार ने दिया। केन सेस भी कम कर दिया गया। तो सरकार ने ज्यादा चीनी पैदा होने का मुनाफा उठाया और मिलमालिकों ने भी मुनाफा कमाया। अब किसान बेचारों को क्या मिला? अब अगर किसान इस बात का आंदोलन करते हैं कि उनके गन्ने की कीमत बढ़ायी जाय तो फिर यह कौन सी ऐसी बात है जो बहुत बेजा कही जा सके? लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह के आंदोलन को दबाया जाता है उनके रेट को १ रुपया ८ आने से भी कम रखा गया है। सरकार अपने यहाँ का गन्ना १ रुपया ९ आना ६ पा० पर देती है जो कि उनके यहाँ कोलोनाइजेशन स्कीम में पैदा होता है। अगर किसान १ रुपया ८ आने के लिये आंदोलन करते हैं तो फिर कौन सी बात है? यू० पी० केन फेडरेशन ने आंदोलन किया और सरकार को नोटिस दिया कि हम पहली फरवरी से बन्द कर देंगे। लेकिन सरकार ने तरह-तरह से प्रयत्न किया कि वह ऐसा न कर सकें और सरकार ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि इससे गड़बड़ हो जायगी। अगर किसान अपना आंदोलन करते हैं तो उसको दबाया जाता है और मिलमालिकों को सिमेन्ट की सड़क बनाने के लिये रुपया दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारी विधान सभा के सदस्यों के साथ

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

व्यवहार किया जाता है कि उनको पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया जाता है, ताकि वे वहाँ से पैदल चलकर अपने घर तक आवें। अभी श्री नारायण दत्त तिवारी को पकड़ कर उनको जंगल में छोड़ दिया गया ।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—वे मोटर पर गये थे ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—वापसी में पैदल चल कर आये थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर कोई अपनी मर्जी से चलकर आवे तो उसके अंदर क्या बात है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह अंग्रेजी जमाने का तरीका था जब कि हम और गृह मंत्री सभी इस प्रकार से छोड़े जाते थे। सरकार को इन तरीकों पर फख्र हो सकता है, लेकिन हमारी गर्दन तो शर्म से झुक जाती है। आज मिल मालिकों के लिये सरकारी साधनों का प्रयोग हो रहा है। तो हम कैसे इस नतीजे पर पहुंचने से रुक सकते हैं कि सरकार किसान, मजदूर और गरीब की समस्या हल करना नहीं चाहती। ऐसे सुधार करने में जिनसे मजदूरों, किसानों और बुनकरों को धोखा दिया जा सके सरकार हाफ हार्टेडली काम करती है। अगर सरकार का बहुमत है तो उसे और भी अधिक संभल कर चलना चाहिये। आज मौका है जबकि हमारी डेमोक्रेसी बचपन में है तो उसके सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यह सरकार को शोभा नहीं देता ।

७ प्रतिशत इस बजट के आँकड़े अनफोर्सीन नहीं हैं। इसको पहले आ जाना चाहिये था। इसी प्रकार से ७८ करोड़ के बजट में १३ १/३ करोड़ रुपया विधान सभा के सदस्यों की अनुमति के बिना खर्च करके सरकार उसको जबरदस्ती पास कराने का प्रयत्न कर रही है। यह बिलकुल अनुचित बात है।

महराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भारत की विधान सभाओं में सप्लीमेन्टरी बजट पेश किये जाते हैं, उससे तो कुछ ऐसा मालूम होता है कि राज-शासन चलाने के लिये सप्लीमेंटरी बजट पेश करना एक आवश्यक और साधारण सी बात हो गयी है। किन्तु वास्तव में सोचा जाय तो यह सप्लीमेन्टरी बजट प्रति वर्ष पेश करना एक गलत बात है। मुख्यतः सरकार का कार्य उस एक मूल बजट से चल जाना चाहिये जो सरकार अगले वर्ष के लिये पेश करती है। हां, शुरू-शुरू में अक्सर यह देखा गया कि जब कोई विशेष आपत्ति हो, लड़ाई फैली हुयी हो या मुख्य बजट पेश करने के बाद कोई आपत्ति आजाय जिससे मुख्य बजट के आंकड़ों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाय तो ऐसी हालत में सप्लीमेन्टरी बजट द्वारा सरकार अपनी नीति या जो परिवर्तित रूप में नीति हो उसे काम में लाने के लिये सप्लीमेन्टरी बजट पेश करती है। किन्तु जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह तो एक साधारण सी प्रथा बन गयी है कि सप्लीमेन्टरी बजट हर वर्ष पेश किया जाय। साधारण तौर से मूल बजट के ही आंकड़ों में काफी गुंजाइश रखी जाती है कि वर्ष का काम चल जाय और यह गुंजाइश हर अनुदान में होती है। मगर बावजूद इसके कि यह फाइनेंस का कानून है कि गुंजाइश रखी जाती है, फिर भी सारे भारतवर्ष में और हमारे प्रान्त की सरकार सप्लीमेन्टरी बजट पर ही निर्भर करती है। यह आवश्यक है कि हम जरा सोचें कि सप्लीमेंटरी बजट पेश करने का मुख्य लक्ष्य क्या है और इसके रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऐसा कोई मुख्य कारण अवश्य होना चाहिये जिसकी वजह से कोई अनफोरसीन ऐक्सपेंडीचर आ जाय। जैसे लड़ाई छिड़ जाय या अकाल पड़ जाय या इसी प्रकार का कोई और अनफोरसीन खर्चा आजाय तो उसको सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा मांग लेना कोई अनावश्यक बात न होगी। सप्लीमेंटरी बजट द्वारा खर्चों की पूर्ति के दो तरीके हैं। एक तो यह कि उसी अनुदान के अन्दर कुछ बचत हो और उस बचत का प्रयोग और कार्यों के लिये केवल नाम के लिये टोकिन ग्रांट

की मांग सदन के सामने रखी जाय, क्योंकि वह बचत दूसरे काम के लिये खर्च की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा लक्ष्य सप्लीमेन्टरी बजट के पेश करने का है वह यह है कि उसके द्वारा ऐसी मांगें पेश की जायं जिनकी कोई गुन्जाइश पहले बजट में न की गयी हो। यह अनुचित तरीका है, विशेषकर इसलिये कि चन्द ही दिनों के बाद अगले सालका बजट भी पेश किया जायगा। यह एक गलत बात समझी जाती है कि साल भर के लिये भी हमारी सरकार कोई सही तरीके का अन्दाजा न लगा सके।

अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी बजट के लिये सरकार की ओर से बहुत से कारण और जस्टीफिकेशन पेश किये गये हैं। पहला और सबसे बड़ा जस्टीफिकेशन यह रखा जाता है कि सप्लीमेंटरी बजट की मांग यह साबित करती है कि सरकार बहुत काम कर रही है। सरकार बहुत काम कर रही है या नहीं यह तो भविष्य दिखायेगा लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं सप्लीमेंटरी बजट की मांग एक ही बात को साबित करती है, चाहे उस खर्च की मांग जस्टीफाइड हो या न हो कि सरकार ने जितना पैसा बजट में मांगा था उससे अधिक या तो खर्च कर लिया है या अगले बजट के आने से पहले खर्च कर लेना चाहती है। लेकिन सरकार इसके विरुद्ध यह कहती है कि इससे यह साबित होता है कि सरकार ने बहुत काम किया है। इसमें मुझे कोई सार दिखायी नहीं देता और न मैं इसको समझ ही सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी बजट का मुख्य बजट के साथ एक अटूट संबंध होता है और इसको याद रखते हुए हमें देखना है कि इस सप्लीमेन्टरी बजट का हमारे प्रदेश के ऊपर, हमारे प्रदेश के फाइनेंसेज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? यह तो सरकार को मानना ही पड़ेगा कि हमारे मुख्य बजट में एक घाटा दिखाया गया था। सरकार ने उस घाटे को किस प्रकार से पूरा किया या भविष्य में किस प्रकार से उसे पूरा किया जायगा, यह इस समय हमारे सामने नहीं है, बहरहाल हमारी सरकार को यह जानना ही पड़ेगा कि सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा जो सरकार ने पैसे की मांग इस सदन से की है, उससे मुख्य बजट में जो घाटा था वह और भी बढ़ेगा। यह कहना कि इस सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा घाटा नहीं बढ़ेगा, एक गलत बात है। जब हम यह देखते हैं कि पिछले बजट में हमारे प्रदेश के कंसालीडेटेड फंड, रिजर्व फंड से रुपया सरकारी फार्मों और कुछ उद्योगों का काम चलाने के लिये लेना पड़ा था तो फिर इस सप्लीमेन्टरी बजट द्वारा उस घाटे को और बढ़ाना एक अनुचित बात है और जहां तक मैं समझता हूं यह बचाया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य बजट जब हमारे सामने आता है उस समय जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने अपने जिले के लिये या किसी विभाग के यह कहते हैं कि फलां विभाग के लिये पैसा कम प्रोवाइड किया गया है या फलां जिले की फलां कार्यवाही के लिये कम पैसा दिया गया है, तो उस समय हमसे यह कहा जाता है कि यह सरकार की लाचारी है, सरकार के पास पैसे नहीं हैं, सरकार कोशिश करेगी कि जहां तक हो सके अगले बजट में इसके लिये पैसे रख दिये जायं। इसको भी याद रखते हुए जब कि हम यह देखते हैं कि सप्लीमेंटरी बजट द्वारा जो अनुदानों में बचत हो उसका भी उपयोग नयी बातों में किया जा रहा है और जब हम यह देखते हैं कि सप्लीमेंटरी बजट में नये पैसे से नये काम चलाये जा रहे हैं हालांकि उस समय किसी कार्य के लिये कुछ हद तक आश्वासन दिया गया था तो यह एक गलत सी बात प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में मैं इस सदन का ध्यान एक दूसरी तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि यह टोकेन ग्रांट लेने की रीति बहुत गलत तो नहीं, लेकिन छल पूर्वक बात दिखलायी पड़ती है। इसके लिये मैं एक ही अनुदान की मिसाल देकर आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा।

अनुदान संख्या १९—शिक्षा सप्लीमेंटरी बजट में केवल मात्र ४ सौ रुपया मांगा गया है यानी यह टोकेन ग्रांट मांगा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग ने अपना काम पिछले वर्ष अपने अनुदान के अन्दर ही किया है, किन्तु यदि इसका हिसाब

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

लगाया जाय तो इस ४ सौ रुपये टोकेन ग्रांट से लगभग १३ लाख रुपये का खर्चा उसी विभाग के अन्दर किसी और हिसाब में लगाया जा रहा है। मुझे इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है, किन्तु मैं इस चीज को यहां बतला देना चाहता हूं कि इस प्रकार जब एक्सेसिव प्रोविजनिंग की जाती है तो फिर यह एक गलत बात है कि बाकी विभाग का पैसा कम हो जाय। जहां तक अनफोरसीन एक्सपेंडीचर का ताल्लुक है, एक वर्ष तक का अन्दाजा तो सरकार के सामने रहना ही चाहिये। और यह कहना कि सरकार एक वर्ष का अपना अन्दाजा लगाती है, तो यह सरकार के लिये कोई सही बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी बजट के सम्बन्ध में यह भी कहना आवश्यक हो जाता है कि जिस रूप में यह सपलीमेंटरी बजट हमारे सामने रखा जाता है वह एक बड़ा गलत तरीका है। यदि इस सप्लीमेंटरी बजट को देखा जाय तो हर एक अनुदान में हमें यह बतलाया जाता है कि फलां खर्च अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हुआ इसलिये उसमें खर्च करना आवश्यक हो गया इसलिये फलां फंड से इतना पैसा दे दिया गया है। अब इस सदन से मंजूरी मांगी जाती है ताकि वह पैसा कंसोलिडेटेड रिजर्व फंड में डाल दिया जाय। यानी इसका मतलब यह है कि हम तो इसकी मंजूरी पहले दे ही चुके हैं इसलिये तुम तो इसकी मंजूरी दे ही दोगे। हमने तो इतना खर्च कर लिया है, अब तुम चाहे इसकी मंजूरी दो या न दो। एक तरह से इसकी मंजूरी देना लाजिमी सा है, तो यह एक गलत सी बात है। हालांकि इस सदन का विचार माननीय मुख्य मंत्री जी जानते होंगे और उनके कहने के मुताबिक ही इस सदन का विचार अधिकतर चलता है और चलना भी चाहिये जब कि मेजारिटी का रूल है। किन्तु किसी हद तक खुल्लमखुल्ला ऐसी भावना प्रकट करना और वह भी बजट के सम्बन्ध में, यह उचित और शोभाजनक बात नहीं प्रतीत होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन के सम्बंध में कहा गया है। आज मैंने अखबार में यह भी पढ़ा था कि हमारे वित्त मंत्री जी जिनकी तबियत कुछ खराब है, इसका मुझे दुख है, उन्होंने कुछ इस प्रकार के शब्द कहे थे कि यह सरकार टैक्सेशन न करे तो मैं विरोधी दल से पूछता हूं कि जो कार्य सरकार करना चाहती है उसके लिये पैसा भला कहां से आवेगा? यह बात सही है कि बगैर पैसे के सरकार भी नहीं चल सकती है। आखिर सरकार का काम मुख्यतः यही है कि जो पैसा हो उसको जनता के ऊपर खर्च किया जाय। किन्तु पैसा कहां से आवे, यह एक प्रश्न है और पैसा आने के बाद किस प्रकार उसको खर्च किया जाय यह दूसरी बात है और साथ ही साथ एक तीसरी बात भी पैदा होती है कि पैसा आना यानी इन्कम और जो पैसा हो उसका बेकार खर्च का रोकना भी एक प्रकार की इन्कम गिनी जा सकती है। तो अगर विरोधी दल के सदस्य सरकार को कोई सुझाव न दे सकें कि और पैसा कहां से लावें तो कम से कम उन सुझावों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये जो विरोधी दल या और कोई भी सदस्य सरकार के सामने रख सकें, जिससे सरकार के खर्च में कुछ बचत हो।

जहां तक टैक्सेशन का जस्टीफिकेशन है, एलेक्ट्रिसिटी का जो टैक्स है, जिसके बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने इतना जोरदार डिफेंस किया वह कहां तक उचित है। यह कहां तक सही बात है कि अरबन एरियाज पर टैक्सेशन बढ़ाकर रूरल एरियाज में एलेक्ट्रिसिटी का डेवलेपमेंट किया जाय। यह क्या सरकार की नीति है और इससे अधिक इस सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि टैक्सेशन की एक लिमिट है। आज तो सरकार ने अपनी यह नीति स्पष्ट रूप से निर्धारित कर ली है और वह टैक्सेशन के एक एक एवेन्यू को टैप करने के लिये तैयार हो गयी है और उसने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह धर्म के ऊपर भी टैक्सेशन करने से न हिचकिचायेगी। तो मैं समझता हूं कि अब वह जमाना शीघ्र ही आनेवाला है जब जनता और टैक्स देने के काबिल नहीं रह जायेगी। जो टैक्स पिछले दिनों कुम्भ मेले के अवसर पर लगा उसे टेक्सेशन कहिये पिलग्रिम ड्यूटी कहिये, टर्मिनल टैक्स कहिये, बहरहाल वह टैक्सेशन उन्हीं के ऊपर पड़ा जो श्रद्धापूर्वक अपने धर्म को पालने

अपने नगर से अपने घरों से इलाहाबाद पहुंचे। यह टैक्स लेना कहां तक उचित था और कहां तक जितना एक्सेसिव टैक्स सरकार ने लिया वह सही है यह सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को इस अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिये कि इस टैक्स को सब लोगों ने बिना कुछ आवाज किये हुये दे दिया इसके दे देने का केवल एक कारण था कि अभी भी यहां के लोग धार्मिक हैं और जो लोग इलाहाबाद में कुम्भ के समय गये वे धर्म की भावना से गये और यदि उनको किसी एक्सेसिव टैक्स का पेमेंट करना ही पड़ा तो वह इसी भावना से पहुंचे थे और उनको उसकी बहुत फिक्र न रही। तो इससे सरकार को कोई खास कंसोलेशन न लेना चाहिये लेकिन मैं यह अवश्य समझता हूं कि यह बहुत ही अनुचित टैक्स था।

वित्त मंत्री जी ने टैक्सेशन के सम्बन्ध में यह भी कहा कि उद्योगों में जो कार्यवाहियां हो रही हैं उनको फाइनेंस करने के लिये सरकार को पैसा चाहिये। बहुत सही बात है कि बगैर पैसे के उद्योग नहीं चलाये जा सकते। हमारे उद्योग मंत्री जी भी बैठे हुये हैं वे इस सम्बन्ध में रोशनी डालेंगे लेकिन मैं इतना हमेशा कहूंगा और पिछली बार भी शायद मैंने कहा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कुछ हद तक सही है मगर, इस प्रकार का डेफिसिट फाइनेंसिंग कि डेफिसिट के ऊपर डेफिसिट हो यह गलत सा बात है। आखिर जो डेफिसिट उठाकर उद्योगों के लिये रुपया खर्च कर रहे हैं अगर दुर्भाग्यवश उस उद्योग का काम उतनी आशा तक पूरा न हो पाया या किसी कारण हमारे उद्योग का प्रोग्रास लम्बा हो जाय और उतनी जल्दी उससे रिटर्न न आवे तो यह डेफिसिट फाइनेंसिंग का सिद्धांत बिलकुल गड़बड़ी में पड़ जायगा। जहां तक हो सके सरकार को अपने उसी पुराने सिद्धांत के अनुसार अपना खर्च करना चाहिये। हालांकि सरकार कोई बिजनेस एन्टरप्राइज नहीं है और सरकार का बहुत सा खर्च नान-प्रोडक्टिव आइटम्स पर हुआ करता है जैसे एजूकेशन। सरकार एजूकेशन पर खर्च किसी फायदे के लिये नहीं करती, वह तो सरकार का कर्त्तव्य है। मगर फिर भी जहां जहां हो सके सरकार को अवश्य अपना खर्च कम करना चाहिये।

हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने रिकार्डिंग मशीन के सम्बन्ध में जो कहा मैं उससे बिलकुल सहमत नहीं हूं। अगर एकोनामी और इम्पलायमेंट क्रिएट करने के लिये प्रोग्रेस करनी है तब तो उनकी बात सही है क्योंकि अनइम्पलायमेंट को दूर करना आवश्यक है किन्तु यह कोई तरीका नहीं है कि प्रोग्रेस को रिटार्ड किया जाय, बैलगाड़ी में चलकर रेलगाड़ी को बन्द कर दिया जाय। इस तरह की ऐसी २ प्रोग्रेसिव और आवश्यक वस्तुयें जो आज बन रही हैं उनको दूर किया जाय तो इससे अनइम्प्लायमेंट के और जरिये पैदा हो जायेंगे। किन्तु साथ ही साथ यह भी सोचना गलत होगा कि अनइम्पलायमेंट की तरफ निगाह न डाली जाय। जो कुछ इस सप्लीमेंटरी बजट द्वारा खर्च किया गया है उसकी बहुत ही कम रकम अनइम्पलायमेंट के दूर करने के लिये खर्च की गयी है। अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेंटरी बजट में जहां पर यह सही रूप में पालन नहीं किया जा रहा है उसे दुखपूर्ण मुझे आपके सामने कहना है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की बैठकों में यह बात बारम्बार हमारे सामने आती है कि बजट में बहुत हद तक ओवर प्राविज़निंग किया जाता है। ओवर प्राविज़निंग के बजट में जो पैसा बच जाता है उसको सरेन्डर नहीं करते हैं और उसे नये आइटम पर खर्च करते हैं, यह एक गलत बात है। नये आइटम पर सप्लीमेंटरी और टोकेन ग्रान्ट द्वारा पैसा खर्च करना बहुत ही नामुनासिब बात है। नये आइटम पर जो पैसा खर्च किया जाय वह जो अगले साल का बजट आता है उसमें रखा जा सकता है और सदन की मंजूरी ली जा सकती है। इसलिये यह जो सप्लीमेंटरी बजट द्वारा एक्सेसिव एक्सपेन्सेज किये जा रहे हैं बहुत गलत बात है। अन्त में फिर मैं इसे दूसरे रूप में दोहराना चाहूंगा कि यह समझना कि खर्चा हो चुका है और उसकी मंजूरी इस सदन को देना लाजमी है यह एक बहुत ही अनुचित बात है।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा है उसमें यह तो सभी मानते हैं कि बजट साल के शुरू में पेश होना चाहिये और ऐसा कोई सप्लीमेंटरी बजट नहीं आना चाहिये, लेकिन दुनिया जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके से खयालात बदल रहे हैं उससे हर गवनमेंट के लिये बड़ी मुश्किल पड़

[श्री नौरंगलाल]

जाती ह कि उसने जो शुरू में अपने खयाल रखे थे उन्हें आखर तकका यम रखे । कुछ लोग यह भी कहन लगे हैं और मैंने किताबों में पढ़ा है कि इस बजट के सिस्टम को ही बदल देना चाहिये और हर सेशन का अपना एक बजट होना चाहिये जिससे कि हर सेशन में मेम्बर्स को, गवर्नमेंट को सेन्सर करने का और कमेंट करने का मौका मिले क्योंकि यही एक ऐसा मौका होता है जब कि गवर्नमेंट क ऊपर और उसकी पालिसी पर डिस्कशन हो सकता है । अध्यक्ष महोदय, यह एक सही बात है कि हर गवर्नमेंट को जिस वक्त कि वह बजट पश करती है एक क्रिटिसिज्म की बौछार बरदाश्त करती पड़ती है इसलिये गवर्नमेंट के लिय बजट को असेम्बली के सामने पेश करने में और मेम्बर्स का क्रिटिसिज्म सुनने में कोई सरकार प्रसन्न नहीं होती । आमतौर पर आदमी क्रिटिसिज्म से बचना चाहता है । जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया जाता है, उसमें यह समझना चाहिये कि गवर्नमेंट की मजबूरी है और उस मजबूरी की वजह से वह बजट पेश करती है । इस बजट में जहां तक कि टेकनिकल डिफिकल्टीज हैं उनकी तरफ हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये । ज्यादा ध्यान देने की बात तो यह है कि हमें यह देखना चाहिय कि जो रुपया यह हाउस मंजूर करता है उस रुपये का कौड़ी-कौड़ी हिसाब भी हो जाता है या नहीं । अगर जो रुपया कि यह सदन मंजूर करता है उसका कौड़ी-कौड़ी एकाउन्ट नहीं होता है और वह ठीक तरीके से खर्च नहीं होता है, तब तो वाकई सदन को शिकायत करनी चाहिये । लेकिन जो रुपया टैक्सेशन के जरिये से गवर्नमेंट वसूल करती है और जिसकी मंजूरी इस बजट को पेश करके गवर्नमेंट आप से ले लेती है, अगर वह उसका एक एक पैसे का हिसाब देती है और डेवलपमेंट की योजनाओं पर लगाती है, तब न सदन को और न मुल्क को कोई शिकायत हो सकती ह । एक शिकायत यह है कि हमको बजट में कम से कम खर्चा रखना चाहिये । मैं इससे सहमत नहीं हूं, उसकी वजह यह है कि जितनी उन्नति देश करता है, जितना प्रगतिशील देश होता है, उतना ही बजट बढ़ता जाता है । जितने सिविलाइज्ड कंट्रीज होते हैं, उनकी जितनी जितनी सिविलिजेशन बढ़ती जाती है, उतना ही उनका बजट बढ़ता जाता है । मैंने स्वीडन की डेमोक्रेसी के सम्बन्ध में पढ़ा है । वहां का राज्य बहुत अच्छा कहा जाता है, मगर वहां पर लोगों की आमदनी का ७५ परसेंट तक गवर्नमेंट ले लेती है और जो सुविधायें वहां की गवनमेंट देती है वह भी दुनिया जानती है । इसलिये जहां तक कि टैक्सेशन का सवाल है, इस पर यह प्रश्न करना कि टैक्सेशन कुछ ज्यादा होना चाहिये बल्कि कम होना चाहिये, इससे मैं कदापि सहमत नहीं हूं । मैं तो सदन में यह कहना चाहता हूं कि जो रुपया आप मंजूर करते हैं, उसके लिये आप को हमको और इस मुल्क को यह देखना चाहिये कि उसका सदुपयोग होता है या नहीं । यही खास बात है और इस की तरफ हम सबको देखना चाहिये ।

दूसरे इस बजट के पेश करने का कुछ फायदा उटा करके अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से सजश्चन देना चाहता हूं । हम यह देखते हैं कि अपने फायदे के लिये हम जो योजनायें रखते हैं और जिन पर कि हम इस बजट के जरिये रुपया खर्च करते हैं, उन योजनाओं में काफी सफलता हमको नहीं मिलती है । इसका क्या कारण है ? मैं कुछ कारणों को इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं ।

सब से पहला कारण जो मैं समझता हूं कि जितनी योजनायें हम रखते हैं उनमें हमको वह सफलता नहीं मिलती जो कि हमको मिलनी चाहिये, वह यह है कि हमने टू मैनी डिपार्टमेंट्स खोल रहे हैं और उन पर हम अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते । एक एक मिनिस्टर के नीचे दो दो तीन तीन डिपार्टमेंट्स रखे गये हैं उसका नतीजा यह होता है कि वह मिनिस्टर और उसका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी उन तमाम डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते । जब तक हम कम्पलीट कंट्रोल इन डिपार्टमेंट्स का न करें तब तक यह नहीं देख सकते कि वह रुपया जो हमने मंजूर किया है ठीक तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं । मैं सदन के समक्ष यह कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करूंगा कि यहां पर जितनी भी जिम्मेदारी होती है

वह मिनिस्टर्स पर आती है और अगर कोई बुराई करते हैं तो वह गवर्नमेंट आफिसर्स करते हैं। इसके माने यह हो जाते हैं कि अगर कोई मिनिस्टर उन डिपार्टमेंट्स पर कम्प्लीट कंट्रोल नहीं कर सकता जो कि उसके नीचे हैं, तो जिम्मेदारी तो सब उसपर तो है और बुराई करते हैं आफिसर अर्थात There is responsibility without control. तो जहाँ पर रेस्पांसिबिलिटी विदाउट कंट्रोल होगी, वहां पर मिनिस्टर ठीक जवाब नहीं दे सकता। इसलिये हमको टू मेनी डिपार्टमेंट्स नहीं खोलना चाहिये और अगर खोलते हैं तो हमको पोलिटिकल सेक्रेट्रीज या पोलिटिक्स कमेटी इस सदन की तरफ से बना देना चाहिये और वह जा करके देखें कि उन डिपार्टमेंट्स में ठीक तरीक़े से रुपया खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां चार सौ से ऊपर मेंबर हैं। यदि पार्लियामेंट्री सदस्यों की तनख्वाह हम नहीं दे सकते हैं, अगर मिनिस्टर्स की तनख्वाह हम नहीं दे सकते हैं, तो हम मेम्बर्स को थोड़ा थोड़ा आनोरेरियम दे कर के एक एक डिपार्टमेंट्स पर कंट्रोल करने के लिये रख सकते हैं, जिससे जो रुपया हम खर्च करना चाहते हैं वह ठीक तरह से खर्च किया जाय।

यही नहीं कि हमने टू मेनी डिपार्टमेंट्स खोले हैं, एक दूसरा और कारण है और वह यह है कि हमने मुहकमों में सेंट्रलाइजेशन किया है और यह सेंट्रलाइजेशन की वजह है कि जो सेंट्रलाइज्ड आफिसर है वह मौके पर निरीक्षण नहीं करने जा सकता है कि उसके नीचे क्या हो रहा है। इसलिये हमको डिसेंट्रेलाइजेशन करना चाहिये। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं। फिशरीज का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने खोला है, जिसमें एक आफिसर है हर जिले के अन्दर। मैं अपने जिले को जानता हूं। उस जिले में एक फ़िशरीज डिपार्टमेंट है। उसने कुछ भी नहीं किया। तीन चार साल से है, लेकिन वहां पर तालाबों का सर्वे भी नहीं हो पाया, मछलियां तो दूर रहीं, यह भी पता नहीं लगा कि कितने तालाब हैं। अगर यह डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया जाय कि वहां के चेयरमैन देखें कि अपने जिले में कितने तालाब हैं और किनमें मछलियां ज्यादा हैं, कितने में कम है। अस्तु, यदि फ़िशरीज का जो आफिसर है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के नीचे रहेगा तो उससे काम में आसानी रहेगी। ऐसे ही नर्सरी का एक डिपार्टमेंट है। इसमें भी सेंट्रलाइजेशन की वजह से हर आफिसर कहीं जा नहीं सकता। ऐसे छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये। अगर सेंट्रलाइजेशन रहता है तो उन पर हम कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिये ये चीजें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे देनी चाहियें जिससे वे अच्छी तरह से उनकी निगरानी कर सकें और काम देख सकें। यह दूसरा कारण है जिसकी वजह से सफलता नहीं मिलती है और हमारी योजनायें सफल नहीं होती हैं।

इसके अलावा एक तीसरा कारण है कि हमारे जो आफिसर्स हैं बड़े और छोटे उनमें बहुत से ऐसे हैं कि जो योजनायें गवर्नमेंट की तरफ से जाती हैं उनमें उनका दिल नहीं लगता। वे काम करते हैं लेकिन उस स्पिरिट से नहीं करते जिससे कि मिनिस्टर करते हैं। जहां तक हमारे मिनिस्टर्स का ताल्लुक है हम जानते हैं कि जब ये दौरे पर जाते हैं तो २४ घंटे काम करते रहते हैं और उन योजनाओं में दिल लगाते हैं। लेकिन जितने आफिसर्स हैं, चाहे कलेक्टर हों, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे एस० डी० ओ० हों उनके दिमाग़ में सर्विस का माद्दा नहीं आ पाता। उनके अन्दर जो पुरानी ब्यूरोक्रेटिक स्पिरिट है कि मैं हाकिम हूं वह नहीं मिटने पायी है। गवर्नमेंट ने कोशिश की श्रमदान के ज़रिये से उनको दबाने की। श्रमदान के मौक़े पर गवर्नमेंट ने यह हुक्म दिया कि चाहे कोई हो, हर एक को लाज़िमी तौर से फावड़ा पकड़ना पड़ेगा और यह इसीलिये किया कि वे जान जायं कि वे हाकिम नहीं हैं, बल्कि पब्लिक के सर्वेंट हैं, चाहे कोई काम हो, सबको करना पड़ेगा। जब कि हमारे मुख्य मंत्री कर सकते हैं, प्रधान मंत्री कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वे न कर सकें। इस इरादे को बदलने के लिये और यह भावना पैदा करने के लिये आफिसर्स को पब्लिक सर्वेंट होना चाहिये, और हाकिमपने को दूर करने के लिये यह श्रमदान की योजना गवर्नमेंट ने निकाली है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी हमारे देश के अन्दर श्रमदान की योजना उतनी कामयाब नहीं हुई, जितनी कि होनी चाहिये। जो आफिसर्स हैं वे उस स्पिरिट

[श्री नौरंगलाल]

से काम नहीं करते, वे एक हालीडे मूड में रहते हैं और उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से मिनिस्टर चाहते हैं। यह तीसरा कारण है कि जो हमारे आफिसर्स हैं वे हमारी योजनाओं में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते जितनी कि उनको लेनी चाहिये। वे चुपके-चुपके जा कर बैठते हैं और वहां पर ऐसी बातें करते हैं कि इनमें क्या रखा है, ऐसे कामों से कुछ नहीं होता। नतीजा यह होता है कि चूंकि वे इन कामों को लाइट स्पिरिट में लेते हैं तो कागज की पूर्ति तो हो जाती है कि इतना काम हुआ और यह हुआ और वह हुआ परन्तु सफलता नहीं होती। तो इसके लिये हमको कोशिश करनी है कि ये आफिसर्स किसी तरीके पर धोखा न देने पायें। यह तीसरा कारण है जिसकी वजह से जो रुपया हम भेजते हैं उसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं होने पाता है।

एक चौथा कारण यह है कि कोई भी कानून गवर्नमेंट बनाये लेकिन अगर पब्लिक कोआपरेट नहीं करती है तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। हमारे यहां की जनता की अजीब हालत है। वह पड़ी सोती ही रहती है। उसे कोई गुदगुदाये, उठाये, तब वह जागती है और कहीं हड़ताल कर देगी या बलवा कर देगी। यह नहीं सोचती कि आज जो सरकार है वह हमारी सरकार है, उसने तो पब्लिक की ताकत पर ही यह काम अपने ऊपर लिया है, इन आई० सी० एस० आफिसरों के ऊपर नहीं, ये तो धोखा भी दे सकते हैं। अपने ही जिले की मैं एक मिसाल देता हूं। जितने भी कोर्ट्स हैं वहां पर लिखा हुआ लगा हुआ है कि घूस लेना और देना दोनों हराम है। यानी सिर पर यह लिखकर टांग दिया गया है कि रिश्वत देना और लेना दोनों हराम है। यह सब कोर्टस में लगा हुआ है। पब्लिक वहां जाती है, पढ़ती है और मुस्करा देती है। पेशकार भी मुस्करा देता है क्योंकि दोनों समझते हैं कि यह फर्जी कार्यवाही है। गवर्नमेंट तो महज लिख देती है और यह मानने के लिये नहीं है, देखने को है। वह दो रुपये दे देते हैं और पेशकार ले लेता है। फिर लोग चिल्लाते हैं कि रिश्वत चलती है। ठीक है, हम इसको रोकने के लिये कानून बनाते हैं और उधर लोग जाकर खुद रिश्वत देते हैं तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट रिश्वत नहीं रोक सकती है। यह हमारी आज हालत है। इसलिये यह मैंने सदन को चौथा कारण बतलाया है जिससे हमारी योजनायें सफल नहीं हो पाती हैं।

इसके अलावा यह भी है कि पब्लिक को चाहिये कि वह हमारी योजनाओं में कोआपरेट करे। हम चाहते हैं कि जब किसी पर कोई मुकद्दमा चले तो पब्लिक को चाहिये कि वह गवाहों को टूटने न दे। लेकिन होता यह है कि गवाह टूट जाते हैं और वह छूट जाता है। गवर्नमेंट क्या करे? अगर गवर्नमेंट यह कोशिश करती है कि कानून सख्त बनाये जायं तो विरोधी दल चिल्लाता है कि इससे तो हमारी आजादी पर कुठाराघात होता है। इसलिये गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। अगर सख्त कानून बनाती है तो चारों तरफ से चिल्लाहट होती है कि आजादी में खलल डाला जा रहा है और अगर नहीं करती है तो पब्लिक कहती है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और गवर्नमेंट कुछ करती है तो पब्लिक गवर्नमेंट के साथ कोआपरेट नहीं करती है।

यह कठिन समस्या आज हमारे देश के सामने है। हम नहीं कह सकते हैं कि क्या किया जाय। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि कोशिश यह होनी चाहिये कि गवर्नमेंट कोई योजना बनाती है तो पब्लिक को चाहिये कि वह गवर्नमेंट के साथ कोआपरेट करे और उसकी योजनाओं को ट्रायल दे और फेयर ट्रायल दे जिससे गवर्नमेंट कुछ काम कर सके। इसके अलावा और भी अनेक कारण हैं जिनकी वजह से हमारी योजनायें सफल नहीं हो पाती हैं। हर बात में हमारा विरोध होता है। असेम्बली में भी होता है और असेम्बली के बाहर भी होता है। विरोध तो दो तरह का होता है एक तो कंस्ट्रक्टिव विरोध और दूसरा डिस्ट्रक्टिव विरोध। हम कहते हैं कि हमारे यहां कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज्यादा है। जो योजना भी सरकार बनाती है, उसके खिलाफ एक जहर उगलना शुरू हो जाता है और

विरोधी दल यह कोशिश करता है कि उससे फायदा उठाया जाय। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने अभी इर्रीगेशन टैक्स लगाया था। यह टैक्सेशन लाजिमी था इसको दुनिया जानती है। अगर यह टैक्स नहीं लगाया जाता है तो पूरब में जो हर साल सैलाब आता है उसका क्या इलाज हो सकता था? एक तरफ तो आवाज आती है कि पूरब में लोग मर रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है बिल्कुल खामोश बैठी है। जब आप की डिमांड पर, आप के इस शोरगुल पर जब सरकार टैक्स लगाती है तब क्या होता है? चारों तरफ से आवाज उठती है। इधर यह भी है कि कहा यह जाता है कि कुछ काम नहीं होता है। सरकार नलकूप वगैरह कुछ नहीं लगाती है और जब सरकार इन कामों के करने के लिये कोई टैक्स वगैरह लगाती है तब भी शोरगुल मचाया जाता है और कहा जाता है कि अगर सरकार टैक्स लगायेगी तो हम हड़ताल करेंगे और हम जेल जायेंगे।

यह भी बड़ी अजीब चीज है। अध्यक्ष महोदय, काम करने नहीं देते हैं और अगर सरकार कुछ काम करने के लिये आगे बढ़ती है तो उसको परेशानी में डाला जाता है। लोगों को ग़लत-फहमी में डाला जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि हर काम में गवर्नमेंट का डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, जिसकी वजह से पब्लिक भी गुमराह हो जाती है और पब्लिक फिर कोआपरेट नहीं करती है मैं यह कहूंगा कि This is Political dishonesty (यह राजनैतिक बेईमानी है) लेकिन मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि जब कहा यह जाता है कि कुएं खुदवाये जायं, नलकूप लगवाये जायें और तालाब तथा नहर बनवाई जायं तो आप बताइये कि इन सब कामों के लिये रुपया कहां से आयगा। रुपया तो टैक्सेशन से ही आयेगा न? जो लोग टैक्स दे सकते हैं उनके ऊपर ही टैक्स लगाया जाता है और जब यह किया जाता है तो एक आवाज उठती है। बड़ी मुश्किल है गवर्नमेंट की, यही कारण हैं जिनकी वजह से हमारी योजनायें सफल नहीं होती हैं। इसके अलावा हमारा विरोधी दल भी उनको फेयर ट्रायल देने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि हमारा क्रिटिसिज्म ही करता है चाहे ग़लत हो या सही हो। उसको इसकी जरा भी परवाह नहीं है, बल्कि वह तो यह चाहता है कि किसी भी तरह से आयन्दा उसको वोट मिलने चाहियें और कांग्रेस को निकाल दिया जाय।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को परवाह नहीं करनी चाहिये, क्योंकि गवर्नमेंट किसी की बपौती नहीं है। अगर हमें निकलना है तो खुशी के साथ हमें निकलना चाहिये। मुश्किल यह है और दिक्कत यह है कि हमने गवर्नमेंट चलाई और गवर्नमेंट चलाने का एक तरीका है। हमें अफसोस है कि हमने नहीं सीखा कि किस तरह से अपोजीशन किया जाता है। लोगों ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है, कांग्रेस हार गयी परन्तु उसमें अफसोस क्यों? हारना भी चाहिये, क्योंकि हारना-जीतना तो दुनिया में लगा हुआ है। लेकिन हम इस बात को मुनासिब समझते हैं कि जहां हम हारते हैं तो हम लोगों को यह सिखा दें कि कंस्ट्रक्टिव अपोजीशन क्या होता है और अपोजीशन कैसे किया जाता है। अब तक तो हमने गवर्न किया है। अब लोगों को यह भी बतलाना जरूरी है कि किस तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजीशन किया जाता है। मैं नेकनियती के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जो कुछ हम कर रहे हैं और जो कुछ करेंगे वह एक निश्चित रूप से करेंगे। इस रूप में नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा, वोट में क्या होगा? हारेंगे या जीतेंगे, इसकी चिन्ता नहीं। हमको तो ईमानदारी से जिसको हम "गुड" समझते हैं, नेक समझते हैं वह पब्लिक के लिये करेंगे और उसका नतीजा अच्छा होगा तो वह एक साल में, दो साल में, तीन साल में पब्लिक खुद समझ जायगी और जो लोग मिसरेप्रेजेंट करते हैं वे खुद उन्हीं में फंस जायंगे और वही नतीजा होगा जो पिछले एलेक्शन में हुआ था। जो सत्य है वह सत्य रहता है और जो सत्य के विपरीत होता है वह सदैव हारा करता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट के सम्बन्ध में जो भाषण अब तक हुये हैं उनसे मुझे ऐसा आभास हुआ कि उनके द्वारा सरकार की उन बुनियादी नीतियों का विश्लेषण करने की चेष्टा की गयी है जिन पर इस सरकार का

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुन]

और इस राज्य के बजट का आधार उन सदस्यों के मतानुसार रहे। मैं आपके द्वारा माननीय विरोधी दल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट और उसके अनुपूरक हिस्सों में अन्तर होता है। जब मुख्य बजट आता है तो सरकार की हर नीति को हम निर्धारित करा लेते हैं और उस निर्धारित नीति के अन्दर सरकार जो भिन्न-भिन्न कार्य किया करती है वर्ष भर में वह उसी नीति के आधार पर उसे बक़िया ख़र्च करना पड़ता है, उनका तख़मीना सप्लीमेंटरी बजट के जरिये से हमारे सामने होता है। तो सप्लीमेंटरी बजट कोई ऐसा मौक़ा नहीं होता जहां पर सरकार को कोई इस बात के ऊपर दीक्षा दी जाय कि वह अपनी टैक्सों की नीति को क्या रखे, अपने सिद्धांतों को जिन पर बजट बना है कैसे अवलम्बित करे। इसलिये मैं समझता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट के सम्बन्ध में हमारे भाषण और उनकी उपयोगिता इस बात पर आधारित होगी कि हम सरकार के जिन-जिन खर्चों का तज़किरा हमारे सामने आया है उनके सम्बन्ध में अपने विचार रखते हैं या नहीं।

मैं सिर्फ दो चार बातें कहना चाहता हूं। सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने यह बतलाया कि कुम्भ मेले के सम्बन्ध में एक टैक्स लगाया गया और उसको उन्होंने 'धर्म पर टैक्स का नाम दिया। कुछ पहले शायद इसी को "जज़िया" कह कर किसी माननीय सदस्य ने पुकारा था। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और उन सदस्यों से भी जिन्होंने उक्त कर को लगाने मात्र को इस प्रकार की "बनिया प्रवृत्ति" का एक उदाहरण स्वरूप मानते हुये हमारी ओर इशारा किया था कि कुम्भ के मेले से हम कुछ मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनको मैं इस सप्लीमेंटरी बजट के आंकड़ों की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे कुम्भ मेले केसम्बन्ध में जो कुछ आंकड़े हमारे सामने आये हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ४१,२४,८०० रुपये का उस कुम्भ मेले पर सरकार ने ख़र्चा किया और जो कुल धन सरकार को उसके द्वारा आवेगा चाहे वह वहां की ज़मीनों के किराये के सिलसिले में हो जो वहां उठायी गयीं या पिलग्रिम टैक्स फंड के पूल में से जो रुपया इस सरकार को मिलने वाला है वह निधि हो। वह कुल १२ लाख रुपया पहुंचता है। हमारे मित्र ने कहा कि जहां इतना घाटा है वहां १२ लाख के भी देने की क्या आवश्यकता थी तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि घाटे को कम से कम करना इस सरकार का और हर सरकार का हमेशा का उसूल रहता है और हर सरकार का हुआ करता है। तो घाटे को जिस क़दर हम कम कर सकें उतना ही अच्छा है। जो यात्री वहां आये उनको जो सुविधायें दी गयीं तो क्या उनके ऊपर जो भी ख़र्च हुए वह उसकी तरफ क्या कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिये था?

राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)---एक इन्फार्मेशन चाहता हूं। अभी श्रीमान् माननीय वक्ता ने यह कहा कि यह जो टैक्स था यह धर्म पर टैक्स नहीं था। आप ने यह तो बता दिया कि ख़र्चा उसी पर कर दिया लेकिन यह नहीं बताया कि वह धर्म पर टैक्स हुआ या नहीं या कौन सा टैक्स हुआ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय वीरेन्द्र शाह जी से यह कहूंगा कि मैंने पिलग्रिम टैक्स उसका नाम लिया। तो उस नाम से ही वह समझ सकते हैं कि वह कौन सा टैक्स हुआ। पिलग्रिम्स टैक्स उसे मैंने कहा।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, आप के द्वारा, कि जिस तरह हजारों मील दूर से लोग कुम्भ के स्नान के लिये इतने पैसे ख़र्च कर के आये, जहां और सब चीजों के लिये उन्होंने इतने पैसे ख़र्च किये, गंगा में डुब्बी लगाने पर भी कुछ रुपया छोड़ा और-और भी तमाम इस तरह के ख़र्चे किये वहां ठीक उसी प्रकार अपने सुख और सुविधा के सम्बन्ध में सरकार को कुछ दो चार आने पैसे देकर अगर उन्होंने इस सरकार के वजन को कुछ हल्का किया तो मैं समझता हूं कि जनप्रिय सरकार को अपनी जनता से इतनी मांग करने का पूर्ण अधिकारथा।

मैं समझता हूं कि इसमें विरोध करने में कोई बुनायादी बात नहीं है। माननीय बालेन्दुशाह जी भी किसी दिन यदि इस तरफ बैठेंगे तो वह भी ऐसी ही बात करेंगे।

श्रीमन्, जहां तक ताल्लुक उस बात का है जो यहां कही गयी और अखबारों में भी जिस बात की चर्चा हुई है कि सरकार ने वहां पर जिन लोगों व संस्थाओं ने जनसेवा का काम करने के लिये अपनी सेवायें लगायी थीं उनको कोई सहायता नहीं दी वह भी निराधार है और उनका भी ध्यान इस सप्लीमेंटरी बजट की ओर ले जाना चाहता हूं। इससे उनको प्रतीत हो जायगा कि जिन संस्थाओं ने कुम्भ के अवसर पर जनसेवा के कार्य को उठाया उनकी सहायता के लिए २० हजार रुपये की ग्रांट का भी प्राविजन इसमें है। स्पष्ट है कि इस तरह की बातों को कि उक्त क़िस्म की संस्थाओं को सहायता नहीं दी गई, उनको सहयोग नहीं दिया गया यह सप्लीमेंटरी बजट ग़लत साबित करता है।

मैं आपकी आज्ञा से कुछ बातें जो इस सप्लीमेंटरी बजट के उसूलों पर माननीय बालेन्दु शाह जी ने कहीं उनके सिलसिले में कहना चाहता हूं। उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि क्या किसी नये आइटम को सप्लीमेंटरी बजट में लाया जा सकता है?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैंने यह नहीं कहा। टोकेन द्वारा जरूर लाया जा सकता है। मगर यह अनुचित है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—अनुचित है, मैं उसको अगर ऐसा भी मान लूं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब एक्सपैंडिंग इकानामिक फेज़ किसी मुल्क में होती है अर्थात् जिस वक्त किसी मुल्क की अर्थ व्यवस्था फैलती है, बढ़ती है, उस वक्त जब कोई खर्च या व्यवस्था छोटी पड़ती है तो उसको बदल कर आवश्यकतानुसार नयी बातें ग्रहण करनी पड़ती हैं। जिस वक्त ये बजट प्रस्तुत हुआ, उस वक्त सरकार ने जो समझा, हर काम के ऊपर, अपनी जरूरत के हिसाब से एक तख़मीना प्रस्तुत किया। वह जरूरत यदि घटी या बढ़ी या उस बीच में कोई नयी बात पैदा हो गई और वह नयी बातें जो आज हमारे सामने आयीं उनको भी आप देखें तो स्पष्ट मालूम होगा कि वह मान्यताप्राप्त सिद्धान्त के अन्दर और उसी बड़ी तस्वीर के अन्दर कोई माइनर चीज है जिनको कि हमने अपने इस सदन से पारित कर इस सरकार को खर्च करने का आदेश दे दिया था।

मैं श्रीमन्, इस संबंध में भी कहना चाहता हूं जो कि यह कहा गया कि ऐसी भी लाइ-बिलिटीज इस सप्लीमेंटरी डिमांड से क्रियेट करना जिनसे रिकरिंग लाइबिलिटीज आयेंगी, क्या ऐसे खर्च सप्लीमेंटरी बजट द्वारा आने चाहिये। मैं आपके द्वारा उन सदस्यों को जिनके मन मे यह शुबहा हो कि क्या ऐसा किया जा सकता है, उनका ध्यान दुनिया के हर किसी देश और उसके बजट और अनुपूरक बजटों की ओर दिलाना चाहता हूं। यह तो अर्थशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है कि अच्छी गवर्नमेंट की यह पहचान है कि उसके जो खर्च होते हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी है। और हर प्रोडक्टिविट योजना अपने साथ लाइबिलिटीज जरूर लायगी। ऐसे खर्चों को अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट में लिया जाय तो ग़लत कैसे हो जाता है, यह कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार की जो टैक्सेशन की नीति है उसमें यह है कि किसान और मजदूर और ग़रीबों की तो बहुत बुरी हालत है और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और मिलमालिक हैं उनकी बड़ी अच्छी हालत है। ऐसा कोई इशारा किया गया और उसमें यह भी कहा गया कि ६ लाख रुपया दे दिया गया। ६ लाख या कुछ ऐसे ही रुपये की मांग उस कंपनी ने की थी। लेकिन उसको दिया गया ३ लाख कुछ रुपये। ६ लाख उसको नहीं दिया गया। और तीन लाख भी जो दिया गया चार प्रतिशत सूद के ऊपर नहीं वरन् गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा कर ५ प्रतिशत कर दिया है। अब श्रीमन्, हमें देखना है कि जो रुपया उस शुगर फैक्टरी को दिया गया वह मुनासिब दिया गया या नहीं। रुपये पर सूद मिलने वाला है और जो रुपया दिया जा रहा है उससे फैक्टरी चलेगी और केन ग्रोअर्स को उससे आर्थिक लाभ होने वाला है। उससे उनके

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना]

जीवन की अर्थ व्यवस्था बनी रहने वाली है। साथ ही जिन माननीय सदस्यों को ऐरा जाने का मौक़ा हुआ होगा या जो माननीय सदस्य वहां से आते हैं उनको ज्ञात होगा कि ऐरा की ऐसी स्थिति है कि कई महीनों तक आने जाने का कोई मार्ग नहीं रहता है। वह टापू जैसा बसा हुआ है। फिर भी उस मिल को चलाये रखने की जरूरत है। उसको मदद पहुंचा कर कायम रखने की जरूरत है क्योंकि यह हजारों परिवारों का सवाल है। मजदूरों की जिन्दगी का सवाल है, गन्ना उत्पादकों की आमदनी का सवाल है। मैं समझता हूं कि जो कुछ रुपया सरकार ने उसको उधार दिया है वह कोई अनुचित बात नहीं है। अगर सरकार ऐसा न करती और मिल बन्द हो जाती तो अन्याय होता; हजारों केन ग्रोअर्स और मजदूरों के साथ जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले हैं उनके साथ अन्याय होता। हमारे विरोधी दल के जो माननीय सदस्य हैं वह सप्लीमेंट्री बजट से इतना न घबरायें कि यह सप्लीमेंट्री बजट क्यों आया है। अगर सरकार ने खर्च किया है और खर्चा ग़लत है और माननीय सदन को नामंजूर है तो यह सरकार उसी के साथ साथ बाहर जाती है। सप्लीमेंटरी ग्रान्ट सरकार ने प्रस्तुत की है तो इस ख्याल से प्रस्तुत की है कि सदन की मंजूरी उसे मिले क्योंकि उसने मुनासिब खर्च किया है। अगर सदन मंजूर करे तो वह रहे और न करे तो वही नतीजा हो जो बजट न पास होने से किसी सरकार के साथ होता है। मैं समझता हूं कि बहुमत बड़ा होने पर भी सत्य का सदैव बहुमत रहता है और सत्य की हमेशा विजय होती है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब कभी भी इस सदन के माननीय सदस्यों को अवसर मिले सरकार की किसी भी चीज को देखने का, तो उन्हें सदैव ढूंढ-ढूंढ कर छिद्रान्वेषण ही नहीं करना चाहिये। इससे न इस सरकार के कामों को प्रोत्साहन मिलने वाला है और न कोई इस सरकार को मदद मिलने वाली है। इसलिये मैं फिर भी निवेदन करूंगा कि सप्लीमेंटरी बजट के समय केवल बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिये न कि उन फैक्ट्स को ग़लत इंटरप्रेट करना चाहिये जो इस किताब में छपे हुये हैं।

मैं फिर सरकार को मुबारकबाद देता हूं जो उसने ऐरा फैक्ट्री को रुपया दिया और वहां के किसान मजदूरों की जीविका बनाये रखी।

अन्त में एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि अभी हमारे बालेन्दु शाह जी ने कम से कम सरकार की एक चीज की प्रशंसा की जिस पर सरकार ने खर्च करने को सोचा है और वह है रेक्स रेकार्डर डिक्टेटिंग ऐण्ड ट्रांस्क्राइबिंग मैशीन। मेरी बदक़िस्मती यह है कि मैं सरकार की सब बातों से सहमत होते हुये भी इसके बिलकुल विरुद्ध हूं। इसलिये मेरा विरोध नहीं है कि इस प्रदेश को बैलगाड़ी की तरफ ले जाने की मेरी भावना है एक मशीन से एक स्टोनोटाइपिस्ट कम होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इससे कोई सरकार की अर्थ व्यवस्था को कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। सवाल जरा बुनियादी है और इसलिये बुनियादी है कि सब से बड़ी एम्पलायर हमारी गवर्नमेंट है और अगर यह सरकार खुद इस तरह के Non-essential यन्त्रों को इस्तेमाल करने लगती है तो हमारे जो पूंजीपति बराबर रेशनेलाइजेशन और छटनी करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है और वे अपने यहां जो लेबर फोर्स हैं उसको कम करने के लिये इस तरह की मशीनों की ईजाद से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और निश्चय ही एक भयावह परिस्थिति को हमें और इस सरकार को फेस करना होगा। मैं समझता हूं कि हमारे जैसे मुल्कों के लिये जहां आदमी बहुत हैं बेकारी ज्यादा है, तनख्वाहें कम हैं, प्रोडक्टिविटी दूसरे देशों के मुक़ाबले में बहुत कम नहीं है वहां इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल करना ठीक न होगा। यह विशेषज्ञों की भी राय है जिसे मैं आपके सम्मुख रखता हूं। इस तरह की मशीनों को इस्तेमाल कर के सरकार पूंजीपतियों को प्रोत्साहन दे रही है जो मुनाफे की खातिर वर्किंग फोर्स में श्रमिकों

की संख्या को कम कर के इस मुल्क की अर्थ व्यवस्था को उलट देना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह रेक्स रिकार्डर के खरीदने के सम्बन्ध का यह अनुदान पहला और आखिरी अनुदान होगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को दोबारा पूरक बजट पेश करने पर मुबारक बाद देता हूं इसके बाद अपने विरोधी पार्टी के उपनेता श्री राम नारायण जी को भी मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इस सदन में ऐसी स्पीच दी। क्यों मुबारकबाद देता हूं, इसको बाद में अर्ज करूंगा। पहले माननीय श्री बालेन्दुशाह जी ने जो अपना व्याख्यान दिया है उस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा क्योंकि उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। वह समझते हैं कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट से यह कांग्रेस अच्छी है। वे कहते हैं कि कांग्रेस में भी खराबियां हैं लेकिन औरों से यह अच्छी है। फिर भी मुखालिफत करते हैं। यह बात समझ में नहीं आती। अगर इसलिये विरोध करते हैं कि इनको हटा कर हम आ जायेंगे तब तो ठीक है लेकिन अगर यह उम्मीद हो कि यदि कांग्रेस सरकार न रही तो पछताना होगा, तब तो विरोध करना उचित नहीं इसलिये हेल्थी क्रिटिसिज्म कीजिये। सोशलिस्ट साहबान के बारे में मुझे केवल यह कहना है कि एक तरफ किसानों को यह कहकर उभाड़ दिया, हड़ताल करवाने की कोशिश की, क्योंकि पैसा कम मिल रहा है, ज्यादा मिलना चाहिये किन्तु जब किसान आप लोगों के सब्ज बाग में नहीं भूले तब स्वयं पिकेटिंग करने और कानून तोड़ने लगे तथा जब गिरफ्तारी होती है तो कहते हैं कि पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है, जुल्म कर रही है और जब पकड़ कर कहीं ले जाकर छोड़ दिया जाता है तो कहने लगे कि ऐसा किया गया, वैसा किया गया, सरकार अंग्रेजों की नकल कर रही है। हुजूरवाला, हम अंग्रेजों की हर बात की मुखालिफत थोड़े ही करते हैं? जो उनकी खराबी है उसकी ही मुखालिफत करते हैं। एक जगह कहा गया है कि शत्रु में भी कोई खूबी हो तो कहो और गुरु में भी कोई ऐब हो तो कहो। अंग्रेजों ने रेल चलाई है तो मत चढ़ो, अंग्रेजों ने डाकखाना बनाया है तो मत चिट्ठी डालो, अंग्रेजों ने हवाई जहाज बनाया है तो उस पर मत चढ़ो। बोलिए, कोई ऐसा करने को तैयार होगा? कदापि नहीं। हमारी सरकार डेमोक्रेटिक प्रिन्सपल्स पर चलने वाली है, लिहाजा सबकी बातों को शांतिपूर्वक सुनती है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ कहा जाता है कि किसान खुद हड़ताल करना चाहते हैं, गाड़ियां नहीं ले जाना चाहते तो फिर आप पिकेटिंग क्यों करते हैं? एक तरफ तो स्वयं गलती करना और गिरफ्तार होने पर सरकार को दोष देना इसी राजनैतिक बुद्धिमानी के लिये मैं आपको मुबारकवाद देता हूं।

इसके साथ ही मैं अपनी सरकार का ध्यान भी कुछ मामलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार उसके ऊपर ध्यान देगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार निहायत ईमानदारी से और निहायत परिश्रम से कोशिश कर रही है कि सब को आराम पहुंचे और सबको वह खुश रखे। फिर भी शिकायत क्यों होती है? जिधर देखिये उधर ही शिकायत है। यह जो पोलेटिकल पार्टी है वह तो इसलिये शिकायत करती है कि सरकार बदनाम हो और वह किसी तरह से पावर में आ जाय लेकिन जो पोलिटिकल पार्टी नहीं है वह शिकायत क्यों करती है। उदाहरणार्थ स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटियों के लड़कों को लीजिये, वह क्यों शिकायत करते हैं? जो लड़के मिठाई देने से खुश किये जा सकते हैं उन पर गोलियां चलाई जाती हैं और अंत में उनकी बातें मान लेनी पड़ती हैं। पत्रकारों से भी शिकायत है और मुझे भी उनसे शिकायत है कि वह खबरों को तोड़ मरोड़ कर छापते हैं। किन्तु इस पर भी विचार करना चाहिये कि आखिरकार यह बातें क्या हैं जिनकी वजह से लोग खिलाफ होते जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि कहीं न कहीं कोई न कोई कमजोरी जरूर है। उसके ऊपर ध्यान देने की निहायत जरूरत है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

एक दफा मैं दिल्ली गया वहां पर एक जगह एक आदमी सरकार के खिलाफ ५० बातें कह रहा था तो मैंने उससे कहा कि भाई जरा ठंडे दिमाग से सरकार की दिक्कतों को भी तो समझो। इस पर वह शांत होकर मेरी बात सुनने लगा। मैंने उसको सरकार की दिक्कतें बतलायीं तो उसने कहा कि हां, यह बात तो ठीक है। थोड़ी देर पहले जो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था वही व्यक्ति सच्ची दलीलों को सुनकर मुझसे सहमत हो गया। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि यह अपनी दिक्कतों को जनता को बताए। मेरा यह दावा है कि ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता है जो जानबूझ कर गलती करता है। दूसरी पार्टियों ने जनता में कुछ गलतफहमी पैदा कर रखी है, सरकार को उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं कुम्भ मेले का बहुत शोर सुनता हूं। मैंने वहां के प्रबन्ध के विषय में शिकायत भी सुनी है और बहुतों से तारीफ भी काफी सुनता हूं कि वहां पर सरकार ने अच्छा प्रबन्ध किया और अफसरों ने बहुत मेहनत से काम किया, लेकिन फिर भी यह घटना हो गयी। मैंने महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठकर ट्रेनिंग पायी है और उन्होंने हमको सही रास्ते पर चलना सिखाया है। तदनुसार मैं यह पूछता हूं कि इस दुर्घटना के लिये कौन जिम्मेदार है क्यों इस चीज को पहले नहीं सोचा गया और पहले से इसका प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया? इस पर कहा जाता है कि इंग्लैन्ड में भी राज्याभषेक के समय इसी तरह की घटना हुयी थी और वहां पर ६ हजार आदमी घायल हो गये जिनमें से काफी मरे भी तथा इस खबर को अखबार ने एक कोने में छापा था। तो क्या यह जरूरी है कि अगर वहां पर कोई घटना घटी तो वह यहां पर भी घटे? अपने मुल्क में तो हमको उक्त घटना से और भी होशियार हो जाना चाहिये था किन्तु वे सतर्क नहीं हुए यह उनकी गल्ती है, उनको इस गल्ती को कबूल करना चाहिये और जिन अफसरों अथवा कमेटी ने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिये साथ ही जब हमारे एक आदमी ने गल्ती की तो उसकी जिम्मेदारी सब पर आती है सरकार पर आती है और हाउस पर आती है और मुझ पर आती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे एक आदमी ने गलती की तो हम सबकी गलती है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो चौरा चौरी की घटना हो गयी। तब गांधी जी ने कहा कि यह हमारी गल्ती हो गयी। तो मेरी गुजारिश यह है कि वह घटना घटी तो उससे पन्त जी भी बच नहीं सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि मेरी गल्ती है और हमारी गल्ती है और इसको हमें कबूल करना चाहिये।

कहा जाता है कि दुर्घटना की सूचना देर में लगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्घटना हो जाना इतना खतरनाक नहीं है जितना कि दुर्घटना हो जाने के ८ घंटे के बाद खबर मिलना खतरनाक है। यह बहुत गलत बात हुई और ऐसा हर्गिज नहीं होना चाहिये था। आपका वायरलेस जो एक क्षण के अन्दर खबर दे देता है कि इस प्रकार से हो गया वह कहां गया? यह गल्ती हो गयी जिसे हमें कबूल करना चाहिये। आदमियों से गल्ती होती है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि यह गल्ती जानबूझ कर नहीं हुई इसलिए घाव पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। यह ग़ल्ती ऐसी है जैसी कि श्री कृष्ण जी से भी हो गयी थी। महाभारत की लड़ाई में पांडवों की बागडोर उनके हाथ में थी। अभिमन्यु मारे गये। ऐसी गल्ती हमारी सरकार से हुई। इसलिये समवेदना प्रगट करनी चाहिये। इससे पोलीटीकल फायदा नहीं उठाने की कोशिश करनी चाहिये। यही नहीं, जो कांग्रेस में कल तक हमारे साथ थे, जेल भी गये वे अलहदा क्यों हो गये? उनका ख्याल है कि उन पर जुल्म हो रहा है। ज्यादती हो रही है, क्योंकि यहां हिन्दी में कार्य होने लगा। मैंने उस समय के सूचना मिनिस्टर साहेब से कहा था कि हिन्दी हो गयी है तो अच्छा हुआ, लेकिन लोगों को बतलाना भी चाहिये कि हिन्दी क्यों की गयी है। मगर वह नहीं

माने और कहा कि हम हर बात को कहां तक समझाते फिरेंगे, लोगों को अपने आप समझना चाहिये। मगर आज एक तबका समझता है कि हम पर जुल्म हो रहा है और हमारी कलचर मिटाई जा रही है। गत अगस्त या सितम्बर में लखनऊ में मीटिंग हुई, आपके कांग्रेसी एम० एल० ए० वाइसचांसलर अलीगढ़ के, ने प्रेसाइड किया, उनकी तकरीर को आपने अखबारों में पढ़ा होगा। उसके बाद डेपुटेशन यहां मिला और फिर वे लोग राष्ट्रपति से मिले। क्या बात है कि आप अच्छा काम करें और उसकी शिकायत भी हो ? लोगों में बहुत गलतफहमी है। उसके लिये जवाब देना चाहिये। बतलाना चाहिये कि किसलिये हिन्दी की गयी है। किसी की कलचर को मिटाने का इरादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां हिन्दी करदी दी गयी है, वहां उर्दू के लिये भी सहूलियत है। मुशायरे कराये जाते हैं। गवर्नमेंट हाउस में भी मुशायरा हुआ। लोग चाहते हैं कि उर्दू में भी दरख्वास्त देने का मौका मिले और जवाब उर्दू में मिले। इससे उर्दू भी सरकारी नौकरों को सीखनी होगी और खर्चा बहुत बढ़ जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--हिन्दी की तो इसमें कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--जनरल डिसकशन है। वह गवर्नमेंट की नीति पर बोल सकते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--इनका नतीजा यह होगा कि 'आधी तज सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे।' आजकल बच्चे कालेजेज से हिन्दी और उर्दू पढ़ कर निकलते हैं मगर १०० में एक आध के सिवाय सब न तो हिन्दी में ही अच्छे होते हैं और न उर्दू में ही अच्छे हो पाते हैं। इसलिये हमारी कोशिश होनी चाहिये कि प्रचार द्वारा लोगों को बतावें कि हिन्दी क्यों की गयी है। हिन्दी से किसी को नफरत नहीं है और न उर्दू से किसी को है। तो फिर यह कहने का क्या तुक है कि तुम दरख्वास्त उर्दू में दे सकते हो। साफ साफ कहो कि हिन्दी से नफरत है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य ताली न बजावें। ताली बजाने की यहां मुमानियत है।

श्री सीता राम शुक्ल--बज गयी होगी।

अगर यह बात कही जाय कि हमको हिन्दी से नफरत है, हम उसे नहीं पढ़ेंगे, तब तो सोचा जा सकता है कि हमारे सूबे में कुछ लोग हिन्दी नहीं जानते लिहाजा उर्दू में भी दरख्वास्त देने का मौका दें या न दें। लेकिन जब कहा जाता है कि हिन्दी अच्छी है, उसे पढेंगे तो फिर हिन्दी जानने के बावजूद भी उर्दू में दरख्वास्त देने की जिद करना कहां की अकलमन्दी है ? हां, यह कहा जाय कि हमको हिन्दी सीखने के लिये समय मिलना चाहिये। लेकिन हिन्दी सीखने के बावजूद उर्दू में दरख्वास्त दें इसका क्या मतलब ? यह सिर्फ हिन्दी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और वे हिन्दी के बजाय उर्दू को चाहते हैं। वे अपना प्रचार कर रहे हैं और सरकार चुप है, सरकार के चुप रहने से गलत प्रचार होता रहता है। सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिये और अपने विचारों को अमली जामा भी पहनाना चाहिये। कहने को तो उत्तर प्रदेश की जबान हिन्दी में है, लेकिन जब आफिसर लोग अपनी डायरी लिखते हैं तो वह अंग्रेजी होती है। नोटिंग अंग्रेजी में होता है और स्पीचें दी जाती हैं कि भाषा हिन्दी हो यह कैसे हो सकता है ? जब पहले हिन्दी के लिये आज्ञा हुयी थी तो लोगों ने कुछ हिन्दी सीख ली थी लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजी में काम करने से कोई शिकायत नहीं होती तो फिर उन्होंने भी अंग्रेजी में काम करना शुरू कर दिया। रजिस्टर्स अंग्रेजी में लिखे जाते हैं,

[श्री सीताराम शुक्ल]

मेमोरेंडम अंग्रेजी में पेश किये जाते हैं। फिर बताइये हिन्दी किस प्रकार से हो ? मैंने बिहार के प्रीमियर के पास एक पत्र भेजा बंबई और सी० पी० में भेजा और उत्तर प्रदेश में भी एक बड़े आफिसर के पास भेजा, लेकिन बिहार, बंबई और सी० पी० से तो जवाब हिन्दी में मिला लेकिन यू० पी० से अंग्रेजी में जवाब भेजा गया। जिनके पास से वह जवाब भेजा गया वे हिन्दी के बड़े भक्त हैं। इसलिये आवश्यकता है कि आप प्रचार की तरफ ध्यान दें। हमारा प्रचार बड़ा कमजोर है। इसके द्वारा थोड़े पैसों में बहुत बड़ा काम होता है। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि अगले साल का बजट आने वाला है, उसमें प्रचार के लिये कुछ रकम बढ़ा दी जाय। जो भी सही बात है वह सरकार को कहनी चाहिये। भला रूस को क्या जरूरत है कि यहां प्रचार करे ? अमरीका को यहां प्रोपेगेंडा करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वे इसके महत्व को समझते हैं। इसीलिये वे प्रोपेगेंडा करते हैं। अमरीका की तरफ से व्याख्यान ही नहीं दिये जाते हैं, बल्कि ड्रामाज भी दिखाये जाते हैं। मदन मोहन जी के शब्दों में---

"खींचो न कमानों को न शमशीर निकालो,
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।"

इसके लिये मैं एक सुझाव देता हूँ कि हर मुहल्ले के लिये एक टाइम मुकरर कर दिया जाय और अलहदा-अलहदा वक्त पर उनको सब बातें बताई जायं, जिससे ज्यादा भीड़ भी न हो और लोगों को सही हालात मालूम हो जायं। अन्त में मैं आपको अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका प्रदान किया।

राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूरक अनुदान सरकार की ओर से भवन के सामने पेश किये गये हैं उनके ऊपर विचार करते हुए मैं श्रीमन को बतलाना चाहता हूं कि इसी साल जब गवर्नमेंट ने पहले पूरक अनुदान उपस्थित किये थे तो उस समय मैंने कहा था कि जब सरकार दो महीने बाद ही फिर पूरक अनुदान पेश करने वाली है तो इस समय वह क्यों रखे गये हैं। क्या वजह है कि दो महीने के बाद ही दो मोटी-मोटी किताबों के रूप में सरकार यह मांग फिर पेश कर रही है ? इसके बारे में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें जनता का पैसा बरबाद किया जा रहा है। इसी पूरक अनुदान के साथ २ पहला वाला भाग भी ला सकते थे। क्या कारण था कि जल्दी में एक सप्लीमेंटरी ग्रांट पहले पेश करायी गयी और आज उसी को लेकर दूसरी पेश की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह व्यय बिलकुल फिजूल हुआ है जो नहीं होना चाहिये। हमारी पार्टी के नेता ने कहा कि सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स के पेश होने का कुछ सिद्धान्त होता है। जब एक अनुदान में बचत हो जाती है तो दूसरी जगह उसको खर्च करने के लिये टोकिन ग्रांट लाई जाती है। यह चीज इसलिये की जाती है कि हमारी ग्रांट लैप्स न हो तथा जितना खर्चा हमको इस साल मिल गया है वह अगर फिर हमें मिल जाय तो अगले साल की रकम ज्यादा मालूम नहीं होगी।

बन के मुहकमे को ही ले लीजिये। उसमें सिर्फ इसी वजह से कोई १४ लाख रुपया पास करा रहे हैं कि अगले साल उसको न लाया जाय। मैं समझता हूं कि अच्छा तो यह था कि जो खर्च नहीं हुआ उसको सरेन्डर कर देते और आइन्दा साल किसी अच्छे काम के लिये या बन विभाग के लिये जरूरत के मुताबिक रुपया बजट में रख कर उसे पास कराते। बजाय इसके श्रीमन् सरकार की नीति में यही समझता हूं कि जो बजट यहाँ से पास हो जाय उसे पूरा खर्च करने का वह दृढ संकल्प कर लेती है। मैं समझता हूं कि इस समय जब कि घाटे का बजट है और जनता के ऊपर इतने कर का भार बढ़ा हुआ है तो सरकार को यह सोचना चाहिये कि खरचे में कुछ बचत हो। कोई भी खर्चा किसी अनुदान का क्यों न हो अगर वह बचता है तो

उससे जनता का कर भार कम किया जा सकता है। जनता के ऊपर जो इतना कर भार बढ़ा हुआ है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिये। इसलिये मैं सरकार का इस ओर बार बार ध्यान दिलाता हूं कि जिस तरह यह कर जनता के ऊपर लदा हुआ है वह चीज ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। इसका उदाहरण आपके सामने है कि सरकार ने बिजली का कर रुपये में चार आना एक दम से बढ़ा दिया और उसका आन्दोलन आप देख रहे हैं। यह आन्दोलन किसी पार्टी द्वारा नहीं, बल्कि उन आदमियों द्वारा हो रहा है जो कि हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। वह समुदाय जो कि बिजनेस समुदाय कहा जाता है उसने इस आन्दोलन को शुरू किया है और कल से इस नगर में बिजली शाम से नहीं जलाई जाती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। उसके लिये हम कोई प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर मैं यह बतला देना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट के संबंध में बोलते हुये बहुत से सदस्यों ने सरकार को बधाई दी है मगर जो आन्दोलन बिजली का हो रहा है किसी ने सरकार से यह नहीं कहा कि यह कर जो मिडिल क्लास तथा साधारण स्थिति के लोगों पर रुपये में चार आना बढ़ा हुआ है कम से कम उसको तो कम कर दें।

श्रीमन् मैं आपके जरिये सरकार को बतलाना चाहता हूं कि हर जगह की जनता करों के भार से पीड़ित है इसलिये मुमकिन है कि उसे कर न देने का आन्दोलन लाना पड़े। सरकार चाहे माने या न माने लेकिन सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि आप खर्चा बढाते जा रहे हैं। एक सदस्य श्री नौरंगलाल ने जैसा कहा कि अच्छी सरकार के यह माने हैं कि जितना कर बढाया जाय जितना खर्च बढाया जाय उतना ही अच्छा काम हो सकेगा। तो श्रीमन् अगर खर्चा बढ़ता जाता है और घाटे का बजट चलता है तो जनता इस इतने भार को नहीं बरदाश्त कर सकती है। इसका नतीजा यही होगा जो आप देख रहे हैं कि बिजली का आन्दोलन शुरू हो गया है।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उसने ५५ तहसीलदार तथा ३२ क्लर्क कृषि आय कर की वसूली के लिये महीने तक व्यर्थ में रखे जिन पर ४६,५०० रु० खर्च हुआ है। सरकार को यह उम्मीद थी कि कृषि आय कर की वसूली में इतना खर्च होगा और उसने उसे बजट में रखा, मगर इन लोगों की लापरवाही से कृषि आय कर वसूल नहीं हो सका। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि बकाया की वसूली किस तरह से होती है। साथ ही साथ जब कम्पेनसेशन में से यह काटा जाता था और अब भी काटा जाता है तो कोई वजह नहीं है कि यह रुपया बकाया रहे। फिर भी श्रीमन्, ६ महीने तक उनको रख कर इतने रुपये का अपव्यय किया गया है। मैं कोई कारण नहीं देखता हूं कि आखिर इन कर्मचारियों को ६ महीने तक क्यों रखा गया। शायद यह सोचा गया हो कि ये लोग टम्पोरेरी हैं लिहाजा ६ महीने तक और बने रहें, इसमें सरकार का क्या हर्ज है? लेकिन सरकार को यह देखना चाहिये कि इसमें पब्लिक का कितना रुपया व्यर्थ में खर्च हो गया। जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हर डिपार्टमेंट में कमी होनी चाहिये तो कोई वजह नहीं है कि ५५ तहसीलदार और ३२ क्लर्क ६ महीने तक रखते समय क्यों ध्यान नहीं रखा गया।

इसी तरह से श्रीमन् जेल अनुदान संख्या १६ है। जेल का जो खर्चा बतलाया गया है वह भी बहुत ज्यादा है। जो जरूरी खर्चा है उसको आप जाकर देखें, अगर कोई सदस्य जेल का जाकर मुआयना करे तो मालूम होगा कि जिस तरह से जानवर एक जगह भरे रहते हैं उसी तरह से अन्डर ट्रायल जेलों के अन्दर भरे रहते हैं। कहने को तो यह कहा जाता है कि पुलिस के ले जाने में इतना खर्च हुआ और उनके खाने में इतना खर्च हुआ। वह ठीक है लेकिन हमारे जिले जालौन के जेल की हालत आपको मैं बतलाता हूं। वहाँ दो सौ की जगह है और चार सौ उसमें भरे पड़े हैं, श्रीमन् वे भी आदमी हैं जानवर नहीं हैं। तो उन लोक अप्स का एक्सपेंशन होना चाहिये और जहाँ जरूरी खर्चे ऐसे हैं, उनको देखते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस अनुदान में कुछ और बढाना चाहिये था और उनकी सुविधा के लिये कोशिश करनी चाहिये थी।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

हमारे माननीय सीताराम जी शुक्ल ने जिस तरह से महात्मा गाँधी अपनी गल्ती को मान लेते थे उसी प्रकार आज उन्होंने जो गल्ती कुम्भ मेले के समय सरकार से हो गई उसको मान लिया है। उसी प्रकार अगर सरकार मान लेती तो इतना वादविवाद होता ही नहीं और लोग संतुष्ट हो जाते। मैं तो इसलिये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार अपनी गलतियाँ मान लिया करे तो उसके विरोधी कम हो जांय और साथी ज्यादा हो जांय। मगर सरकार जिद करके कुछ मानती ही नहीं है। विरोधी दल की बात को कुछ मान लिया करे। यह हम मानते है कि हम उनसे ज्यादा योग्य नहीं है हम अल्पमत में हैं, वे बहुमत में हैं, उनमें काबिलियत अधिक है कर्मचारी लोग उनका साथ देते है तो उस बहुमत के लिये उन्हें और भी नत हो कर चलना चाहिये। मैं आज अपने शुक्ल जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सरकार की तरफ से आज कह तो दिया और इसलिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके बाद टैक्सेशन के सिलसिले में मैं यह और कहूंगा कि कुम्भ मेले के अवसर पर जो टैक्स लगाया गया वह जजिया था उसका कोई दूसरा नाम बता नहीं सकता। धर्म पर जो टैक्स लगता है उसको जजिया कहते हैं उसके सिवाय दूसरा नाम नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूं कि कुम्भ के अवसर पर गरीब जनता अधिक जाती है और आज तक जितने राजा इस भारतवर्ष में हुये किसी ने भी इस तरह का टैक्स नहीं लगाया और न उनके दिल में यह मनोभाव रहा यहाँ तक कि औरंगजेब जो तास्सुबी और मुस्लिम मजहब को बढ़ाने वाला था उसने भी नहीं लगाया। आज यह भी सुन पड़ता है कि यहाँ तक कहा गया है कि जो पैसा वसूल हुआ उन्हीं पर खर्च कर दिया गया। अगर आपको सेवा करनी थी तो आप करते कहीं और से खर्च कर देते लेकिन, इस तरह से टैक्स लगाकर के धर्म की भावना पर ठेस लगाई गई है। श्रीमन्, हमारे संविधान मे लिखा हुआ है कि हम किसी धर्म के लोग नहीं हैं, धर्मविहीन हैं उसके बाद भी धर्म के मामलों पर टैक्स लगाना कहाँ तक उचित है?

इन चन्द शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इनपर गौर करेगी और अपना कार्य इन विचारों को दृष्टि में रखते हुये करेगी।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री बजट के संबंध में जो विवाद इस सदन में उपस्थित किये गये हैं, उन्हें और विरोधी दल के माननीय सदस्यों के भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुने। एक बात विशेष रूप से यह कही गई कि यह सरकार एक वर्ष के भी आय और व्यय के आँकड़े ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं कर सकती है, इसलिये सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता हुआ करती है और यह उसके इंतजाम की खराबी और गलत हिसाब के रखने और खर्च करने की वजह से है, इसके संबंध में मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रबन्ध की खराबी की वजह से नहीं बल्कि समय के परिवर्तन और सूझ की बात की वजह से है। इस बदलते हुये समय में जबकि प्रतिदिन और प्रतिक्षण समय इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि एक घटना पूरी नहीं होती है और दूसरी घटना हमारे सर पर सवार हो जाती है और समय का चक्र इतनी तीव्र गति से चलता है कि किसी बात को भी एक या दो महीने के लिये निश्चित रूप से तय किया जाना असंभव सा प्रतीत होता है उस समय में,उस परिस्थिति में केवल एक ही बात हो सकती है और वह यह है कि समय के साथ हम भी अपने कार्यक्रम को चलायें। अगर हम अपने खर्चे को और अपनी नीति को समय के साथ ही चलाते रहें तो हम समय के साथ साथ चल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि सप्लीमेंट्री बजट आता है तो वह हमारी सरकार की सूझ का प्रतीक मात्र है और इस बात का सूचक है कि हम स्टेशनरी नहीं हैं, हम रिएक्शनरी नहीं हैं, हम कन्जरवेटिव नहीं हैं, बल्कि हम अपनी डिमाँड और सप्लाई के संबंध में समय के साथ

चलना जानते हैं। ट्रांजिटरी पीरियड बड़ा कठिन सा होता है। ट्रांजीशन में यदि हम प्रत्येक घटना और प्रत्येक कंटिन्जेन्सी के लिये उचित प्रबन्ध न करें तो हम समय से पीछे चलेंगे और इससे अनेक गलतियाँ होंगी। एक समय होता है जब कि थेसिस बदल करके एक निश्चत समय और निश्चित समाज की व्यवस्था बदलती है और ऐन्टी थैसिस पैदा होती है। उस ऐन्टी थैसिस के बाद जब तक सिन्थेसिस और थैसिस नहीं आ जाती तब तक सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं चलती और तब तक हम साल भर के लिये क्या दो महीने की भी एक निश्चित योजना बनाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिये यह कह करके इस का विरोध करना कि यह सरकार की कमी है और उसके प्रबन्ध और व्यवस्था में कमी है और उसकी यह मनमानी हरकत है, जिसकी वजह से ऐसी मांगें पेश की जाती हैं, मेरी समझ में यह उचित नहीं है। सही बात तो यह है कि डाइनेमिक रूप में हमारे लिये यह आवश्यक है कि समय के अनुसार कंटिन्जेन्सी के लिये अवसर रखें और गुन्जाइश रखें और उसके हिसाब से हम अपना बजट भी बनाते चलें। कोई भी यह निश्चित नहीं कर सकता आज के संसार में, और खासकर भारत की वर्तमान परिस्थिति में, कि हम ऐसा बजट बना लें जो बदला न जा सके। यह कोई दलील नहीं है।

मैंने टैक्सेशन के बारे में माननीय सदस्यों का भाषण बड़े ध्यान से सुना। टैक्सेशन उस समय बहुत बुरा होता है जब कि हमसे टैक्स लिया जाय और उसका रिटर्न हमें न मिले। जब विदेशी हुकूमत यहाँ थी तब टैक्जेशन बहुत बुरा था। आज अगर वह टैक्जेशन जनता के हित में वापस चला आये जनता के पास, तो मेरा ख्याल है कि संसार की जितनी एस्टेबलिश्ड शासन प्रणालियाँ हैं उनकी पद्धति यही है कि देश का उत्थान, देश की उन्नति, और देश का विकास केवल टैक्सेशन से हुआ करता है। वास्तव में हम जितना ज्यादा टैक्सेशन करेंगे, देश की उन्नति भी उतनी ही ज्यादा होगी। उसका मापदंड केवल यही होना चाहिये कि वह टैक्स उसी मात्रा में जन हित के लिये वापस हो आता है या नहीं। यदि जन हित में वह वापस नहीं होता है तब उसका खंडन मंडन होना चाहिये। केवल यह कहना कि टैक्स बहुत लगा है, यह न तो विरोध है और न किसी शासन प्रणाली की रीति है। हमारे देश में जो उत्थान के कार्य किये जा रहे हैं, उनके अनुसार टैक्स ज्यादा है या कम है, इसका केवल एक ही माप दंड हो सकता है कि इन दो वर्षों में देश की हालत में कुछ सुधार हुआ है या नहीं इस बात पर विचार करना होगा। मेरा विश्वास है कि इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि खाद्य समस्या में, उद्योग धंधे में, लिविंग स्टैंडर्ड में हमारा देश इन दो वर्षों में आगे ही बढा है, पीछे नहीं गया है। टैक्स की चर्चा चलाते हुये कुम्भ मेले में लगे हुये एक टैक्स की चर्चा हुई। मुझे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना है कि प्रत्येक समय धर्म के नाम का लाभ उठाना न तो एक डिमोक्रैटिक अपोजीशन है और न किसी तरह एक साइंटिफिक खंडन है। एक प्रोपेगैंडा से लाभ उठाने की बात है। यदि कुम्भ का मेला धार्मिक है, तो उसके लिये रेल पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, बसेज जो चलती हैं उन पर किराया नहीं लगना चाहिये, और किसी प्रकार की चुंगी नहीं लगनी चाहिये, क्योंकि धर्म की बात है, धर्म मुफ्त होना चाहिये, जितने जाने वाले हैं वे मुफ्त जायं, रेलें मुफ्त चलें, बसेज मुफ्त चलें, खाना पीना मुफ्त मिले और दूसरे जितने साधन हो सकते हैं सब मुफ्त मिलें। किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिये यह बड़ा अच्छा है। यह हिन्दुस्तान धर्म परायण देश है, यहाँ रामेश्वर, द्वारिकापुरी, काशी आदि धार्मिक स्थान हैं, यहाँ आये दिन धर्म की बातें हुआ ही करती हैं, इसलिये यहाँ किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिये, क्योंकि वह भारत की संस्कृति के विरुद्ध होगा। ऐसी दशा में इस तरह का खंडन डिमोक्रैटिक अपोजीशन नहीं है, यह अपोजीशन माँगरिंग है और यह किसी एक डिसेंट एस्टेबलिश्ड पार्टी का अपोजीशन नहीं हो सकता है। यह तो अपोजीशन का स्कैंडल है। हमने यह देखा है कि हमारे इस देश में विशेषरूप से पार्टीज लेजिस्लेचर के भीतर जो बात कहती हैं, वह तो कहती ही हैं, बाहर उनके प्रोपेगैंडे का ढंग इतना आपत्तिजनक है कि मैं क्या कहूं ? मैं गन्ने के स्ट्राइक का उदाहरण आपके सामने उपस्थित करूंगा। यह स्टेट के प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति को मालूम है कि गन्ने के संबंध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ दिनों से यह विचार करना आरम्भ कर दिया

[श्री पद्मनाथ सिंह]

था और माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात को कई स्थानों पर व्यक्त किया था कि गन्ना के उत्पादकों का शक्कर के लाभ में भाग होना चाहिये। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक उच्च अधिकारी ने किसी न किसी रूप में इसकी घोषणा भी की। इस अवसर को देख कर कि यह बात होने जा रही है, अपोजीशन ने उसका लाभ उठाना चाहा और उसका श्रेय खुद लेना चाहा, इसलिये उन्होंने प्रोपेगैंडा शुरू किया और स्ट्राइक कराना शुरू किया। मैं निश्चित रूप से इस बात को आपसे कह सकता हूं कि इससे न तो किसानों का लाभ हुआ है और न पोलिटिकल स्टैंडर्ड ही बढ़ा है। इससे होता यह है कि एक बड़ी खराब भावना देश में फैलती है। साधारण जनता इस आजादी के खिलाफ होने लगी है, अच्छे शासन को खिलाफ होने लग जाती है, उसमें एक भावना पैदा होने लगती है कि सरकार जो भी अच्छा काम करती है उसका विरोध किया जाय। हमारा देश जो आज आवश्यकता इस बात की महसूस करता है कि भाई-चारे से, सहयोग और सहानुभूतिपूर्वक प्रत्येक क्षेत्र में हम उन्नति करें, देश का विकास करें, हममें एक विरोध की भावना उत्पन्न होती है, हमारा सहयोग नहीं हो सकता है, शक्तियाँ एकत्रित हो कर कार्य में लग नहीं पाती हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि आज गाँवों में चले जाइये, इस सदन के बाहर चले जाइये तो वहाँ दो तीन तरह की अजीब सी उलूल जुलूल बातें होती हैं। कोई भी काम टीक तरह से होता नहीं है। इसीलिये मैं फिर कहता हूं कि यह तो अपोजीशन माँगरिंग की बात है।

मैं टैक्सेशन के बारे में कह रहा था। कहा यह गया कि धर्म पर टैक्स लगाया गया।मुझे आश्चर्य तो तब हुआ, मैं माननीय सदस्य वीरेंद्रशाह जी की बात सुन रहा था, कि *[.....] जनहित के लिये जनता की सरकार जब टैक्स वसूल करती है ताकि देश का उत्पादन बढे तो वे धर्म की बात को लेकर विरोध करते हैं, यह बात बड़ी आश्चर्य-जनक हो जाती है। यह बात ऐसी होती है कि न तो इस सदन के भीतर और न इस सदन के बाहर विरोध के प्रति कोई आदर उत्पन्न कर पाती है।

सप्लीमेंट्री बजट क्यों होता है यह समझने की बात है। इसमें बहुत सी तो टोकेन ग्रांट्स हैं। ग्रांट्स ऐडजस्ट की जाती हैं जैसे उन्होंने बताया कि एजूकेशन में ४०० रुपये का और इस तरह से १३ लाख का फर्क पड़ गया। बालेन्दुशाह जी बोल रहे थे। तो ये ऐसे माइनर एडजस्टमेंट्स हैं कि उनकी सरकार आये या कोई भी सरकार आये, यदि कोई बेइमानी उसमें नहीं है, तो कोई विरोध की बात नहीं है।

महाराजकुमार बालेंदुशाह---एप्रोप्रिएशन्स हैं, एडजेस्टमेंट्स नहीं। इन दोनों में फर्क होता है।

श्री पद्मनाथ सिंह---मैं इसको ऐडजस्टमेंट्स कहता हूं। इसीलिये कहता हूं कि अगर उसमें कोई डिसआनेस्टी नहीं है तो इस तरह के ऐडजस्टमेंट्स तो एक मामूली परिवार में होते हैं। यह तो गवर्नमेंट है जिसका कई करोड़ का बजट है। वह ऐडजेस्टमेंट्स अगर करती है तो उसमें क्या गलती आपको दिखाई पड़ती है? आप भी आयें तो ऐडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। कौन ऐडजस्टमेंट कहां होना चाहिये इसके बारे में आपका दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है और सरकार का दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन जो भी ऐडजेस्टमेंट हैं अगर उनमें कोई नुकसान नहीं है तो मैं समझता हूं कि वह ऐडजस्टमेंट बुरा नहीं है। हाँ, यह अच्छी बात होगी अगर आप कोई बेटर सजेश्चन दें।

महाराजकुमार बालेंदुशाह---उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को आपत्ति न हो तो जानकारी के लिये मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---पूछिये।

*[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया।

महाराजकुमार बालेंदुशाह---माननीय सदस्य "ऐडजस्टमेंट" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐडजस्टमेंट और ऐप्रोप्रिएशन में वह क्या भेद देखते हैं क्योंकि मैंने ऐप्रोप्रिएशन कहा और वह ऐडजस्टमेंट कह कर उदाहरण दे रहे हैं। इसको अगर वह समझा दें तो हमारा लाभ होगा।

श्री पद्मनाथ सिंह---मैं तो बजट के जो आँकड़े हैं उनको अपने ढंग से पेश कर रहा हूं कि यह ऐडजस्टमेंट है। ऐप्रोप्रिएशन का आप चाहे जो भी अर्थ लगाते हों। जो बात आप स्वयं कह रहे थे उसी को मैं कह रहा हूं। उसको आप ऐडजस्टमेंट के रूप में क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं केवल यही कहना चाहता हूं। ऐप्रोप्रिएशन और एडजेस्टमेंट में क्या फर्क है यह तो एक लम्बी बहस होगी और बहुत माइनर डिटेल की बात है। मैं केवल यहाँ यह प्वाइन्ट आउट करना चाहता हूं कि जो आपने विरोध का इतना बड़ा आधार मान रखा है वह कोई विरोध का कारण ही नहीं, कोई आधार ही नहीं। मैं एक विशेष बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी बोल रहे थे और उन्होंने एक्चुअरी मशीन की ओर ध्यान दिलाया था। उसके संबंध में और भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट ने क्लार्क्स की संख्या को कम करने के लिये एक मशीन मंगवा ली है। इससे अनइम्प्लायमेंट की संख्या कम नहीं होती है, बल्कि और बढ़ जाती है। यह एक मौलिक प्रश्न है और मैं समझता हूं कि यह बड़े गूढ़ विचार का विषय है। हमारे देश की जन संख्या बहुत अधिक है और आज हमारी जनता अनइम्प्लायमेंट में आ रही है। इस बात को हमारी सरकार और सेंट्रल सरकार ने भी रिकगनाइज किया है। लेकिन यह प्रश्न बहुत ही डेलीकेट है कि किस अंश तक मशीन काम करे और किस अंश तक मनुष्य काम करे। यह कोई साधारण विवेचना का प्रश्न नहीं है। यह सही है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से अनइम्प्लायमेंट समाप्त हो। यह एक बात हो सकती है।

मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि ट्यूबवेल्स के खोदने में तीन चार महीने का समय लगा करता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक मशीन मंगवाई, जिससे एक हफ्ते में एक ट्यूब वेल की खुदाई हो जाती है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारे देश में ट्यूब वेल्स की खुदाई हो जाय, जिससे जो हर साल कहत आता है उससे हमारे देश की जनता की रक्षा हो सके। अगर एक एक ट्यूबवेल की खुदाई में तीन चार महीने लगें तो आजमगढ़ में जहाँ कि इतने ट्यूबवेल्स लगने हैं कितना समय लगेगा? इसलिये इस मशीन से जहाँ ट्यूब वेल्स बनाये गये हैं वहां देश को और जनहित को लाभ हुआ है। अनइम्प्लायमेंट की समस्या भले ही विकट हुई हो। इसलिये हमें इस चीज को ऐडजस्ट करना पड़ेगा कि मशीन का व्यवहार उसी हद तक होना चाहिये जिससे वह उपयोगी हो और देश में अनइम्प्लायमेंट भी ज्यादा न हो।

मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार का ध्यान इस प्रश्न की ओर उसी मात्रा में आये जितनें कि इसकी आवश्यकता है। यह बड़ा मौलिक और अनिवार्य प्रश्न है। सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित होना चाहिये कि इसको ठीक रूप से हल करने की आवश्यकता है।

जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स की बात है वह अपनी जगह पर ठीक है। एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है सिंचाई। हम देखते हैं कि इसके ऊपर बेहद रुपया खर्च होता है और वह आवश्यक ही है। सरकारी कर्मचारी इस प्रश्न को उतनी इम्पारटेंस नहीं देते जितनी कि देनी चाहिये और न उस अंश में इसको कार्यान्वित करते हैं जितने अंश में कि उसको कार्यान्वित करना चाहिये। इसलिये इम्पलीमेंटेशन में रुपया बरबाद होता है और जितना रुपया बरबाद होता है उसी सीमा तक जनता का विश्वास भी उठ जाता है। मैं इस सदन के सामने पूर्वी जिलों की बात उपस्थित करना चाहता हूं। इस सदन के माननीय सदस्यों ने खर्चे की बात कही है। उसके लिये एस्टीमेट कमेटी बैठी हुई है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में ही नहीं,

[श्री पद्मनाथ सिंह]

बल्कि सभी डिपार्टमेंट्स में सरकार का जो इम्पलीमेंटेशन है उसको करने में बड़ी देर होती है और पैसा बरबाद होता है और कर्मचारी पैसा बरबाद ही नहीं करते हैं बल्कि उसका दुरुपयोग भी करते हैं। जो काम जितने रुपये में होना चाहिये वह नहीं होता है। जितने धन में कोई काम हो सकता है उससे ज्यादा रुपया व्यय होता है इससे न सिर्फ काम का ही नुकसान होता है बल्कि जनता का विश्वास भी हम खो देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकारी योजनाओं के कार्य रूप में परिणत होकर जितना लाभ होना चाहिये वह हो सके इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अगर हम इसको नहीं देख सकेंगे तो बजट पेश करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा।

अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा वह उद्योग धंधों का प्रश्न है। इस सप्लीमेंटरी डिमांड में हम समझते हैं कि खेती का उत्पादन थोड़ा सा बढ़ गया है, यह बड़ी खुशी की बात है। दो वर्ष पहले की बात लोग भूल से गये हैं कि दो वर्ष पहले सूखा और कहत से क्या परेशानियां थीं। बहुत कुछ अंश तक लोगों को खाने-पीने को मिलने लग गया है, लेकिन हमको यह भी महसूस करना चाहिये कि केवल खेती से हमारे राज्य और देश का पूरा कल्याण सम्भव नहीं है। उद्योग-धंधे भी तीव्रता से उन्नत होने चाहियें। मैं यह नहीं कहता कि नहीं हुए, लेकिन अभी नहीं हो पाये। सरकार इस तरफ कार्य-शील अवश्य है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को पूर्वी जिलों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये, जहां कि भूमि कम है और भूमि भी उपजाऊ नहीं है, साथ ही लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां केवल खेती से कुछ आंशिक रूप में यह समस्या हल हो जाती है। आजमगढ़ में विशेष रूप से खेती के अलावा बुनाई का कार्य होता है, पर वह बहुत दिनों से बुरी तरह से चल रहा है। वहां यह हालत है कि अगर काम चला तो लोग खा पी सके वरना सात आठ महीने साल में वे भूखे रहते हैं। न तो बुनाई का कार्य वहां संगठित रूप से चलाया गया और न दूसरे उद्योग-धंधे ही वहां विशेष रूप से पनप सके। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान दे और इस कार्य को आगे बढ़ाये।

जेल के खर्चे की बात इस बजट के सिलसिले में कही गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि जेल में जितने क्रिमिनल्स हैं, बाहर उससे भी ज्यादा हैं और जितने भयंकर जेल में हैं उससे बहुत ज्यादा हमारे समाज में वे बड़े सभ्य और सज्जनता के रूप में हैं जिनसे समाज का अहित कुछ कम नहीं होता। इस प्रकार जेल के भीतर और बाहर जो क्राइम करने वाले लोग उपस्थित हैं उनकी कई तरह की शक्लें हैं। अच्छा तो यह होता कि जेल ही नहीं होती इस देश में। अच्छा होता कि जेल का जो खर्च इस बजट में है इससे भी कई गुना खर्च करके जेल का एक ऐसा परिवर्तित रूप होता, एक ऐसा रिफार्मेटरी रूप होता, जिससे जेल से बाहर निकलने वाले लोग बाहर के क्रिमिनल्स का सुधार कर सकते। इसलिये जेल के खर्चे पर तो नहीं, लेकिन जिस तरह से खर्चे का रूप है उस पर मुझे यह कहना है कि उसको बदल देने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार जेलों के रूप को बदल दे, हो सके तो अबालिश करे। मैं फिर जोर से कहना चाहता हूं कि जेल के भीतर और बाहर एक ही तरह के क्राइम करने वाले उपस्थित हैं और जिन कारणों से लोग भीतर जाते हैं उनको रोज करने वाले भी यहां हैं। इसलिये इस मौलिक प्रश्न पर विचार करके सरकार इस बात का कोई ख्याल करे कि जेल का रूप दूसरा बदले, चाहे इस ग्रांट में हमें कुछ रुपये बढ़ाने पड़ें और जो लोग बाहर आयें वह बाहर और भीतर रिफार्म कर सकें इस प्रकार का वातावरण वहां उपस्थित हो।

मैं समझता हूं कि जो बातें इस बजट के सम्बन्ध में विरोधी दल की तरफ से कही गयी हैं वे पूर्ण रूप से कोई महत्व नहीं रखतीं। मैं समझता हूं कि जो मांगें मांगी गयी हैं और जो खर्चे किये जाते हैं सरकार की तरफ से, वह इतने अनिवार्य और आवश्यक हैं जिनमें सहयोग की जरूरत है। यहां एक एस्टीमेट कमेटी बनी हुई है जो कि खर्चे के सम्बन्ध में इंक्वायरी कर रही है और लगातार उसका काम हो रहा है। उसकी रिपोर्ट, जहां तक मुझे सूचना है, शीघ्र ही सदन के सम्मुख उपस्थित होने वाली है और वह इस सरकार की सद्इच्छा का काफी बड़ा प्रमाण है कि वह खर्चे को कम करने के लिए किस तरह से उत्सुक है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो एस्टीमेट कमेटी बनायी है और जो कुछ उसके कारण कमी हुई है वह इस बात के लिए काफी संतोषजनक दूसरों के लिए है कि हमारी सरकार की नीति का यह प्रमाण है कि खर्चा कम हो और मुझे विश्वास है कि उसके फलस्वरूप अवश्य खर्चे कम होंगे।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो पूरक अनुदान उपस्थित किया गया है अगर उसको शुरू से आखीर तक हम देखें तो यह मालूम होगा कि अभी दिसम्बर में दो महीने पहले एक पूरक अनुदान आया था और ठीक दो महीने के बाद एक दूसरा पूरक अनुदान हमारे सामने आया। जहां तक इसकी अहमियत का प्रश्न है अभी माननीय पद्मनाथ जी ने यह बतलाया है कि समय समय पर सरकार की नीति बदलती रहती है और जैसा समय आता है उसी के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा विचार है कि जहां तक बजट का सवाल है यह ठीक नहीं है कि किसी देश का बजट हम जब चाहें तब बदलें या जिस रूप में चाहें उस रूप में रखें। यह तो एक ऐसी चीज है जिससे कि हमारे देश की व्यवस्था किस तरीके पर चल रही है या हमारे देश में किस तरीके पर कार्य चल रहा है, यह जो हमारे अनुदान हैं या ग्रांट्स् हैं, यह उसकी द्योतक होती हैं। इसी से हम जानते हैं कि किस प्रदेश की व्यवस्था किस तरीके पर चल रही है। अब दो महीने के अन्दर जो दो-दो पूरक अनुदान हमारे सामने उपस्थित किये गये हैं इससे यह मालूम होता है कि हमारी सरकार ने किस तरीके पर अपने कार्य को चलाया है कि उसको दो महीने पहले यह भी नहीं मालूम था कि कुछ और भी मांगें हैं जो इस सरकार के कार्य के लिये जरूरी हैं और जिनका रखना पहले भी इतना ही जरूरी था जितना कि आज है। अगर हम यह देखें तो हमारा तो यह ख्याल है कि सरकार उस वक्त सो रही थी और आज जब उसकी नींद खुली तो फिर यह जरूरत आज इस सदन के सामने लायी गई और इससे सिर्फ छपाई का ही व्यर्थ का खर्चा नहीं हुआ बल्कि हमारे जितने अधिकारी इस दूसरे अनुदान को तैयार करने में लगे उनका समय भी बर्बाद हुआ। मैं समझता हूं कि अगर यह चीज पहले ही सोच ली गई होती तो ज्यादा अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने सन् १९५०-५१ में बजट भाषण में यह बतलाया था,

"अतिरिक्त कर लगाकर धन की कमी को दूर करना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। इस तरीके को अपनाकर थोड़ी वृद्धि हो सकती है किन्तु इस कष्ट को ध्यान में रख कर, जो नया टैक्स लगाने से जनता के कई वर्गों को सहन करना पड़ेगा, सरकार ने दूसरा ही रास्ता अपनाया है और अपने बजट की आय और व्यय को बराबर करने के लिए खर्च में किफायत करने का निश्चय किया है। बजट की जांच करने से पता चलेगा कि प्रत्येक विभाग का व्यय घटा कर कम कर दिया गया है और इस प्रकार जो बचत हुई है, उसे राष्ट्र निर्माण कार्यों में लगा दिया गया है। पहिले वर्ष एक मितव्ययिता, बीमा और साधन समिति नियुक्त की गयी थी और इसकी कुछ सिफारिशें

[श्री कमला सिंह]

कार्यान्वित की जा चुकी हैं। समस्त मुख्य विभागाध्यक्षों और दूसरों को कड़ी हिदायतें दे दी गयी हैं कि वे यात्रा के भत्तों और प्रासंगिक व्ययों की मदों में कमी करें। बजट वर्ष में इस प्रकार के व्ययों को पूरा करने के लिये विभागाध्यक्षों के सुपुर्द धनराशि में अत्यधिक कमी कर दी गयी है।"

एक प्लानिंग बोर्ड भी स्थापित किया गया था जिससे कि खर्च में कमी की जा सके और सब कार्य सुचारु रूप से चल सकें, यह १९५०-५१ की बात है। लेकिन आज माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने यह बताया कि एक एस्टीमेट्स कमेटी भी सरकार ने नियुक्त की है, जिसकी रिपोर्ट आने वाली है। मैं तो समझता हूं कि पहले जो १९५०-५१ में प्लानिंग बोर्ड नियुक्त किया गया था, उसकी रिपोर्ट आज तक देखने का मौका नहीं मिला और अगर सिर्फ कमेटी ही कमेटी बनाने का निश्चय सरकार ने किया हो और कमेटियां बना दी जायं लेकिन उनकी रिपोर्टों को अमल में न लाया जाय तो मैं नहीं समझता कि इन कमेटियों के बनाने से हमारा कोई फायदा होगा।

अब एक चीज हमें खास तरीके पर यह देखनी है कि जहां तक टैक्सेशन का सवाल है हमारे माननीय पद्मनाथ सिंह ने यह बतलाया कि जनहित कार्य कोई भी हो आज अगर उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाय तो वह बुरा नहीं है, क्योंकि वह जनहित के रूप में हमें मिलता है, लेकिन हमारे सामने एक समस्या है कि कोई अगर गरीब आदमी हो, उस पर भी आज ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करें जैसा कि आप बड़े आदमी पर लगाते हैं, तो वह चीज तो उचित नहीं मालूम होती है, क्योंकि बड़े आदमी की जो पेइंग कैपेसिटी है वह अच्छी होगी और जो गरीब होगा उसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ही कम होगी। तो हमें इस सम्बन्ध में यह भी देखना पड़ेगा कि जिस आदमी पर हम किसी तरह का टैक्स लग रहे हैं उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। अगर आज टैक्स की तरफ ध्यान दिया जाय तो इस प्रदेश में आज इतना टैक्स लगाया जा रहा है कि मैं समझता हूं कि जल्दी वक्त आयेगा कि जनता इससे ऊब जायगी। तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी जनता की जितनी आय है उसी के मुताबिक व्यय कर रहे हैं या आय से ज्यादा व्यय कर रहे हैं। इसीलिए यह बजट बनाया जाता है। इस पूरक अनुदान को अगर शुरू से आखीर तक देखा जाय तो जिस मद में जो रुपया रखा गया अगर वह उसमें खर्च नहीं हुआ तो दूसरी मद में डाल दिया गया और दूसरी में अगर नहीं खर्च हुआ तो तीसरी में डाल दिया गया। इस तरह से जितना बजट है पूरा किया जाता है। लेकिन हमारा ख्याल है कि कोशिश यह करनी चाहिये कि जितनी मदें हों उन सब को चलाना नहीं चाहिए। हमारे लिए जिस मद की ज्यादा जरूरत हो उस मद को हम पहले लें। उसके बाद दूसरी मद को लें। इस तरीके पर चीजें हो सकती हैं और कम महत्व की चीजें बाद में थोड़ी-थोड़ी करके ले सकते हैं या उनकी पूर्ति थोड़ी-थोड़ी जारी रहे।

अगर बिजली की अवस्था की तरफ देखा जाय तो ज्यादा जोर रिहन्द डैम की तरफ दिया गया है। रिहन्द बांध की योजना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्व की है और खास कर पूर्वी जिलों के लिए है। लेकिन अगर यह देखा जाय कि कितना रुपया इसमें खर्च किया जाता है तो बहुत ही अफसोस की चीज मालूम होती है। इस बांध से केवल इसी प्रदेश को लाभ नहीं बल्कि सी० पी० और बिहार वगैरह भी इससे लाभ उठा सकते हैं। उस चीज को इस तरीके पर रखा गया है। हम उसमें कम से कम रुपया लगा रहे हैं। हमें यह देखना चाहिए कि अगर हमारे देश के लिए कोई भी महत्वपूर्ण योजना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा रुपया लगा कर पूरी करनी चाहिए ताकि हम इससे जल्द से जल्द फायदा उठाने लगें। हमारे पूर्वी इलाके में जहां कोई

उद्योग धंधा नहीं है वहां पर अगर बिजली मिल जाती है तो नये नये उद्योग धंधे खुल सकगे और वे बेरोजगार लोग जो कार्यक्षमता रखते हुए भी साधन हीन हैं जिसमे वे जीवकोपार्जन कर सकें उनको सहायता मिल सकती है, इन्हीं चीजों को जल्द से जल्द पूरा करें जिसचे वह लोग जो काम करने की तमन्ना रखते हैं उनको काम करने के साधन मिल सकें और अपने को आगे बढ़ा सकें।

एक चीज हमारे देखने में आयी कि दुर्भिक्ष जिसके लिए यह अनुदान रखा गया है वह खासकर पूर्वी जिलों के भाग में है। पूर्वी जिलों में अभी सूखा पड़ा और बारिश हुई तो इतनी जोरों की हुई कि लोगों का रहना ही मुश्किल हो गया। इस बाढ़ में हम लोगों ने देखा कि जो अनुदान दुर्भिक्ष के लिये आया हुआ है उससे पूर्वी जिलों को जो मदद मिली कहाँ तक वर्णन करूं ? सिर्फ यही कहना काफी होगा कि वहां पर लोगों के लिये रास्ता भी बन्द हो गया था दूसरी जगह जाने के लिये। लोग बेचारे अपने गाँव में ही घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे; उनके पास खाने के लिये कोई सामान नहीं था सरकारी कर्मचारी वगैरह मुश्किल से पहुंच पाते थे। बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ कम होने पर लोग पहुंचे हैं। इतना ही नहीं जो हमें इमदाद दी जाती है वह सिर्फ एक सेर चना एक आदमी पर मिलता था। गाजीपुर जिले में ही सिर्फ एक सेर चना आदमी पीछे हम लोग पाते हैं और नमक और तेल थोड़ा सा। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सहायता आपने पूर्वी जिलों में और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचाई। मैं तो यह समझता हूं कि पूर्वी जिलों की जमीन की तरफ देखा जाय तो वे पश्चिमी जिलों की जमीन से कहीं अच्छी हैं और उपजाऊ हैं, अगर किसी तरह से सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया जाय। ऐसा होने पर वहाँ इतनी अच्छी उपज हो सकती है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा भाग को वहाँ के लोग खिला सकते हैं। लेकिन सिंचाई की योजना का यह हाल है कि केवल ५, ६ ट्यूबवेल्स बन पाये हैं जो कार्य रूप में दो तीन महीने के अन्दर परिणत हो पाये हैं। मैं समझता हूं कि वहाँ अधिक से अधिक ट्यूबवेल्स बनाये जायं। इससे हर साल जो हम दुर्भिक्ष डिमाँड रखते हैं और दुर्भिक्ष सहायता के ऊपर जो वहाँ के लोग निर्भर करते हैं वह दुःख वहाँ का दूर हो जायगा और इस तरह से हमारे पूर्वी जिलों का कल्याण हो सकेगा।

जहां तक उद्योग धन्धों का सवाल है मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह बतलाना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले में जो बड़ी तहसील है उसके अन्दर एक ओपियम की फैक्टरी है। वहां लेबरर्स जाकर किसी तरह से जीविकोपार्जन करते हैं और जो दूसरी तहसीलें हैं वहां कोई कल कारखाना नहीं है जहां पर हमारे लेबर क्लास के लोग या गरीब लोग जाकर कुछ कार्य कर के अपना जीवकोपार्जन कर सकें। कई बार कहा गया कि हमारे यहां शुगर फैक्टरी बना दी जाय, गाजीपुर जिले में औड़िहार तहसील है, वहां जंकशन भी है, बलिया, आजमगढ़, बनारस और जौनपुर से आसानी से गन्ना आ सकता है। वहां के लिए कई बार कहा गया कि एक शुगर फैक्टरी बना दी जाय लेकिन आज तक सरकार पर जूं तक नहीं रेंगी और न कोई कार्यवाही की गई। अगर छोटे-छोटे उद्योग धंधे भी पूर्वी जिलों में खोल दिये जायं तब भी हमें कुछ संतोष हो जाता है।

जहां तक जेल का सवाल है, जेल की अनुदान में ज्यादा खर्चा दिखलाया गया है। कैदियों की संख्या बढ़ रही है। मैं तो समझता हूं कि यह संख्या चौगुनी और दसगुनी होनी चाहिये जब कि हमारे प्रदेश की सरकार का यह विचार है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को सजा दी जाय और जेल में रखा जाय, जैसा कि अभी क्रिमिनल प्रोसीजनर कोड में अमेंडमेंट आने वाला है। पिछला जो बजट था उस वक्त मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि हम यह देखते हैं कि

[श्री कमला सिंह]

कुछ सर्कमस्टैंसेज होते हैं जिनकी वजह से मजबूर होकर कोई आदमी क्राइम करता है। सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिये कि जिन परिस्थितिवश मजबूर होकर कोई आदमी क्राइम करता है और वह जेल में जाता है, छूट कर जब आता है तो फिर मजबूर होकर वही क्राइम करता है और फिर दोबारा जेल जाता है। ऐसी स्थिति में हमें उस परिस्थिति को हल करना चाहिये, जिससे मजबूर होकर उसे क्राइम करना पड़ता है और जेल का कैदी बनना होता है। जो वातावरण हम जेल में पैदा करना चाहते हैं उससे पहले ही अगर हम उन परिस्थितियों को दूर कर दें, अगर उन कारणों को, जिनसे मजबूर होकर वह शख्स क्राइम करता है, दूर कर दें तो मैं समझता हूं कि जेलों में कैदियों की संख्या बहुत कम हो जायगी और जेल जिसको हम पद्मनाथ सिंह जी के शब्दों में रिफार्मेटरी स्कूल बनाना चाहते हैं उसकी आवश्यकता ही न रहेगी। पूर्वी जिलों को अगर मवेशी अस्पतालों के मुताल्लिक देखा जाय तो वहां पर मुश्किल से १ या २ अस्पताल मिलेंगे। खास तौर से गाजीपुर जिले में तो मुश्किल से एक ही अस्पताल है, जहां पर कृत्रिम गर्भाधान के तरीके पर काम होता है। वह इस तरीके पर बहुत ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि हमारे प्रदेश में अच्छे नस्ल के सांडों की कमी है। इसलिये इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे यहां अच्छे जानवर हों और हम अपने यहां की नस्लों को सुधारें। इसी वजह से कृत्रिम गर्भाधान के जरिये से यह प्रयत्न किया जा रहा है जिसके ऊपर सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाय। उसके लिये यह जरूरी मालूम होता है कि अधिक से अधिक वैटेरिनरी अस्पताल पूर्वी जिलों में खोले जायं। हमारे गाजीपुर जिले में एक ही अस्पताल है। अगर वहां पर सारे जिले के जानवर आ जायं और उस सदर के अस्पताल में इकट्ठा हो जायं तो फिर मुश्किल हो जाय और अच्छे तरीके से काम नहीं चल सके। इस वजह से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार पूर्वी जिलों में ज्यादा से ज्यादा वैटेरिनरी अस्पताल खोलने की कोशिश करे।

गाजीपुर के जनाना अस्पताल को मुझे देखने का मौका मिला। मैंने वहां पर देखा कि कोई भी फिमेल कम्पाउण्डर नहीं है। उसका नतीजा यह होता है कि जो परदानशीन औरतें वहां जाती हैं उनको बड़ी परेशानी महसूस होती है। वह नहीं चाहती हैं कि उनकी सेवा मेल कम्पाउण्डर करें। मैं यह समझता कि किसी भी जनाने अस्पताल में मेल कम्पाउन्डर का रखना जरूरी नहीं है और सरकार वहां पर फ़ीमेल कम्पाउन्डर का प्रबन्ध करे तो यह एक अच्छी चीज होगी।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार को बधाई देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि वह पूर्वी जिलों के अनुदान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भविष्य में एक से अधिक सप्लीमेंटरी बजट न लाने की कोशिश करेंगी।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने पेश किये गये बजट पर विरोधी दल के सदस्यों के भाषणों को मैंने बड़े ध्यान के साथ सुना। ऐसा लगता है कि विरोधी दल के सदस्य इस बात को महसूस नहीं करते कि राज्य का कार्य चलाने के लिए जो आवश्यक व्यय होता है उस पर उनकी स्वीकृति की छाप उतनी ही आवश्यक है जितनी कि इस पक्ष में बैठे हुये सदस्यों की होती है। राज्यकार्य संचालन में उनका भी उतना ही उत्तरदायित्व है और उतना ही हिस्सा होना चाहिये जितना कि इधर के लोगों का है, वह चाहे इस बात को स्वीकार न करें लेकिन होना चाहिये। किसी ने भी एक भी भाषण में ऐसे व्यय पर यह आपत्ति नहीं उठायी कि यह व्यय अनुचित है या आवश्यक नहीं है। जब ऐसी स्थिति है तो ईमानदारी

का यह तकाजा है कि उसके सम्बन्ध में यहां पर सुझाव दिये जा सकते हैं, किन्तु उसमें विरोध प्रकट करना असंगत प्रतीत होता है।

जहां तक बजट के टैक्सेशन करने का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में माननीय वीरेन्द्रशाह और अन्य मित्रों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनमें माननीय वीरेन्द्र शाह जी के मुंह से तो समीचीन मालूम हो सकते हैं किन्तु अपने को प्रगतिशील मानने वाला दल, नेशनलाइज का नाम पुकारने वाला दल जो यह चाहता हो कि इंडस्ट्री को हमारे राज्य में जितनी भी अर्थ व्यवस्था है उसको नेशनलाइज कर दें, तो उस प्रकार का दल भी जब टैक्सेशन की नीति का विरोध करता है तो मुझे आश्चर्य होता है। यह बात ठीक है कि इनडाइरेक्ट टैक्सेशन का हम कुछ हद तक विरोध करते हैं और करना चाहिये, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे उसमें टैक्स देने की कैपैसिटी हो या न हो, बोझ पड़ता है। किन्तु जब किसी खास मद को लेकर उससे सम्बन्धित वर्ग का व्यक्तियों पर जब टैक्सेशन होता है तो यह मानी हुई बात है कि उनके अन्दर प्रेइंग कैपेसिटी है। उनसे जब तक कर नहीं लिया जायगा तब तक राज्य का कार्य नहीं चल सकता है।

हमारे कई मित्रों ने कुम्भ मेले के टैक्स का जिक्र किया और राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया। किन्तु वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह राजा हर्षवर्धन का युग नहीं है। यह जनता की सरकार का युग है। हमारे माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी का हंसना यथोचित है क्योंकि राजाओं की सरकार तो अब रही नहीं और उन्हें हंसना भी चाहिये। तो मैंने कहा कि यह हर्षवर्धन का युग नहीं है। जनता की सरकार है और जनता की सरकार जितना भी कार्य करती है उसके लिये धन की व्यवस्था जनता के ही द्वारा हुआ करती है। कुम्भ में लगाये गये कर को हमारे एक मित्र ने अधार्मिक बताया है। या तो वह हमारे हिंदू धर्म के तत्व को नहीं जानते और उसके स्थूल रूप को ही वह हिन्दू धर्म समझते होंगे वरना हिन्दू धर्म के तत्व को समझते तो उस टैक्स को अधार्मिक नहीं कहते, क्योंकि हमारे यहां तो प्रत्येक कार्य संकल्प से शुरू होता है जिसमें पैसा दूध इत्यादि चढ़ाया जाता है। एक चीज और। कुछ हमारे मित्रों ने आर्थिक दृष्टि से भी इस पिलग्रिम्स टैक्स का विरोध किया। उनको स्नानार्थियों से हमदर्दी है मगर उसके साथ-साथ किसी ने यह नहीं कहा कि प्रयाग के स्टेशन पर उतरते ही रिक्शा, तांगा और घाट पर पहुंचने पर नाव जो यात्रियों ने इस्तेमाल किये उन लोगों ने क्यों २ आने की जगह २, २ रुपये यात्रियों से लिये। जो यात्री सचमुच २० या २५ रुपये की ही व्यवस्था करके आये हों उनका बजट फेल हो जाता था, जब वे यह देखते थे कि स्टेशन से चौक तक आने के लिये २ रुपये या ३ रुपये इक्का, रिक्शा वाले लेते थे। इसके विरोध में एक भी विरोधी दल की तरफ से वक्तव्य नहीं दिया गया कि यात्रियों का जो शोषण किया जा रहा था उसके लिये कुछ कहते क्योंकि शायद उसमें उनकी लोकप्रियता को चोट पहुंचती है। तो यात्रियों की आर्थिक स्थिति से हमदर्दी दिखलाकर इस टैक्स का विरोध किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। विरोध तो इसलिए किया गया कि उनको तो सरकार के हर कार्य का विरोध करना है ही। वरना वहां की इस प्रकार की स्थिति में वह सांकेतिक दृष्टि से ही कहते और उनके यूनियनों द्वारा ही कहते कि भाई यह तुम क्या कर रहे हो और २ आने की जगह २ रुपये क्यों ले रहे हो? यह यात्रियों के साथ हमदर्दी दिखाने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि उनको अच्छा हो या बुरा हो, सरकार के प्रत्येक कार्य का विरोध करना है इसीलिये इस टैक्स का भी विरोध किया गया है। जो रुपया कि पिलग्रिम टैक्स के बहाने से लिया गया उसको जनता से तो लिया ही जाता। जब कोई आदमी वहां ५०–६० रुपया खर्च करने के लिये आता है और अगर उस पर ८ आना या एक रुपया टैक्स का लगा दिया जाता है तो उसमें क्या बुराई है? अगर सरकार इस जरिये से रुपया न लेकर किसी और तरीके से लेती लेकिन वह आता जनता से ही।

[श्री देवदत्त मिश्र]

इसलिये सरकार ने इस प्रकार से पिलग्रिम टैक्स लगाकर कोई अनुचित कार्य नहीं किया।

सूचना विभाग के सम्बन्ध में कई और माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। जहां तक नव निर्माण का सम्बंध है सिंचाई विभाग में विभिन्न जिलों में नलकूप और नहरों तथा रिजर्वायर्स (जलाशयों) की व्यवस्था की है, यह कार्य बहुत ही सुन्दर किया है किन्तु मुझे सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि जितनी प्रगति सरकार नव निर्माण के कार्यों में कर रही है उतनी ही अच्छी प्रगति सरकार को जल वितरण में भी करनी चाहिये। मैंने सरकार का ध्यान इस तरफ कई मर्तबा आकर्षित किया है कि कृषकों को बढ़े हुए टैक्स के देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती यदि उनको समुचित ढंग से और समय पर पानी मिल जाया करे। इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी पेइंग कैपेसिटी है और वे दे सकते हैं किन्तु उनमें इससे असंतोष होता है कि जब उनको ठीक समय पर पानी नहीं मिलता है। मुझे आशा है कि हमारे कमलापति जी त्रिपाठी जो इस विभाग के मंत्री हैं, इस ओर ध्यान देंगे। उन्होंने इस विभाग की उन्नति करने के लिये यत्न किया है और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि प्रकृति ने भी उनका साथ दिया है। आस्तिकता की दृष्टि से यह एक शुभ लक्षण है लेकिन साथ ही साथ मनुष्य का भी इसमें सहयोग होना चाहिये। जल वितरण की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो बढ़ते हुए टैक्स के सम्बंध में जो निराधार प्रचार हो रहा है उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी लेकिन उसके प्रतिकूल अवस्था में इस अनर्गल प्रचार का कुछ असर हो सकता है।

हमारे एक मित्र ने, जिसका कि आरंभ विरोधीदल के उपनेता ने किया, रिकार्ड मशीन के सम्बन्ध में भी कहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देश में बड़ी-बड़ी टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज की तरफ तो ध्यान नहीं दिया जाता और इस छोटी सी चीज को लेकर उसका विरोध किया जाता है। आप इस रिकार्डर मशीन को बंद करके बेकारी की समस्या को दूर नहीं कर सकते। बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये बड़ी-बड़ी मिलों, गवर्नमेंट प्रेस की बड़ी-बड़ी मशीनों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिये किन्तु ऐसा लगता है कि आदमी कभी कभी भावुकता में बह जाता है और भावुकता में बह कर वह इस प्रकार का विरोध कर बैठता है जो कोई माने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। तो जहां तक बजट का सम्बन्ध है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने जितना व्यय किया है वह समुचित ढंग से व्यय किया है और जैसा मेरे माननीय मित्र श्री पद्मनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा कि एस्टीमेट कमेटी की जो रिपोर्ट आने वाली है उसी से यह सिद्ध होगा कि सरकार मितव्ययिता की तरफ कितना ध्यान रखती है और वह इस बात के लिये कितनी प्रयत्नशील है कि जो अनावश्यक व्यय होता है उसे रोका जाय। ऐसी अवस्था में हमारा ऐसा ख्याल है कि जो हमारे विरोधी दल के सदस्य हैं वे सहानुभूति के साथ बजट पर दृष्टिपात करेंगे। केवल विरोध करने की भावना से विरोध करना यह किसी भी शिष्ट समाज के लिये शोभनीय नहीं है।

एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। इस वातावरण में, मैंने उस दिन भी यह बात कही थी और आज भी कह रहा हूं कि विरोधी दल के ऊपर उसका ज्यादा उत्तरदायित्व है कि वह ज्यादा सत्यनिष्ठा के साथ काम करे। आज जितने भी काम हैं, समाज के, शासन के या देश के, उन त्रुटियों को दूर करने में, उन खराबियों को दूर करने में, एक खराबी दूसरी खराबी से दूर नहीं हो सकती। एक अन्याय दस अन्याय से दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि अन्याय न्याय से ही दूर किया जा सकता है, बुराई को अच्छाई से ही दूर किया जा सकता है। तो विरोधी

दल से हमारा नम्र निवेदन यह है कि जहां पर विरोध की गुंजायश हो, बेशक विरोध करें, हमें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। किन्तु प्रगति की योजनाओं का, जिनसे राष्ट्र का हित होता है, विरोध करना उचित नहीं है। यह बात ठीक है कि इस प्रकार की योजनाओं के विरोध करके कुछ अपने दल का हित भले ही कर सकते हों, कुछ मित्रों का हित भले ही कर सकते हों, किन्तु उससे समाज, राष्ट्र और देश का हित नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ अब मैं बैठ जाता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुपूरक अनुदानों के बारे में जो वादविवाद हुए उन्हें मैंने गौर से सुना। इस समय मैं दो तीन महत्वपूर्ण एवं बुनियादी विषयों के ऊपर ही सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। जेल के विषय में ग्रांट को जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत आशा थी कि इस सदन में इसके पहले जो राजनीतिक बन्दियों के विषय में जोरदार आवाज उठ चुकी है, एक गैरसरकारी राजबन्दी विधेयक पेश करने का विरोधी पक्ष ने उस समय अपनी भावनाओं का इजहार किया था और इस प्रकार एक अपील की थी कि सरकार जरूर इस विषय की ओर ध्यान दे। उस विषय पर ख्याल किया गया होगा। आज जब कि हमारे प्रदेश की बहुत सी जेलों में कई प्रकार के राजबन्दी बन्द किये जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी ध्यान सरकार ने आज तक और अभी तक नहीं किया। बावजूद इसके कि दो दो सप्लीमेंटरी बजट इस सदन में पेश किये जा चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कतई कोई जिद का विषय नहीं है। यह एक इन्सानियत और मानवता का प्रश्न है। इतना समय बीत जाने के बाद भी मैं इस बात को समझ नहीं सका हूं कि क्यों मामूली चोरी, डकैती, कत्ल और खून वाले आदमी जो इन जेलों में जाते हैं उनके साथ जो व्यवहार हो वही उस आदमी के साथ भी व्यवहार हो जो हिन्दुस्तान के किसी सर्वमान्य प्रमुख राजनीतिक पार्टी का मेम्बर हो, जो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या किसी अपने पारिवारिक हित को लेकर जेल नहीं गया हो बल्कि एक उदार एवं सार्वजनिक भावना के वशीभूत होकर एक सार्वजनिक काम को लेकर जेल गया हो? श्रीमन्, मिसाल के तौर पर आप एक बात सोच सकते हैं। आज पेप्सू में एलेक्शन हो रहा है। लेकिन इसके पहले, जब वहां प्रेसीडेंट रूल नहीं हुआ था और जब रारेवाला मिनिस्ट्री काम कर रही थी उस समय उस मिनिस्ट्री में बहुत से गलत काम हो रहे थे, वह एक प्रतिक्रियावादी मिनिस्ट्री वहां कायम हो गई थी। उसके खिलाफ अगर कांग्रेसजन, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, कोई आवाज उठाते और उस सिलसिले में उनको जेल जाना पड़ता तो मैं पूछना चाहता हूं सरकारी पक्ष से, कि क्या उनको हम मामूली कैदी समझते?

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना उत्पादकों का जो आन्दोलन आज चल रहा है, जिसके विषय में हमारे प्रदेश में कई सौ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर, जिसमें इस हमारे सदन के कुछ माननीय सदस्य भी हैं जेल गये हैं। कानपुर, फतेहगढ़, गोरखपुर, बनारस और बहराइच आदि जेलों में करीब कई सौ कम्यूनिस्ट बन्दी आज बन्द हैं जो किसी व्यक्तिगत मामले में जेल नहीं गये हैं। मैं इन्सानियत के नाम पर अपील करता हूं कि इस विषय में सरकार जिद के नाते नहीं, किसी इस भाव से कि कोई आदमी विरोधी पक्ष का है तो हम उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे, सियासी बदला लेने की भावना से करेंगे, वरन् उदार भाव से विचार करें। जो चीज आज जेलों में हो रही है हम चाहेंगे कि सरकार इस विषय पर ठंडे दिल से इन्सानियत की रू से गौर करे और इस पर कुछ ऐसा कदम उठावे, ताकि उनके साथ मामूली कैदी की तरह से व्यवहार हरगिज न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो बहुत गम्भीर है और जिसको मैं आपके जरिये सदन के सामने और विशेष कर सरकार से कहना चाहता हूं वह यह है कि आज अमेरिकन

[श्री झारखंडे राय]

पेनिट्रेट्स, अमरीकी घुसपैठ हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश में भी अब तो इसका जाल फैलता जा रहा है। दक्षिणी हिन्दुस्तान के बहुत से भाग तो उनके गन्दे काम के अड्डे बने हुये ही थे, अब हमारे सूबे में भी उनकी घुड़दौड़ शुरू हो गयी है। अभी पिछले हफ्ते की बात है तब से प्रायः ६ अमरीकी एजेण्ट हमारे इसी लखनऊ शहर में खुले आम घूम रहे हैं और हमारे जो नवजवान पत्रकार हैं उनको घूस दे करके एवं अन्य तरीके से करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे लोग उनके मन के मुताबिक, उनकी भावनाओं के अनुरूप, अखबारों में लेख लिखें, प्रचार करें और ऐसी खबरें इस प्रकार अखबारों में छापें जिससे हिन्दुस्तान में जो पाक-अमरीकी फौजी सुलह की वजह से आज अमरीका विरोधी भावना फैल रही है, हमारी पुरानी राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार, एक राष्ट्रीय भावना फैल रही है, सन् १९४७ के बाद जो सबसे बड़ा संयुक्त मोर्चा देश में अपने आप बनता जा रहा है, उसकी रोकथाम की जाय। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी जो इस समय बैठे हुये हैं इस विषय पर विशेष ध्यान दें नहीं तो कहीं वाजिद अली शाह वाली बात न हो जाय। दुर्भाग्य से इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही इस समय भी है। अंग्रेज दरवाजे तक पहुंच गये और वाजिद अली शाह जूते पहनने ही में लगे रह गये और गिरफ्तार हो गये। कहीं पुनः इतिहास में ऐसा न हो। हमारे देश में आज बहुत बड़ा राष्ट्रीय दुश्मन अमरीका छिपे दरवाजे से हमारी आजादी पर हमला करना चाहता है। उनके एजेण्ट आज घूम करके हमारे नवजवानों को या और लोगों को करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक भी खबर मिली है कि एक अमेरिकन सज्जन थामस रस हैं। वे हमारे इस सूबे की सरकार के प्रमुख व्यक्तियों से और सरकारी अधिकारियों से तथा मंत्रियों तक से मिलते हैं। उनसे राजनीति पर चर्चा भी करते हैं इसलिये कि देखें कि कांग्रेस के अन्दर ऐंटी नेहरू, नेहरू विरोधी भावना कितनी है, कांग्रेस के अन्दर ऐंटी नेहरू महाज कैसे बन सकता है, इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं और वे सज्जन इसीलिये आये हुये हैं कि कांग्रेस के अन्दर पिछले कुछ वर्षों से कितना लेफ्ट ट्रेण्ड है, कांग्रेस संगठन के अन्दर जो वाम पक्षी झुकाव है उसकी तलाश करें और कांग्रेस के अन्दर जो पारस्परिक गुटबन्दी के झगड़े हैं जो व्यक्तियों की टक्करें हैं, उनका इस्तेमाल अमरीकी साम्राज्यवादी जंगखोरी स्कीमों के लिये कैसे कर सकते हैं, वे सज्जन इसकी तलाश में हैं। इस तरह के लोग हमारे मंत्रियों से, उपमंत्रियों से, मिलते हैं और उनसे राजनीति पर बातें करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे सूबे की सी० आई० डी० और पुलिस इस बात पर तुरन्त ध्यान दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय की ओर सरकार का ध्यान पुनः पुनः खींचना चाहता हूं। इतना ही नहीं, हमारे सूबे से मिली हुई नैपाल की सरहद है जिसका जिक्र माननीय रामकुमार शास्त्री जी ने अभी किया है। वहां पर भी ये अमेरिकन एजेन्ट पहुंच गये हैं और वे कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जो आज अमेरिकन विरोधी भावना फैलती जा रही है और एक जबरदस्त मोर्चा बनता जा रहा है उसके खिलाफ जनता के दिमाग को उभाड़ें। उपाध्यक्ष महोदय, इस अमरीकी घातक घुसपैठ की रोशनी में जब हम अपने देश और प्रदेश की विकास योजनाओं को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि आज विकास योजनाओं के मातहत हम विदेशी ऋण के ऊपर, विदेशी टेकनिकल एक्सपर्ट्स की एडवाइस के ऊपर या विदेशी किसी भी प्रकार की सहायता के ऊपर जो कुछ करते हैं वह हमारे लिये खतरनाक होगा। देहात में कहावत है कि "हलवाई की दुकान हो और उस पर कुतिया चौकीदार" रख दिया जाय, तो हलवाई की दूकान कहां तक बच पायेगी और उसकी जलेबियां कहां तक बचेंगी? हम अपने तमाम उद्योग-धंधों के अन्दर और अपने फौजी सामान बनाने वाले उद्योग धंधों के अन्दर भी और दूसरे कामों में भी हम विदेशी सलाहकारों की सलाह से जब काम करेंगे तो यह

अत्यन्त घातक होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें स्वदेशी प्रयोग सिखाया था। उस महान् व्यक्ति ने जीवन भर स्वदेशी खद्दर और दूसरी देशीय चीजों के इस्तेमाल के लिये ही उपदेश दिया और यही कहते कहते उनका प्राणान्त हो गया। इस विषय पर हमेशा उनको मानने वाले और उनके अनुयायी होने का दम भरने वाले लोग आज सरकारी बेंचों पर बैठे हुये हैं। वे विदेशी चीजों का इस्तेमाल करें, विदेशी टेकनिकल एक्सपर्ट्स और विदेशी एडवाइस और विदेशी सामान मंगाकर अपने यहां ट्यूबवेल्स इत्यादि विकास योजनायें चलायें, तो मैं समझता हूं कि अन्त में जाकर इससे राष्ट्र का अधिक नुकसान ही होगा और हम विदेशी पंजे में जकड़ दिये जायंगे। अमरीकी जंगखोरों की कोई टेकनिकल एड या उनकी कोई भी, किसी प्रकार की सहायता बिना किसी मतलब के नहीं होती। वह इतने भोले भाले नहीं हैं। उनका मंशा सारी दुनिया को एक नयी दास्तान में बांधने का है। वे इतने भोले भाले नहीं हैं कि बिना किसी मतलब के वे हमारे देश को आर्थिक एवं टेकनिकल सहायता दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोहम्मद अली ने अभी हाल में जिक्र किया था कि एकनामिक एड भी आज की दुनिया में मिलिट्री एड के समान ही है। यह एक चुनौती और थप्पड़ है। सरकार को मानना चाहिये कि एकोनामिक एड भी एक तरह ही मिलिट्री एड है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर भी सरकार विशेष ध्यान देगी।

जहां तक टैक्शेशन का प्रश्न है उस पर इस हाउस में कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये हैं। टैक्स लेना, मैं भी महसूस करता हूं और हम सब इस सदन में इस विषय पर एक राय होंगे, अनुचित नहीं है और कोई भी सरकार बिना टैक्स के नहीं चल सकती है, लेकिन टैक्स लेने की एक पद्धति होनी चाहिये। जिस रफ्तार से जनता की आमदनी बढ़ती हो अगर उसी रफ्तार से सरकार टैक्स ले तब तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन जनता की आय घटती जाय तथा जनता की जिन्दगी का मापदण्ड गिरता जाय लेकिन टैक्स बढ़ता जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि कहां तक उचित है। यह परस्पर विरोधी स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोल टैक्स के डिफेन्स में उस पक्ष के बहुत से सदस्य बोले हैं, जो कुम्भ के अवसर पर लगाया गया था। मैं समझता हूं कि उस टैक्स के पीछे एक समझ थी। इनाकुलेशन यानी टीका लगाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई थी। सारे देश में लाखों आदमी कुम्भ के अवसर पर आयेंगे, वे कहीं कालरा के मर्ज में न फंस जायं इसी विचार से। अगर कुम्भ में कालरा फैलता तो वह संक्रामक रोग देश के कोने-कोने में फैल जाता जिससे लाखों आदमी मर जाते और कितने घर बरबाद हो जाते। उसकी एक अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था की गयी थी, लेकिन उस पर भी ये यन्त्रीगण नहीं जमे रह सके। अगर ये लोग एक अच्छी चीज करते भी हैं, अगर एक अच्छा कदम उठाते भी हैं, तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से पीछे हट जाते हैं। इनाकुलेशन जरूरी था और अगर जनता की बुनियादी भलाई के लिये कोई अच्छी चीज की जाय और उसका किसी सेक्शन की तरफ से विरोध भी हो, तब भी सरकार की उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। आज सरकार क्या चलाई जा रही है, बिल्कुल बनियापन किया जा रहा है। जो रेलवे की स्पेशल ट्रेनें शुरू से चलीं आ रही थीं वे खाली चल रही थीं, इसलिये रेलवे की आय बढ़ाने के लिये इनाकुलेशन बन्द कर दिया गया, ताकि ज्यादा आदमी आवें। अगर कहीं कालरा फैला होता तो लाखों आदमी मर गये होते, लेकिन इसकी परवाह नहीं है, परवाह तो इसकी है कि आमदनी बढ़नी चाहिये तो जो समझ उस रेलवे की आमदनी बढ़ाने के पीछे, या इनाकुलेशन को बन्द करने के पीछे थी, वही समझ टोल टैक्स लगाने के पीछे भी है। उसके पीछे कोई ऊंचे सिद्धान्त की बात नहीं है।

[श्री झारखंडे राय]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में एक दो बातें और कहना चाहता हूं। जहां तक पुलिस के इन्तजाम का प्रश्न है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई घटना चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी, उसके होते देर नहीं लगती, उसके अक्षर की रोशनाई अभी अखबारों में सूखती भी नहीं है कि देश के कोई न कोई कर्णधार या प्रान्त के कोई न कोई कर्णधार उसके विषय में अपनी राय दे करके अधिकारियों के दिल में उस घटना से जो डर पैदा हुआ रहता है, उसे खत्म कर देते हैं। कुम्भ के मेले में यही हुआ। वहां पर जो घटना घटी उस पर यहां वादविवाद हो चुका है और मैं भी अपने भाव प्रकट कर चुका हूं। इस घटना के कारण अधिकारियों के दिल में एक डर पैदा हो गया था कि इतनी बड़ी घटना हो गयी, पता नहीं सरकार क्या करेगी। लेकिन हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने, हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, हमारे मुख्य पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिये या अन्य प्रकार से अपने वक्तव्य अखबारों में प्रकाशित कराये और उसका नतीजा यह हुआ कि उस घटना से जो भय अधिकारियों के दिल में पैदा हो गया था वह बिलकुल खत्म हो गया और अब परमस्वतंत्र हो करके वे फिर वैसे ही घूम रहे हैं और आगे भी घूमेंगे। जब हमारे देश और प्रांत के कर्णधार अपनी भावनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर चुके हैं, तो उस इन्क्वायरी कमेटी का जो नतीजा होगा, वह हम सबको मालूम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गत ४ तारीख की एक घटना बतलाना चाहता हूं, जो कि इन्हीं सब बातों का नतीजा है। ३ तारीख को मुख्य दुर्घटना हुई। इलाहाबाद किले के नीचे एक हनुमान जी का मंदिर है। ४ तारीख को एक पुलिस कांस्टेबिल, जिसकी डिय़ूटी थी, जूता पहिने हुये उस मंदिर के उस स्थान पर पहुंच गया, जहां जूता पहिन कर लोग नहीं जाने पाते हैं। इसलिये पुजारी ने एतराज किया और उस पुलिस कांस्टेबिल से कुछ कहा सुनी हो गयी। उस वक्त वह चला गया और १५,२० पुलिस के आदमियों की पल्टन ले करके वहां पहुंचा और पुजारी को पकड़ ले गया। कोतवाली में ले जा करके उन सभों ने उसकी काफी मरम्मत की और उसको खूब पीट करके बांध के किनारे एक चौकी पर रख दिया। उन्होंने यह भी नहीं किया कि उसको मंदिर पहुंचा देते, या जेल पहुंचा देते या अस्पताल पहुंचा देते, उसको ऐसे ही बांध के किनारे छोड़ दिया। मंदिर के जो अधिकारी थे वे खोजते-खोजते पहुंचे और उससे मिले। फिर उसकी रिपोर्ट वगैरह हुई। ऐसी घटना क्यों हो सकी ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—किस आधार पर आप कह रहे हैं ?

श्री झारखंडे राय—मैं यह घटना अपनी जानकारी से कह रहा हूं। मैंने खुद इसकी शिकायत श्री उग्रह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इलाहाबाद और श्री बघेल, मेला एरिया मैजिस्ट्रेट से की। मेरे सामने मेरे साथ उन्होंने (श्री बघेल ने) इसकी जांच मंदिर में जा करके और कोतवाली में जा करके की। यह घटना बिलकुल सही है।

एक दूसरी घटना मैं अपने जिले के एक कांग्रेसमैन की बतलाता हूं। हमारे जिले के श्री रघुराज किशोर नारायण सिंह, सूरजपुर वाले से एक पुलिस वाला जरा सी बात पर उलझा हुआ था उस गड्ढे के पास, जिस गड्ढे में उस दिन बहुत सी मौतें हुयी थीं तीन तारीख को। अगर हम लोग न पहुंच गये होते, ऐन मौके पर, तो पुलिस वाले ने उनकी काफी मरम्मत भी कर दी होती, केवल इस बात के ऊपर की वह खड़े हो कर बुलडोजर से गत ७ तारीख की शाम को उस गड्ढे को पाटते हुये देख रहे थे और वह कह रहा था कि यहां न खड़े हो, भीड़ न लगाओ। तो इस तरह की जो घटनायें होती रहती हैं कांग्रेसजनों तक के साथ समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ, और हमारे पुलिसमैनों के जरिये यह क्यों होता है ? इसीलिये कि वह महसूस करते हैं कि हम कुछ भी करें हमारे पुलिस मिनिस्टर तो हमारे रक्षक हैं ही, उनकी रक्षा के रहते हुये हमें डरने की जरूरत क्या है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस

की लापरवाही की और बात कह करके मैं खत्म करूंगा। संभवतः ६ तारीख की शाम की बात है। दारागंज में पुल के नीचे जहां एन० ई० रेलवे ग्रांड ट्रंक रोड को क्रास करती हुई ऊपर से जाती है एक लाश पड़ी हुयी थी। पता नहीं कि कब वह निमोनिया या अधिक जाड़े से मर गया था। लिहाजा वह लाश काफी बदबू दे रही थी। उसकी रिपोर्ट मैंने शाम को दारागंज के थाने में की। सुबह जब मैं पहुंचा तब भी वह लाश वहीं की वहीं पड़ी हुई थी और बदबू और बढ़ गयी थी। फिर जाकर जब मैंने कहा तो एक कांस्टेबिल ने मुझको ४२० पढ़ानी चाही और टालना चाहा। लेकिन जब मैंने जोरदार तरीके से बात कही तब थानेदार साहब ने जरा जोर दे कर कहा, तब करीब दोपहर को वह लाश हटाई गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है, आपके जरिये सरकार से, कि इन विषयों के ऊपर वह गौर करे और विशेषकर अमेरिकन पेनेट्रेशन के बारे में और राजनीतिक बंदियों के प्रति व्यवहार के बारे में जरूर वह अपनी समझदारी दूरदर्शिता और उदार मनोवृत्ति का परिचय दे।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझ इस बात से विशेष प्रसन्नता हुई कि इस प्रांत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिलचस्पी इस बात में लेना आरम्भ कर दिया है कि जवाहर लाल जी के विरोधियों का पता लगायें और इस बात को देख कर संतोष होता है कि जब वे इस फिक्र में रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जवाहर लाल जी के समर्थकों की तादाद कम हो जाय। और इस विषय में मेरे दोस्त माननीय झारखंडे राय जी ने जो कहा कि अमरीकन प्रचार हो रहा है और वह तो केवल किसी एक अखबार के समाचार के आधार पर है

श्री झारखंडे राय---केवल वही नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल---तो मुझे इस बारे में तो केवल इतना ही कहना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसकी कोई दवा नहीं है। इस देश में कुछ लोगों को अमेरिकन फोबिया हो गया है और दिन के चौबिस घंटे, सोते जागते, खाते पीते, जितने गिलास पानी पीते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि कोई अमरीकन जन्तु तो नहीं है। जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है मैं केवल इतना ही आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर कोई यह समझता है कि अमरीकन इतने भोले भाले नहीं हैं कि बिना किसी मतलब के भारतवर्ष को या इस प्रांत को कोई सहायता देंगे तो भारतवासी भी इतने भोले भाले नहीं हैं कि कोई कुछ उन्हें देकर अपना मतलब सिद्ध करा लेगा। यह सरकार सतर्क है इन सभी मामलों में। केवल अमरीका से ही वह सतर्क नहीं है, सतर्क वह रूस से भी है और और देशों से भी है जो कि अपने साथियों को इस देश में छोड़ कर पंचमांगियों का काम कराते हैं। यह स्थान नहीं है कि इस पर वाद विवाद किया जाय। केवल इतना ही कर कर मैं चुप होना चाहता हूं कि समय आने पर इसको वक्त बतायेगा कि भारतवर्ष के इस शासकवर्ग को और भारतवासियों को न तो अमरीका और न रूस या दोनों मिल कर धोखा दे सकते हैं। और जहां तक राजनीतिक बंदियों का सम्बन्ध है, यह सरकार उनको विशेष स्थान देना चाहती है, मेरी समझ में देती है और देना भी चाहिये। लेकिन इस विषय पर कोई ऐसी सलाह किसी ऐसे देश से आये जिसके विचार में राजनीतिक बंदी कोई ऐसी चीज होती हो तो मुझे एक ताज्जुब होता है। अभी मेरे कई मित्र और साथियों ने मेरे खड़े होने से पहले मुझे बेरिया की याद दिलाई थी।

श्री झारखंडे राय---शेख अब्दुल्ला को भूल गये।

श्री रामनरेश शुक्ल---शेख अब्दुल्ला दुश्मन के देश जाना चाहते थे। वह वहां तक पहुंच नहीं पाये और बीच में ही उनको थाम लिया गया। बेरिया जैसे राजनीतिक बंदियों की पहचान जिन विचारों में न हो वे यहां के तथ्य और सत्य पर कोई टीका टिप्पणी कैसे करते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं तो उसका वजन ही क्या होगा? उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके

[श्री रामनरेश शुक्ल]

द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह कहना कि जैसे ही कोई घटना हो जाती है वैसे ही कोई अधिकारी, शासक या कर्णधार कर्मचारियों को सर्टीफिकेट देने लगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय यह तो ईमानदारी की एक बड़ी कसौटी है। जब कि कोई कर्णधार या शासक उस स्थान पर स्वयं रहता है जहां कि कोई घटना हुई हो तो वह केवल इसलिये रुका रहे कि जिससे अधिकारी को डर रहे या भयभीत रहें, उचित नहीं है। कर्णधार और शासक में इतनी हिम्मत होनी चाहिये कि वह किसी चीज को बिल्कुल साफ साफ कह दे और इस प्रांत के कर्णधार और शासक में इतनी हिम्मत है। यदि वह समझता है कि अमुक व्यक्ति ने गड़बड़ की है तो वह फौरन उसको सजा दे और यदि नहीं की है तो कोई दो बात कहना गैर मुनासिब नहीं है। किसी को भयभीत करने का गुर और मंत्र इस प्रांत की सरकार के पास नहीं है। इस प्रांत की सरकार तो प्रेम और सहयोग से चलती है। भयभीत करके शासन प्रणाली चलाना तो किसी और देश की बात है।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हर चीज को उसकी कसौटी पर कसना चाहिये। केवल इस बात को नहीं देखना चाहिये कि अपने देश के जो अंदरूनी मामले हैं उनको विदेशी राजनीति से संबंधित करके उनमें अपना कदम उठायें। मुझे आपके द्वारा केवल इतनी ही प्रार्थना करनी थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदानों के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मेरे दोस्तों ने जो हमारी पार्टी के उपनेता श्री रामनारायण त्रिपाठी और अन्य साथियों के वक्तव्यों की आलोचना की है, उसका जवाब दूंगा। श्री नवलकिशोर जी ने कहा है कि जनता सरकार का सहयोग नहीं करती है और बिना सहयोग के सरकार का काम अच्छा नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको अक्षरसः सत्य मानता हूं कि बिना जनता के सहयोग के सरकार का काम अच्छा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ सरकार को भी देखना चाहिये कि जनता हमारा सहयोग क्यों नहीं करती। उपाध्यक्ष महोदय, दो साल का मेरा इस सदन का अनुभव है कि सरकार द्वारा कुछ कानून कायदे ऐसे बनाये गये जोकि जन-हित के लिए थे लेकिन सरकार का कानून केवल काग़जों में ही रह जाता है, बाहर उसके विपरीत काम होता है।

जहां तक जमीन के बटवारे की बात हमारे पार्टी के लोग कहते हैं वहां सरकार ठीक उसके विपरीत काम करती है। मैं नहीं समझता हूं कि जमीन का बटवारा न करके धन का बटवारा न करके जो गलत गलत कानून—कायदे जनता के विरुद्ध बनते हैं उनको खत्म न करके सरकार जनता से यह उम्मीद करे कि वह सरकार के साथ सहयोग करे। यह नामुमकिन है।

माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने कहा है कि लोग, टैक्सों का विरोध करते हैं, पर बिना टैक्स के कैसे देश का काम चलेगा? यह बात सत्य है कि टैक्स लगने चाहिये और बिना टैक्स के प्रदेश का लाभ नहीं हो सकता, लेकिन टैक्सों के सम्बन्ध में हम लोगों का सरकारी बेंचों से मत-भेद है। हम नहीं चाहते हैं कि टैक्स न लगाया जाय, हम नहीं चाहते कि प्रदेश का उत्थान न हो। फर्क यह पड़ता है कि हम चाहते हैं कि गरीब जनता जो आज परेशान है और तबाह—हाल है, न रहने के लिए घर, न खाने के लिए अन्न, न कपड़ा, न शिक्षा, न दवा-दारू का इन्तजाम, ऐसे लोगों से टैक्स न वसूल किया जाय। हम चाहते हैं कि जो लोग लाखों रुपया माहवारी पैदा करते हैं, जिनके अरबों रुपये खज़ाने में भरे पड़े हैं उन लोगों से सरकार टैक्स वसूल करे और उसे जन-हित के काम में लगावे। लेकिन सरकार इसके विपरीत काम करती है। बड़े बड़े आदमियों पर टैक्स कम करती चली जा रही है और छोटे छोटे किसानों पर और छोटे छोटे दूकानदारों पर टैक्स लगा कर के यह दम भरना चाहती है कि सरकार को सहयोग जनता से मिले। यह नामुमकिन है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुम्भ की चर्चा करना तो व्यर्थ सा मालूम होता है इसलिये कि माननीय सीताराम शुक्ल ने यहां सदन में वक्तव्य दिया था कि सरकार को कुम्भ दुर्घटना

में अपनी गल्ती स्वीकार कर लेनी चाहिये। हमें उम्मीद हो गयी थी कि कम से कम माननीय शुक्ल जी के कहने के बाद सरकारी बेंच का कोई माननीय सदस्य फिर उसी बात को दोहराने की तकलीफ गवारा न फरमायेगा, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सरकारी बेंच के लोग उसी चीज पर तुले हुए हैं कि साहब हम ने तो बहुत अच्छा काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, कुम्भ मेले के सम्बन्ध में सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं। हमारे साथी नेता विरोधी दल जो यहां बैठे हुए हैं उन्होंने एक सवाल किया था कि विशिष्ट-जनों के लिए जो कैम्प बनाया गया था उसमें कौन कौन लोग थे। मैं फिर---माननीय उद्योग मंत्री बैठे हुए हैं सदन में---उनसे पूछूंगा और उन्हें बताना चाहिये कि विशिष्ट कैम्प म कौन कौन लोग थे? विशिष्ट कैम्प में सरकार के उपमंत्री और मंत्री लोग, जो गये हुए थे क्या उनका खर्चा सरकार की ओर से हुआ था या उन्होंने स्वयं बरदाश्त किया? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि जब वे लोग कुम्भ-स्नान करने की गरज से गए थे, तो सरकार की ओर से उनके स्नान के लिये क्या जरूरत थी रास्ते को रोकने की? तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार के लोग सरकार के इंतजाम के लिए वहां नहीं गये बल्कि उनके जाने से ही अकल्पित कांड हुआ कि सरकार के जो, कर्मचारी थे जो व्यवस्था करने वाले थे, सारे के सारे आदमी सरकार के मंत्रियों के ही इंतजाम में लग गये और उसी के फलस्वरूप यह सब हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आज कल के अखबारों में बहुत से बयान निकले हैं जिनमें स्वयंसेवक विभाग के हेड ने बयान दिया है कि हमने आठ-दस दिन मेले के शुरू होने के पहले सरकार को सूचित किया था कि जो गड्ढा है उस से नुकसान होने वाला है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

और भी बहुत सी चीजें हैं। लोग कहते हैं कि टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता? मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन जी इस सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं और देश की कांग्रेस के महान् नेता हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि जब श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने मेले की शुरुआत से पहले टंडन जी से कहा था कि टंडन जी, इस मेले का उद्घाटन कीजिये तो श्री टंडन जी ने यही जवाब दिया था कि गंगा स्नान पर जहां टैक्स लगाया जाता हो उस मेले का उद्घाटन मैं नहीं कर सकता। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि जो माननीय सदस्य सरकारी बेंचों पर बैठे हुये हैं, टंडन जी की इस बात का समर्थन करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि विरोधी पार्टी के लोग केवल विरोध करने के लिये खड़े होते हैं। दो साल का जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के सदस्य या और विरोधी पार्टियों के सदस्य या सरकारी बेंचों पर बैठे हुये कुछ सदस्य यदि कोई उचित सुझाव सरकार को देते हैं तो सरकार कभी उसे मानने के लिये तैयार नहीं होती है। कई ऐसे बिल आये हैं जिनका हमारी पार्टी के लोगों ने स्वागत किया है। यह बार बार कहना कि हम लोग विरोध ही करते हैं, यह उन्हीं लोगों को शोभा देता है जो कि उधर की बेंचों पर बैठे हुये हैं, हम लोगों को शोभा नहीं देता। हम लोग एक स्वस्थ विरोधी दल इस देश में बनाना चाहते हैं। हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को लेकर हम इस देश में एक स्वस्थ विरोधी दल कायम रखना चाहते हैं। माननीय देवदत्त मिश्र ने इस पर जोर दिया था कि हम आंख मूंदकर समर्थन नहीं कर सकते। वह देवदत्त जी ही आंख मूंदकर समर्थन कर सकते हैं, वह सरकार का साथ आंख मूंदकर दे सकते हैं, यहां दूसरी बात कहें और बाहर जाकर दूसरी बात कहें, यह उन्हीं को शोभा देता है, हम लोगों को शोभा नहीं देता।

इसके बाद अनुदानों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। अनुदान संख्या १६, १४ लाख ९२ हजार ७ सौ रुपये की मांग की गई। इस संबंध में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। इस अनुदान में थाने की हवालात का भी अनुदान है। उपाध्यक्ष महोदय, जब बड़ा बजट आयेगा उस समय मैं कहूंगा कि पुलिस की आज क्या हालत है लेकिन चूंकि थाने की हवालात का अनुदान है इसलिये कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में कई ऐसे थाने हैं, जहां पर गैर सरकारी भी काम

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

होते हैं। अभी मुझे आजमगढ़ जेल देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने देखा कि प्रतापसिंह और जमुना यादव चिरैयाकोट थाने में जो कि आजमगढ़ जिले में है, बांधकर ५ दिन रखे गये, खूब मारे गये और उन्हें खाने को नहीं दिया गया और सीधे जेलखाने में डाल दिया गया।इस तरह से हर जिले में जहां पर हमारे कांग्रेसी दोस्तों का सम्पर्क थाने से है या जनता से है, वह रोजमर्रा देखते होंगे। पंडित बजबिहारी मिश्र यहां पर पर बैठे हुये हैं। सुना है कि अहिरौला थाने के पुलिस कर्मचारियों ने कोयला गांव के कुछ लोगों को पकड़ कर थाने में ले जाकर उनको खूब मारा तथा रात भर थाने में रखा। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश और खासकर आजमगढ़ जिले की पुलिस जो इस तरह की हरकतें कर रही है, उसको रोकें।

इसके उपरांत शिक्षा का अनुदान आता है। शिक्षा के अनुदान के संबंध में सिर्फ ४०० रुपये की मांग रखी गई है। माननीय सम्पूर्णानन्द जी मौजूद नहीं हैं। जब वह शिक्षा मन्त्री थे तो उन्होंने सारे प्रदेश में स्कूल खोलने की एक बाढ़ सी पैदा कर दी और सारे गांवों में छोटे छोटे स्कूल खुल गये। सरकार ने फिर उनको जिला बोर्डों के सिपुर्द कर दिया और सारे स्कूल जिला बोर्डों को सिपुर्द करने के बाद धराशायी हो गये। सरकार की ओर से कहा गया था कि इस प्रकार से जो स्कूल बनेंगे उनको वह एक हजार रुपया सहायता देगी, लेकिन बोर्डों को सिपुर्द करने के बाद वह स्कूल धराशायी हो रहे हैं। सरकार की ओर से उनको एक पैसा भी सहायता नहीं दी जाती है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जितने स्कूल इस सरकार ने जिला बोर्डों के सिपुर्द किये हैं उनको एक एक हजार रुपये की सहायता मिले जिससे वहां की जनता उन स्कूलों को बना सके।

इसके अतिरिक्त एक लाख रुपये की सहायता आजमगढ़ जिला बोर्ड को दी गई है। पूर्वी जिले सूखे और बाढ़ के कारण कितने परेशान रहते हैं। यह सदन को ज्ञात है। अध्यापक जो बेचारे छोटी तनख्वाह वाले हैं, हड़तालें हुई, सत्याग्रह हुआ, हमारे नेता अध्यापकों के सत्याग्रह पर इस सदन में घसीटे गये, क्या क्या घटनायें घटीं लेकिन केवल ३२ लाख रुपये की सरकार द्वारा सहायता बोर्डों को दी गई है। मैं यह समझता हूं कि आजमगढ़ जिले के लिये एक लाख रुपये की सहायता दाल में नमक के बराबर है। एक लाख रुपया आजमगढ़ बोर्ड पर सरकार का कर्जा है। अगर वह कर्जा ही माफ हो जाता और दो एक लाख रुपया सरकार और दे देती तो जो स्कूल गिर रहे हैं उनको कुछ सहायता हो जाती और अध्यापकों के वेतन में भी सहायता हो जाती।

दुर्भिक्ष के संबंध में ज्यादा कहना नहीं चाहता। सरकार की ओर से इसमें कुछ सहायता वक्तन फवक्तन की जाती है, लेकिन जितनी सहायता की जानी चाहिये उतनी नहीं की जा रही है। केवल ९ लाख रुपया अब तक सरकार की ओर से समस्त प्रांत में जहां पर बाढ़ आयी सूखा पड़ा, खर्च किया गया है। इसमें सिर्फ दो लाख रुपये की मांग है। मैं जानता हूं कि इस प्रांत के हर एक जिला और खासकर पूर्वी जिले और आजमगढ़ में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर दस या बीस घर न गिरे हों। आजमगढ़ जिले के जिलाधीश ने ७ तारीख को मधुबन में तकावी बांटी। वह मजदूर और किसान जिनकी रोजी के लिये कोई साधन नहीं है, जो घर बिना पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं, कपड़े बिना तन नंगा रहता है, उनको दो दो तीन तीन रुपये की सहायता करके क्या दुर्भिक्ष रोकने का कोई तरीका है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रांत के पूर्वी जिलों में इधर बहुत बड़ा संकट आया जिसमें लाखों घर गिर गये। उसके लिये सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिये और गृहविहीन लोगों को घर बनाने के लिये सामान और तकावी देनी चाहिये

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने एलान किया था कि हम एक आदमी को भी भूख से मरने नहीं देंगे लेकिन अफसोस होता है कि उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। हजारों आदमियों ने सरकार के पास आवेदनपत्र दिये हैं कि हमको घर बनाने के लिये तकावी दी जाय। पर उन लोगों को नहीं दी गई।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, एक अनुदान है ४४। इसमें पूर्वी जिलों में छोटी छोटी योजनायें सिंचाई की बनाई गई हैं। मैं माननीय सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में भी एक छोटी सी स्कीम पचास साठ हजार रुपये की बनाई गई है। लेकिन जहां तक नलकूपों का सवाल है उससे हमें बड़ा दुख है। क्योंकि बनाने में कोई तरतीब नहीं है। सिर्फ १५० किलोवाट बिजली देने वाला पावर हाउस मऊ में अब तक तैयार किया गया है। इस बिजली से गाजीपुर आजमगढ़ और बलिया जो सदैव बाढ़ और सूखा से परेशान रहते हैं, उनकी सिंचाई का इन्तजाम कैसे किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त नागरिक निर्माण कार्यों में खर्च किये जाने वाले अनुदान की ओर जब मैं देखता हूं तो ध्यान मऊ और आजमगढ़ की म्युनिसिपैलिटियों की ओर चला जाता है जहां सदा पानी का अभाव रहता है। मंत्रियों के क्षेत्र के जो कस्बे हैं, उपमंत्रियों के क्षेत्र में जो कस्बे पड़ते हैं उनमें पानी के इन्तजाम के लिये सरकार वहां की म्युनिसिपैलिटियों को अनुदान देती है। लेकिन आजमगढ़ जिले का दुर्भाग्य है कि कोई मंत्री या उपमंत्री हो नहीं पाता है। आजमगढ़ में सबसे बड़ा कस्बा मऊ है जिसकी आबादी करीब ३० हजार के है। उपाध्यक्ष महोदय, शायद आप वहां न गये हों लेकिन माननीय हुकम सिंह जरूर तशरीफ ले गये होंगे। उस म्युनिसिपैलिटी की ओर से एक जनाना अस्पताल की नींव माननीय मुख्य मंत्री जी ने डाली थी। और मुख्य मंत्री जी ने एलान किया था कि सरकार इसमें आधी सहायता देगी लेकिन वह अस्पताल म्युनिसिपैलिटी की ओर से बनवाया जा रहा है और धन के अभाव में अधूरा पड़ा हुआ है। इसी तरह से मऊ में एक फिनिशिंग मशीन लगाई गई है जिसमें ४ लाख रुपया खर्च हो चुका है। मुझे उस कारखाने को देखने का मौका श्री श्रीनाथ एम० एल० ए० के साथ मिला है। उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। इमारतों का काम पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये अधिकतर होता है लेकिन वहां पर कुछ इमारतों का काम कर्मचारियों के जरिये कराया जा रहा है। ब्वायलर मशीन के लिये घर बनाने में, १, १ हजार रुपया खर्च हुआ पर मिट्टी से लुड़ाई होने के कारण बरसात में वे धराशायी हो गए हैं। ४ लाख रुपया खर्च करने पर भी वह कारखाना तीन साल से बेकार पड़ा हुआ है। बीसियों आदमी कारखाने में काम करने वाले हैं और उनकी तनख्वाह भी बाकी है। सरकार कहती है कि इन योजनाओं पर रुपया खर्च किया जा रहा है। उन्हीं योजनायें में से यह भी एक योजना है जिन पर खर्च होता है। बहुत से साथी बोलने वाले हैं। अतएव मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और उनकी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दुर्भिक्ष अनुदान में अधिक रुपया देना चाहिये और पूर्वी जिलों की तरफ सरकार का अधिक ध्यान होना चाहिये।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरक बजट जो पेश किया गया है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। यह बजट जीवन जाग्रति, प्रगति और विकास के बटवारे का बजट है और जिन लोगों को यह बटवारा पहुंचता है वह मेरी ओर से बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र प्रगति की राह पर हो और उसका जीवन सुखी हो। मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने। बड़ी बड़ी बातें इस सदन में कही गई। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि वे भाषण जो इस सदन में दिये गये, वे पार्टीज के दृष्टिकोण से दिये गये। मैं बतलाना चाहता हूं कि यह जो बजट है यह सरकार का बजट नहीं है, यह तो जनता का बजट है और जनता कम्युनिस्ट नहीं है, कांग्रेसी नहीं है और न सोशलिस्ट ही है। इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता कि बजट कांग्रेसी है या सोशलिस्ट है। इसलिये पार्टियों की बातें इस बजट के अवसर पर कहना मेरी समझ में कतई गलत है। हमें केवल एक ही चश्मे को पहन कर इस बजट का विश्लेषण करना चाहिये और हमें इस बजट को जनहित के चश्मे, विकास के चश्मे से देखना है कि इससे कहां तक जनहित और विकास का प्रश्न हल होता है। उसी के मुताबिक हमें इस सदन में भाषण देना चाहिये। मैं यह देखता हूं कि यह बजट बहुत ऊंचे पैमाने पर है। सरकार जो कुछ खर्च कर रही है उसके लिये मैं उसको बधाई देता हूं। लेकिन एक बात है कि अक्सर काम अधूरे रह जाते हैं जिनसे बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अधूरे कामों को पूरा करना नितांत आवश्यक है।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

देखता हूं कि जिलों के अन्दर जो अधूरे काम पड़े हुये हैं उनमें पब्लिक एक्सचेकर से लाखों रुपया खर्च किया जा चुका है, और उससे जनता का कोई हित नहीं होता और उस रुपये का कोई सदुपयोग नहीं हो पाता और न वह पब्लिक एक्सचेकर में ही रह पाता है, इस ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये।

मेरे जिले में बहुत से स्कूलों की इमारतें हैं जो रिपेयर न होने के कारण बरबाद होती चली जा रही हैं। लाखों और करोड़ों की यह जो सम्पत्ति है वह राष्ट्रीय सम्पत्ति है। अगर इस राष्ट्र की सम्पत्ति को न सम्भाला जाय तो यह महान् भूल है। इसी प्रकार से बहुत से कार्य हमारे जिले में चल रहे हैं और प्रांत के दूसरे जिलों में भी चल रहे हैं। मैंने बहुत से जिलों में देखा है कि वहां पर सारे काम अधूरे पड़े हैं। सरकार की एक और भूल हमको नजर आती है और वह यह है कि सरकार ने चारों तरफ हाथ फैला दिये हैं और बहुत से काम अपने हाथ में ले लिये हैं जिसका नतीजा यह है कि वे काम अधूरे पड़े हुये हैं। मैं समझता हूं कि एक काम को लेकर उसको पूरा करना ही बुद्धिमानी का काम है और सब कामों को शुरू करके उनको छोड़ देना और कार्य रूप में परिणित न करना कोई अक्ल की बात नहीं हो सकती है। मैं निहायत अदब के साथ सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि हमको इस बात को देखना है कि जो हमारी जरूरत आज है उसके मुताबिक इस बजट को पूरे तरीके से विश्लेषण किया जाना चाहिये ताकि जो रुपया कहीं पर बरबाद हो रहा हो वह बरबादी से बचाया जा सके और अपने प्रांत की जनता को और अपने स्टेट की जनता को आगे बढ़ाया जा सके।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं आपकी सेवा में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिकर किया कि ओरिजिनल बजट में रुपया कम रहता है और सप्लीमेंटरी बजट में उसका कई गुना कर दिया जाता है। इसमें शक नहीं है कि मैंने भी यह देखा है और मैं सरकार के साथ इस मत से सहमत नहीं हूं क्योंकि ओरिजिनल बजट में कई आइटम पूरे तरीके से नहीं आते हैं। जिस वक्त सरकार बजट को पास कर देती है तो उसके बाद वह पूरे आइटम आते हैं और उनके लिये रुपया सप्लीमेंटरी बजट में मांगकर पूरा किया जाता है। इसलिये शुरू में उनको नहीं दिखाया जाता है कि वह काम शुरू किया जा सके और बाद में उनके लिये रुपया मांग कर पूरा कर लिया जाय। इसलिये पहले सरकार से उनको छिपाया जाता है। पहले बहुत कम रुपया उन आइटम के लिये रखा जाता है ताकि उनको शुरू किया जा सके। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की नीति, हमारी सरकार की नीति सरकार के आदमियों की नीति बुद्धिमानी की द्योतक नहीं हो सकती। सही-सही बातें सरकार के बजट में पेश होनी चाहिये।

अब आगे चलकर मैं यह बताना चाहता हूं कि जो नीति हमने इस बजट में अख्तयार की है की है मैं समझता हूं कि उसका सारी जनता में प्रसार होना चाहिये। इस स्टेट का कोई भी नागरिक बजट की उस विकास की प्रगति के बटवारे से बंचित नहीं होना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि इस सदन में उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। इसलिये मैं आपसे यह इल्तिजा करूंगा कि मैंने बार बार इस सदन में आवाज उठायी है, और मैंने सरकार से दरख्वास्त की है कि सरकार हमारे जिले के ऊपर कुछ ध्यान दे। प्रान्त के सारे जिलों के लिये विद्युत प्रकाश का प्रबन्ध किया गया है और किया जा रहा है लेकिन पहाड़ी प्रदेश के लिये अभी तक उसके किसी कोने में बिजली की योजना का कोई भी रूप दिखाई नहीं देता है। चाहे कोई इर्रीगेशन की योजना हो या दूसरी किसी प्रकार की कोई योजना नजर नहीं आती है। हमारे यहां अलखनन्दा नदी के किनारे बहुत सा मैदान पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने बद्रीनारायण की यात्रा की होगी वह जानते होंगे कि वहां पर कितना विस्तृत मैदान पड़ा हुआ है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उस मैदान में अगर सिंचाई की व्यवस्था करदी जाय तो इसमें शक नहीं है कि वहां पर काफी गल्ला पैदा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा गूल के जो काम आगे बढ़ने चाहिये और पूरे होने चाहिये वह भी अभी तक नहीं हुये हैं। मैंने नहर विभाग को इस विषय में लिखा लेकिन वहां से

पता चला कि सरकार ने नहर के कर्मचारियों का अलाउन्स बन्द कर दिया है इसलिये उनका जाना वहां नहीं हो सका। मैं फिर सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह नहर विभाग को इस बात का अधिकार दे कि वहां पर जायें और गूल के नक़शे का मौका देखे। वहां पर कुछ भी स्कीम चालू की जा सकती है लेकिन वे लोग अभी तक उसका निरीक्षण करने के लिये नहीं गये हैं। हमारे माननीय मंत्री ने बड़ी कृपा की कि हमारे जिले में बहुत से अस्पताल खोले जिनकी इमारतें पूरी हो चुकी हैं और जिनकी कीमत १ लाख १९ हजार से कम नहीं है। वहां अस्पतालों में में कोई दवाइयां नहीं हैं और डाक्टर तो दूर, कम्पाउन्डर तक नहीं हैं। चूंकि इंसान नहीं रहते हैं उनमें, इसलिये वे खत्म हो जावेंगे और मैं चाहता हूं कि सरकार इसका उचित प्रबन्ध करे। यह बड़े दुख की बात है कि गढ़वाल जिले के अन्दर एक भी फीमेल डाक्टर नहीं है। हमारे मंत्री जी ने पौड़ी में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की दुर्दशा को देखा और उसकी रिपोर्ट जो उन्होंने वहां लिखी उस पर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया। वहां स्कूलों की व्यवस्था इतनी खराब है कि कर्णप्रयाग की बिल्डिंग गिरती जा रही है और कई विद्यार्थी उसमें दब कर खत्म हो जावेंगे। सरकार को बहुत जल्द इस तरफ क़दम उठाना चाहिये। सरकार ने स्कूल की जमीन भी सन् ४६ में एक्वायर करली और जमीनवालों को मुआविजा भी दे दिया। परन्तु सन् ४६ से अब तक उस स्कूल की बिल्डिंग का बजट हमारे बजट में आते हुये, वह बजट के अन्दर ही फंसा रह गया। इसी प्रकार पौड़ी के हायर सैकेंड्री स्कूल की इमारत नहीं बन पाई है और हालांकि उसके भी जमीन एक्वायर कर ली गई है। उसमें हमारी राष्ट्रीय वेल्थ की बड़ी हानि हो रही है। क्योंकि वहां बहुत सा अनाज पैदा हो सकता था। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि कब सरकार इसे बनाने का इरादा रखती है। हमारी फीमेल टीचर्स को बड़ी भारी तकलीफ है जिनके लिये वहां कोई क्वार्टर्स नहीं हैं। कोई भी अच्छा टीचर वहां जाना पसन्द नहीं करता। सरकार को इस ओर उचित कदम उठाना चाहिये।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक अनुदान के सिलसिले में मैंने उस तरफ के मित्रों की और इधर के मित्रों की तक़रीरें सुनीं। बहुत सी बातों से मुझे कुछ लाभ भी हुआ और आइन्दा भी मैं उनसे फायदा उठाने की चेष्टा करूंगा। मुझे एक बात की जरूर खुशी हुई कि किसी साहब ने यह नहीं कहा कि फलां आइटम के इखराजात नामुनासिब हैं। यह मेरे लिये साधारण सी संतोष की बात नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं की किसी को भी इस बजट में कोई खराबी नजर नहीं आयी।

सबसे पहले हमारे भाई झारखंडे राय जी ने कुछ बातें कहीं। उन्होंने कांग्रेस के साथ हमदर्दी जाहिर की, नेहरू जी के साथ उनको बड़ा दर्द पैदा हुआ। उनकी यह जानकारी हुई कि अमेरकनों के यहां पर आने की वजह से कांग्रेस की ताकत कमजोर हो जायगी और नेहरू जी को धक्का पहुंचेगा। बात से हमारे मित्र को बड़ी चोट पहुंची। क्यों न चोट पहुंचती आखिर तो वे पुराने साथी ही हैं। इधर हाल ही में गुमराह होकर दूसरी तरफ चले गये तो क्या? उनकी हमदर्दी कांग्रेस के साथ हमेशा रहेगी ही। एक बात हमारे दोस्त ने यह भी कही कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोग सब विदेशी बातों पर अमल करते हैं। विदेशी एडवाइस और विदेशी कैपीटल लेते हैं। यह बात कोई ऐसा शख्स कहता जो स्वदेशी का बड़ा भारी हामी होता तब तो उसका कुछ असर भी होता, लेकिन जिसकी सारी नीति विदेशी हो वह शख्स हमें शिक्षा दे और कहेकि कांग्रेस सरकार विदेशों से सहारा लेती है तो उसमें कोई तत्व नहीं हो सकता (तालियां और हंसी)।

मैं अपने दोस्त से बहुत कुछ उम्मीद रखता था लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कही कि इनौक्यूलेशन सरकार ने इस वजह से बन्द किया जिससे काफी लोग इलाहाबाद में आयें और उससे रेल की आमदनी में वृद्धि हो। जब इनौक्यूलेशन लगाया गया था तो बहुत से लोगों ने कहा कि यह सरकार ने बहुत बुरा किया, सरकार धर्म के मामले में भी दखलन्दाजी करती है। इसके बावजूद भी सरकार ने यह मुनासिब समझा कि वहां पर लोग महीनों रहेंगे, उनके लिये खतरा है, और कोई ऐपीडैमिक पैदा हो सकता है।

[श्री हुकुम सिंह]

जब वह खतरा दूर हो गया और दो तीन रोज की ही बात रह गयी तथा लोगों की यह मंशा मालुम हुई कि इनौक्यूलेशन बन्द कर दिया जाय तब यह देखकर कि अब खतरा भी कम है सरकार ने उसको बन्द कर दिया।

झारखंडे राय जी को किसी हद तक यह भी शिकायत है कि यह सरकार बनिया नीति से काम करती है। यदि बनिया नीति से काम नहीं करते हैं तब भी शिकायत होती है कि यह सरकार खर्चीली ज्यादा है और यदि हम काम करते हैं तो बनिये बनाये जाते हैं। किसी हालत में भी चैन नहीं है। और जब किसी हालत में भी चैन नहीं है तो हमें तो यह तय करना है कि जो सही समझा जाय वही किया जाय। अगर हवन करते हुये भी हाथ जलते हैं तो बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिये यह इनौक्यूलेशन केवल जनहित में ही बन्द किया गया था। श्री राम नारायण त्रिपाठी जी ने यह भी फरमाया कि एक मशीन आयी है। बड़ी मुश्किल की बात है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर दोनों तरफ कुछ न कुछ कहा जा सकता है। मशीन रखी जाय या न रखी जाय, या खाली दस्तकारी से ही काम किया जाय, मोटर रखी जाय या पैदल ही चला जाय, रेलगाड़ी से सफर किया जाय या पैदल ही चला जाय, या पालकी में चला जाय जिसमें १२ कहार लगते हैं, ताकि उससे अनएम्पलायमेंट न हो, या बैलगाड़ी में ही चला जाय, इस संबन्ध में मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन यह मशीन का युग है और जहां तक मुझे ख्याल है श्री झारखंडेराय जी ने ट्यूबवेल्स के बारे में कहा था कि इससे अनएम्पलायमेंट बढ़ जायगा। जिनकी सलाह आप लेते हैं जरा उनसे तो पूछिये कि इस संबंध में उनकी क्या राय है? वे तो मशीन ही मशीन चाहते हैं लेकिन आपको वहां ट्यूबवेल भी पसन्द नहीं है।

श्री झारखंडे राय---मैं अनएम्पलायमेंट को दूर करने का भी प्रबन्ध करते हैं।

श्री हुकुम सिंह---वहां खादी का कहां प्रचार, वहां स्वदेशी का कहां प्रचार? श्री झारखंडेराय जी जो आज खादी पहनते हैं वह भी पुराने संस्कार की वजह से ही पहनते हैं नहीं तो वह भी मलमल ही पहनते। मैं समझता हूं कि या तो वे उनके असली चेले नहीं हैं, अगर असली चेले हैं तो उनको उन्हीं का अनुगामी होना चाहिये, उन्हीं का अनुकरण करना चाहिये।

हमारे राजा साहब जगमनपुर और बालेन्दु शाह जी ने इलाहाबाद कुम्भ पर जो टैक्स लगा था उसके बारे में बड़ी शिकायत की लेकिन एक बात अपने राजा साहब की सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ कि मैं अधार्मिक हूं। उन्होंने अपने को बतलाया, मुझको नहीं।

राजा वीरेंद्र शाह---मैंने सरकार को बतलाया था।

श्री हुकुम सिंह---तो मुझे गलतफहमी हुई। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि महज इस प्रकार की टोका टिप्पणी कर देना कि कुम्भ मेले पर टैक्स लगाया गया या यह जजिया है या धर्म के ऊपर टैक्स है। आखिर टैक्स लगाया किस लिये गया, उसका मोटिव देखना चाहिये कि किस मतलब से वह टैक्स लगा। यह टैक्स लगा कर जो उससे आमदनी हुई उसको अगर वहीं के इन्तजामात में खर्च किया गया तो क्या बेजा टैक्स हुआ? क्या इस प्रकार का पिलग्रीम्स टैक्स कुम्भ मेले के अलावा अयोध्या में नहीं है मथुरा में गोलिक्षन है, बनारस में है, गढ़मुक्तेश्वर में है। मान लीजिये कि अगर तय हो जाय कि यह टैक्स नहीं लगना चाहिये तो इधर तो आप कहते हैं कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। अगर मेले का इन्तजाम इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को दे दिया जाता तो आखिर ५२ लाख रुपया वे कहां से खर्च करते? क्या इलाहाबाद की जनता इतना खर्च कर सकती थी? इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी की जितनी आमदनी है वह सब इसी में खर्च हो जाती। कहीं से कर्जा भी नहीं मिलेगा। तो मैं यह अर्ज करता हूं कि इन सब बातों को देख कर अगर मैनेजमेंट के लिये टैक्स लगाया गया तो इसमें कोई बेजा बात नहीं है। मुझे भी देहातों में जाने का मौका पड़ता है, सैकड़ों, हजारों आदमी मुझे भी मिले लेकिन किसी तीर्थ यात्री ने भी मुझसे यह शिकायत नहीं की सिवा राजा साहब के। शायद वे गये भी नहीं थे।

राजा वीरेंद्र शाह--चूंकि टैक्स लगा था इसीलिये मैं नहीं गया।

श्री हुकुम सिंह--उनको टैक्स न देने की भी शिकायत है। महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी तो गये भी थे लेकिन राजा वीरेंद्र शाह जी तो पालकी में बैठ कर यमुना में ही नहा आये। जब आपको ही टैक्स न देने की शिकायत है तो फिर जो लोग कि वहां गये थे उनको टैक्स देने की क्या शिकायत हो सकती है ?

राजा वीरेंद्र शाह--जनता से पूछिये कि वह क्या चाहती है ?

श्री हुकुम सिंह--जनता वही चाहती है जो किया गया।

हमारे भाई झारखंडे राय जी को एक शिकायत और है कि राजबन्दियों के लिये कोई स्पेशल क्लास नहीं है।

श्री झारखण्डे राय--मैं सुविधा की बात कहता हूं।

श्री हुकुम सिंह--सुविधा तो है जो डिजर्व करते हैं उनको हो जाती है। जो डिजर्व नहीं करते उनको नहीं है। यह पैरा २८० है मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं:--

"A convicted criminal may be recommended for the superior class if by social status, education and habit of life he has been accustomed to a superior mode of living, particularly his character, his antecedents and the nature of offence committed by him and motive by which the crime is committed justify superior class treatment."

तो यह प्राविजन तो है। हां, कोई मर्डर कर डाले या कोई वायलेंस करे और उसके लिये कहा जाय सुपीरियर क्लास में कर दिया जाय तो वह सम्भव नहीं है। इसमें यह सब बातें देखी जायंगी और जो डिजर्व करते हैं उनको सुपीरियर क्लास मिल जाता है। जो मुस्तहक हैं उनके ऐंटेसीडेंट वगैरह देखकर उनको सुविधा होनी चाहिये, लेकिन जो मुस्तहक नहीं हैं उनके लिये सुविधा मांगना कहां तक उचित है यह बात सोचने की है।

हमारे माननीय बालेन्दुशाह ने दौराने तकरीर में यह फरमाया था कि सप्लीमेंट्री डिमांड का यह दस्तूर अगर मिट जाय तो अच्छा है। सब एक बारगी आ जाय तो अच्छा है। हां, हो जाय तो बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा सम्भव नहीं है। अगर सम्भव होता तो आर्टिकिल २६७ की कांस्टीट्यूशन में जरूरत नहीं थी जिसमें कन्टीजेंसी का जिक्र है। यह बनाने वालों की दूरंदेशी है कि उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि इक्जैक्ट फीगर दे देना सम्भव नहीं है। हम उन लोगों की तारीफ करेंगे जो भविष्य का बिलकुल ठीक-ठीक निर्णय करें कि १५ रु० १३ आने ३ पाई इस मद में खर्च होगा वह दृष्टा कहलावेंगे, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती से इस तरफ कोई दृष्टा नहीं है।

राजा वीरेंद्र शाह--मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, श्रीमन् !

श्री हुकुम सिंह--सवालों का वक्त ११ बजे से होता है। (हंसी)।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मामूली बात नहीं है कि बिलकुल इक्जैक्ट फीगर दे दी जाय और जब ऐसा नहीं हो सकता तो सप्लीमेंट्री डिमांड का होना जरूरी है ?

राजा वीरेन्द्र शाह--तो क्या दो दो सप्लीमेंटरी हों ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां, दो दो नहीं बल्कि तीन, तीन क्योंकि जो बात प्रैक्टिकल वर्किंग में देखी जाय वह बाज वक्त ऐसी होती है कि पूरी फिगर नहीं आ सकती पहली सप्लीमेंट्री के ऊपर, तो क्या इंतजाम किया जाय ? जितनी फिगर ऐवैलेबुल है उनके ऊपर सप्लीमेंट्री डिमान्ड

[श्री हुकुम सिंह]

पास हो जाता है। उसके बाद जो आये उसके आधार पर दूसरा आया। तो ऐसी दिक्कतें बाज वक्त दरपेश आयीं। यह नहीं कि दीदो दानिश्ता सरकार ऐसा करना चाहती है कि टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाय, इससे हम को क्या फायदा ? ६ लाख अगर रखते हैं ८ लाख रख दें बात मुनासिब होगी। आप उसको देने से इन्कार न करते थोड़ी देर तकरीरें करके आप मुनासिब होता ही पास कर देते। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे रास्ते में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज होती है और उनको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते।

हमारे दोस्त बालेन्दु शाह जी ने एक बात और फरमाई कि आगे जब हमारा बजट आने वाल है तो इसे क्यों रखा ज रहा है। कोई ऐसी बात कही थी। और उनको खामोशी से मैं समझत हूं कि मैं ठीक कह रहा हूं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं। कि सप्लीमेंटरी डिमांड में करेंट ईयर की मदें हैं, आइंदा आने वाले १९५४-५५ की मदें नहीं है, लिहाजा वह इसमें शामिल तो नही हो सकता।

महाराजाकुमार बालेन्दुशाह---मुझे स्पष्टीकरण का अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं उससे मेरा मतलब यह था कि सरकार सप्लीमेंटरी बजट द्वारा नयी स्कीमें लाई है जो नये बजट में नहीं आयेंगी।

श्री हुकुम सिंह---हमारे दोस्त भी मुझसे इत्तफाक करते है कि यह बातें आने वाले बजट में नहीं आ सकती हैं, मैंने यह समझा है कि ऐसी सूरत में यह कहना कि इस वक्त सप्लीमेंटरी लाने की जरूरत नहीं थी वह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैं उस पर फिर सोचूंगा और अगर कोई गुन्जायश होगी तो आइन्दा उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। एक बात हमारे मित्र ने यह भी फरमाई थी कि जितनी नई स्कीमें हों वह बजट में ही शामिल हो जायें। हो जाना चाहिये, ठीक है। लेकिन अगर खुदा न खवास्ता आधे साल में या दौरान साल में आपने मुझसे कहा कि एक नई स्कीम यह भी चलाइये या राम सुन्दर पान्डेय जी ने कहा कि आजमगढ़ में काटेज इंडस्ट्रीज का स्कूल खोलिये तब हम क्या करेंगे ? तब इसके मानें यह हैं कि हम ६ महीने तक इन्तजार करें। इस लिये अगर कोई ऐसी बात की जरूरत आ पड़े और कोई स्कीम चलाई जा सके तो उसी के लिये कन्टीजेंसी फंड है जहाँ से रुपया मिल सकता है। इसलिये यह कहना कि सारी स्कीमें बजट में ही आ जानी चाहिये इस वसूल से मैं इत्तफाक नहीं करता। जिनको कि कोई प्रैक्टिकल तजुर्बा न हो वह भले ही ऐसी बात कहें लेकिन बहुत सी ऐसी बात हैं जैसे हैंडलूम के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार ने स्टेट सरकार को मदद देने के लिये कहा और एक नई स्कीम चलाने के लिये कहा जिससे कि हैंडलूम के काम को तरक्की दी जाय। इस दौरान साल में अगर हम बालेन्दु शाह जी की बात को मान लें तो फिर हम इस को अलमारी में बन्द कर दें। केन्द्रीय सरकार की इस तजवीज को जब हमारा नया बजट आवे तब खोलें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि दौरान साल में पैदा हो सकती हैं और उनका करना लाजिमी हो जाता है। इस लिये यह सम्भव नहीं है कि इस उसूल को मान लें कि सारी स्कीमें बजट में ही आ जायं।

हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने कई बातें कहीं। उनमें एक बात यह कही कि यह सरकार जो है वह मिल मालिकों की बड़ी हमदर्द रहती है और उनकी हमदर्द इस वजह से रहती है क्योंकि एलेक्शन में उनसे चंदा पा जाती है। कांग्रेस के लोग तो खर्चा करके एलेक्शन लड़ते हैं लेकिन वे बिला खर्चे के ही लड़ जाते हैं। उनका एक पैसा भी नहीं खर्च होता है। अगर होता है तो कहाँ से आता है ? यह जरा बतायें ? ऐसी बातें वे कह सकते हैं, उनको अख्तयार है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---मैंने अपने एलेक्शन में डेढ़ हजार रुपया खर्च किया था लेकिन आप का २५ हजार से कम नहीं खर्च हुआ होगा।

श्री हुकुम सिंह---मैंने भी अपने पास से खर्च किया था और दो मतबें खर्च किया।

हमारे मित्र ने यह फर्माया कि सरकार ने ऐरा शूगर फैक्टरी जो खीरी के जिले में है उसे कर्ज दे दिया। उन्होंने यह मिसाल दी इस बात को साबित करने के लिये कि मिल मालिकों के साथ सरकार की बड़ी हमदर्दी है। वह मिसाल इसके लिये नहीं है कि वह मिसाल तो इसलिये है कि किसानों के साथ सरकार को बड़ी हमदर्दी है। वह मिल चलता नहीं था जो पहले पुराने मालिक थे वे चला नहीं पाये, माली दिक्कतों की वजह से उन्होंने दूसरे के हाथ बेचा। जिसने खरीदा उसने ६ लाख रुपया कर्ज माँगा। सरकार ने तीन लाख रुपया उनको दिया और उनका मिल वगैरह सब मार्गेज करा लिया और पाँच फीसदी सूद अलग से रखा। तो सरकार ने यह कर्ज इस नियत से दिया कि वह मिल चले; वहाँ के जो गन्ना उत्पादक हैं जिनका हमारे मित्र बड़ा हमदर्द अपने को कहते हैं, उनका गन्ना कहाँ हम भेजते अगर वह मिल बन्द हो जाता ? तो इसलिये यह कर्ज दिया गया है कि वह मिल चले, वहाँ के लोग गन्ना बेचें और उससे फायदा उठायें।

एक बात हमारे मित्र ने और फर्माई कि यह सरकार गन्ना उत्पादकों की हड़ताल में बड़ी मदद कर रही है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---हड़ताल तोड़ने में।

श्री हुकुम सिंह---सरकार हड़ताल तोड़ने में मदद नहीं करती है वाइलेंस को खत्म करने की जरूर कोशिश करती है। अगर कोई हड़ताली वाइलेंस करेगा, तो यह सरकार खामोश नहीं रहेगी। ला ऐंड आर्डर मेंटेन करना इसका फर्ज है। मैं जानता हूं कि केन गोअर्स हड़ताल नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने जिले में देखा है और अभी मैं हाल में गया था। अभी शनिश्चर को मैं बाराबंकी की तरफ जा रहा था, तो चार पाँच आदमी कुछ गाड़ियों के सामने बैठ गये, वह टोपी दिये थे जब मैंने उनको देखा तो मैंने अपने झंडे पर कवर लगवा लिया और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैं भी पानी पीने के बहाने रुक गया। वह गाड़ी वाले यह कहते थे कि हम गन्ना ले जाना चाहते हैं हमारी लड़की का गौना है, हम इसको लाये हैं, तो अब हम इसको चूस लें, सुखा डालें या क्या करें, यही हुज्जत हो रही थी। फिर मैंने अपने झंडे का कवर हटवा दिया और वहाँ बैठा रहा। फिर वह गाड़ी वाले मेरे पास आये और कहने लगे कि हमको नहीं जाने देते हैं। इस पर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा माल है अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। फिर उन्होंने अपने बैलों के कन्धे पर जुआ रखा और गन्ना ले गये। इस तरीके से गन्ना रोका जाता है। गन्ने वाले कहते हैं कि गन्ना बेचेंगे और हड़ताल कराने वाले यह कहते हैं कि हम तुमको नहीं ले जाने देंगे। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आयी है कि उन गाड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है। वाइलेंस की रिपोर्टें आ रही हैं। ऐसी सूरत में सरकार खामोश कैसे बैठी रहेगी। अगर पीसफुली सब होता रहे तो हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर ला ऐंड आर्डर का सवाल आ जायगा तो सरकार इंटरवीन जरूर करेगी और अगर कोई सरकार इंटरवीन नहीं करती है तो उसको हट जाना चाहिये।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---यह बहादुरी लाक आउट के वक्त कहाँ चली जाती है?

श्री हुकुम सिंह---हम हर जगह कुछ न कुछ करते हैं। जहाँ तक हम टालरेट कर सकेंगे करेंगे, लेकिन जब बात हद से ज्यादा गुजर जायेगी तब हमें तजाउज करना ही पड़ेगा। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी भी कुछ फर्मायेंगे, लिहाजा मैं खत्म करता हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स का जो साधारण वाद-विवाद होता है यह कहाँ तक उपयोगी है, इसके बारे में शंका हो सकती है। जहाँ तक खास-खास माँगों का सम्बन्ध है, उनके बारे में सदन हर एक पर या

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

जहाँ आवश्यक समझे, अपना मत प्रकट करे, वह तो एक लाभदायक बात हो सकती है। परन्तु इन अनुदानों के सम्बन्ध में यह वाद-विवाद कुछ बहुत आगे नहीं ले जाता। मैं बराबर यहाँ हाजिर नहीं था जब कि यहाँ व्याख्यान हुये। परन्तु जो कुछ मैंने सुना या जो देखा उससे भी मैं यह समझता हूं कि इसमें कोई सिद्धान्त की ऐसी बात आती नहीं और जबकि बजट इतने नजदीक है और थोड़े दिनों में पेश होने वाला है तब फिर इससे बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं होती परन्तु हमारे नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि इसके लिये समय हो और जो कुछ भी कहा जाता है उससे हम तो जहाँ तक हो फायदा उठाना चाहते हैं। जो बातें यहाँ कही गईं वे इस तरह से कही गईं कि सप्लीमेंटरी डिमांड जो हैं वे आनी नहीं चाहिये और बजट पर ही कायम रहना चाहिये। यह बजट जहाँ तक अवस्था को देखते हुये बन सकता है उसको सारे साल की आय-व्यय के लिये बनाया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि उसमें आमदनी और खर्च जो होने वाला हो वह दिखलाया जाय। परन्तु हमारा बजट सालाना होता है और जिस तरह से हमारा काम होता है उसमें यह होता है कि यह बजट बना है, वह आपके सामने आयेगा, मार्च के महीने भर बल्कि अप्रैल के कुछ हिस्से तक उस बजट की चर्चा और बात चीत चलती है। उसके बाद फिर उसके मुताबिक कुछ अहकामात जारी होते हैं, फिर उसका कुछ काम होता है, फिर उसके बाद दूसरा बजट बनाने का समय आ जाता है क्योंकि कई हफ्तों तक विचार करके फिर कोई चीज यहाँ सामने आती है। इसलिये मैं समझता हूं कि हम लोगों को समझना चाहिये कि यथा संभव यत्न करते हुये भी जो हमारे यहाँ की शैली है उससे हमें जो जरूरी खर्चे जनहित के लिये करने हों उन्हें करने में संकोच नहीं करना चाहिये और उसके लिये जो सब लोगों के हित की बात हो उसे करना ही चाहिये। बाज जगहों में बहुत दिनों तक बजट बनाने में समय लगता है और फिर आता है। मैं जानता नहीं, यह समय भी नहीं है उसके लिये शायद हमारे बजट के जो नियम हैं उनमें कोई परिवर्तन करना हो तो वह दूसरी जगह की बात है, कम से कम इस समय उसके लिये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मगर जहाँ तक इन अनुपूरक अनुदानों का सम्बन्ध है इनमें दो तीन बातें खास कर आलोचना करने में कही गई हैं। एक तो इससे खर्च बहुत बढ़ जायगा। दूसरे यह कि बजट में जो खर्चा कूता गया है उस खर्चे के बढ़ने के कारण जो तखमीना पहले किया गया है वह बिलकुल बदल जायगा और बहुत बढ़ जायगा और उस बजट में जो अन्दाज किया गया उसके मुकाबिले में खर्चा बहुत ज्यादा होने से जो माली हालत है वह खराब हो जायगी। अब आप के सामने बजट तो आता ही होगा। हमारे ये अनुपूरक अनुदान जो आपके सामने आये हैं काफी बड़ी रकमों के हैं। इनमें कई करोड़ रुपये का खर्चा है। एक पहले आया और अब दूसरा आया। परन्तु इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि इनके कारण से हमारी माली हालत खराब नहीं हुई। जिस वक्त हमने बजट पेश किया और उसके बाद जो कुछ हमने खर्च किया और जिस ढंग से भी उसमें तब्दीली की, उसका नतीजा यह है कि हमारी माली हालत पहले से बुरी नहीं है, बल्कि हमने बहुत से अच्छे काम इस बीच में किये।

जो आपके सामने अनुदान रखे गये हैं वह कई करोड़ के हैं मगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि जब बजट आपके सामने आयेगा तो जितना कि इस साल के बजट में शुरू में तखमीना किया गया था कि इतना खर्च होगा उससे कम आपको मिलेगा, ज्यादा नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि इन अनुदानों को लाना या न लाना यह तो एक फारमल कार्यवाही एक तरह की है। असली चीज देखने और समझने की यह है कि हमने इन अनुपूरक अनुदानों के जरिये जो कुछ काम किया उससे अवस्था सुधरी और अगर उनको हम न करते तो बेहतर होती या किया तो बेहतर है। आप देखेंगे कि इन अनुपूरक अनुदानों में बहुत कम रुपया ऐसा जो है हमारे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हुआ है या पुलिस में तथा जुडीशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हुआ है। तमाम का तमाम रुपया डेवलपमेंट के कामों में खर्च हुआ है। इससे इरीगेशन और बिजली की स्कीमों में ज्यादा रुपया खर्च हुआ है और तकावी बांटने में ज्यादा रुपया खर्च हुआ है। प्रान्त की किसी ऐसी चीज में रुपया नहीं खर्च हुआ है जिससे कोई कहे कि आपने

जो यह सौ कुएं बनाये हैं अगर रुपया नहीं था तो इनको रोक देना चाहिये था और न बनाते, अगर कोई नहर बनाई तो न बनाते और सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स को न लाया जाता। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन के लिये यह तस्कीन और संतोष की बात होनी चाहिये कि इन अनुपूरक अनुदानों के जरिये हमारे प्रदेश की अवस्था साल भर के बीच में बहुत ज्यादा बेहतर बन गई जितनी कि अगर हम बजट पर ही कायम रहते तो न हो पाती।

इसलिये जो अनुपूरक अनुदान विकास के कामों के लिये किये जाते हैं उनमें कभी भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिये। सरकार के लिये दिक्कत हो सकती है रुपयों के पाने की, मगर वह रुपये का कहीं से प्रबन्ध कर सके, अगर किफायतशारी करके बचा सके और अन्य जगहों से लाकर ऐसा कर सके और वह प्रदेश में उसके विकास के कामों को तेजी से बढ़ा सके तो हमें बढ़ाना चाहिये। उसके लिये मेरी समझ में कोई दो मत इस सम्बन्ध में नहीं होने चाहियें कि जो अनुपूरक अनुदान इसलिये दिये जाते हैं कि उनसे विकास का काम हो और यह हमारे प्रदेश के हित की बात है और वह आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी बात है। इस खर्च से जनता की अवस्था सुधरती है और इससे आमदनी बढ़ सकती है और एक तरह से वह एक ऐसी चीज है कि जिसको एक दिन के लिये भी रोकना नहीं चाहिये। अगर इस बात की गुंजाइश है कि हम कल १०० मील की कोई सड़क खोल सकते हैं और रुपया पा सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसको अगले साल के लिये रोकें। इसलिये कि हमने बजट में नहीं रखा था, बल्कि सदन को हमारी इस कार्यवाही के लिये हमारी हिम्मत बढ़ानी चाहिये कि बजट में न होते हुये तुमने इतना अच्छा काम करने की कोशिश और कामयाबी हासिल की।

आप देखेंगे कि जितने अनुपूरक अनुदान हैं थोड़ों को छोड़कर करोड़ों रुपये की रकम को सारे प्रदेश की माली और सांस्कृतिक हालत सुधारने में लगाया गया और इससे लाखों आदमियों को कुछ न कुछ आराम पहुंचा। ऐसे काम को करने में नुकसान की क्या बात है? और उसको खास कर इस तरह से कर पाये कि हमारी माली हालत बदतर होने के बदले थोड़ी सी सुधरी तब तो हमको क्रेडिड होना चाहिये और सदन को यह कहना चाहिये कि गवर्नमेंट ने जो काम किया है वह अगर सराहना का नहीं है तो कम से कम ऐसा नहीं है कि जिससे इस काम के लिये कोई अलोचना ऐसी की जाय कि ऐसे काम को रोका जाय।

आप देखेंगे, काफी रुपया, जैसा मैंने कहा, इरिगेशन के लिये, एलेक्ट्रिसिटी स्कीम के लिए, कालोनाइजेशन के लिए, इन बातों के लिए आया है। काफी रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और ऐसे कामों के लिए जैसा कि अध्यापकों की बहुत सी दिक्कतें थीं उनको खत्म करने की कोशिश की गयी है। आप देखेंगे कि इसमें रुपया काफी नये औद्योगिक योजनाओं को, इंडस्ट्रियल स्कीम्स को लागू करने के लिए काम में लाया गया, जिनके द्वारा हम बेकारी को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं और जिनके करने से हमारी उत्पादन की शक्ति बढ़ सकती है। इसलिए निरन्तर हमारा यत्न रहा है और रहता है कि हम ऐसी योजनाओं को बराबर देखते रहें, बनाते रहें, जांचते रहें और जैसे भी हमें इसके लिए साधन और सामाग्री मिल सके उसके मिलने पर उसे लागू करें। यह हमारा सबसे बड़ा सिद्धान्त है और मैं यह भी चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि आज हम एक वेलफेयर स्टेट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यह कोशिश है कि हमारे देश की आर्थिक अवस्था सुधरे, उस हमारे मकसद और आदर्श को सबने माना है। सभी लोग चाहते हैं कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो उसे सहयोग देना चाहिये। उस वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए, इस विकास और रचना के काम के लिए जो कुछ भी नयी नयी स्कीमें करनी हों वह करनी चाहिये और इसलिए कि वह बजट में नहीं थीं अगर कोई स्कीम साउंड हो तो उसे छोड़ देना गलत बात है। उसका हमें उपयोग करना है, उससे हमें लाभ उठाना है, और उससे हमें आगे बढ़ना है।

इसके अलावा इसमें कई चीजें प्लानिंग और योजना के सम्बन्ध में हैं जिनमें रुपया सीधे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है। लोग यह तो कह सकते हैं कि आप फिजूलखर्ची इस तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि रुपये का फायदा लोगों को नहीं पहुंच रहा है इसमें न कीजिये मगर जो काम फायदेमन्द

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

हो तो उसके लिए हम पैसा भी लगावें और अनुपूरक अनुदान पेश करके बजट को डांवा-डोल भी न होने दें, तब तो वह बड़ी अच्छी बात है और उससे बढ़कर कोई चीज हो नहीं सकती। कोई स्टेट जो डेवलपमेंट के काम में लगी हुई है और वेलफेयर स्टेट बनना चाहती है उसको अपने बजट में समय-समय पर परिवर्तन विकास के काम में करना पड़ेगा और उसे सप्लीमेंट्री डिमांड्स लाने होंगे। हम बराबर कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी कोशिश कर रहे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी योजनाओं के लिए हमें पैसा मिले कुछ हम जनता से लें, कुछ हम वालंटरी तरीके पर लें, कुछ करजे से पा सकें तो उसे भी हासिल करें। बजट में हम बहुत सी स्कीमों को नहीं रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस समय बजट रखना हो उस समय हमारे पास साधन न हों, लेकिन बजट पास हो जाय और साधन हो जाय तो हम उस काम को जरूर करेंगे। हम उसको इसलिये नहीं छोड़ेंगे कि यह हमने बजट में पहले नहीं रखा था और मैं नहीं समझता कि इसमें सदन को कोई शिकायत या आपत्ति हो सकती है। जगम्मनपुर में सड़क बनाने की मांग बजट में नहीं है और इसके बाद अगर हम अनुपूरक अनुदान के जरिये एक सड़क जगम्मनपुर में बना दें तो मैं नहीं समझता कि कोई शिकायत उन्हें होगी। वह तो यह कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात थी, बजट में नहीं थी तो क्या हुआ, हमारे यहां तो बड़ा आराम हो गया। इसके अलावा भी दूसरे लोग यह चाहेंगे कि हमारे यहां भी वैसा ही होता। जहां इतना सूखा था वहां कुएं बना दिये, यहां इन्तजाम सिंचाई का नहीं था अब नहरें निकाल दीं, नये नये पब्लिक हेल्थ के काम हो गये, यूनिट्स कायम हो गये तो सिद्धान्त की बात तो यह है कि फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिये, परन्तु रचनात्मक काम करने के लिये जहां से भी गुंजाइश निकल सके उसे निकाल कर उस काम को करने में कोताही और देर न होनी चाहिये। आज सदन के सभी सदस्य उतावले हैं और मैं भी उतावला हूं और उनके उतावलेपन की कद्र करता हूं कि हम जल्द से अपने देश की कमियों को दूर करें, हम अच्छी सड़कें बनावें, अच्छी नहरें बनावें, खेती में सुधार करें। आप देखेंगे कि इसमें काफी रकम खेती के लिये है। जितनी चीजें हैं वह ऐसी हैं कि जो रचनात्मक कार्य हैं, जो नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स कहे जाते हैं उनमें सारा रुपया खर्च होगा। तो ऐसी हालत में क्या शिकायत की बात इसमें हो सकती है? यह राय हो सकती है कभी कि साहब यह कुआं इस गांव में न बनता, दूसरे में बनता या उनकी कांस्टीच्युएंसी में बन गया, हमारी कांस्टीच्युएंसी में बनता तो अच्छा था। खैर इस किस्म के सवाल हो सकते थे, मगर यह कि उस कुएं का बनना बुरा है यह तो नहीं कहा जा सकता और इसमें जो कुछ आज रुपये हैं वह तो कामर्शियल परपजेज के लिए हैं, जो सिर्फ ऐसे हैं कि रुपया इस काम में लगाया जायगा और फिर यह रुपया वापस आ जायगा, जैसे पावर अल्कोहल आज बना तो उसके लिये आज रुपया लिया, ताकि हम खरीद लें और उसको बेचें। उसमें हमें फायदा भी है। इसी तरह से और भी कुछ मदें हैं। फारेस्ट के जो काम हैं वह बहुत कुछ डेवलपमेंटल ऐक्टिविटीज हैं और फारेस्ट की आमदनी शायद जितनी हमने कूती हो उससे कम न हो कुछ ज्यादा हो। अगर ऐसी चीजों में ज्यादा आमदनी हो तो कुछ ज्यादा खर्चा भी पड़ जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जितनी भी मदें इसमें हैं, मैं तफसील से उसमें जाना नहीं चाहता, वह सब ऐसी हैं कि जिनके लिए आज अनुपूरक अनुदानों का लाना एक इस बात का प्रदर्शक है, इस बात को बतलाता है कि हमारा देश अपनी तरफ से जहां तक संम्भव है और यह शासन जो कर रहा है, वह इसको प्रगति बढ़ा रहा है और आगे बढ़ा रहा है और इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो देश की बनाने वाली बातें हैं, उनको जल्द से जल्द किया जाय और जिस वक्त हमने बजट दिया उस वक्त जितनी हमने उम्मीद की थी उससे ज्यादा अगर दिखलाया तो बुरी बात क्या है? इसमें शिकायत क्या है अगर कोई आदमी कहे कि हम सौ मन पैदा करेंगे और डेढ़ सौ मन पैदा कर दे तो जिसका खेत है उसको बुरा क्यों लगता है? वह तो अच्छा ही लगना चाहिये। इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगा, कोई नई चीज लोगों से ली नहीं गई, पुरानी बातों से ही काम लिया गया और उसी से ही करोड़ों रुपया ज्यादा खर्च किया गया। करीब-करीब बिलकुल विकास के कामों में जिससे इस कि प्रदेश की आमदनी बढ़े,

लोगों की बेकारी कुछ हद तक कम हो और आगे के लिये अच्छे कामों के लिये और रास्ता बने जिससे कि कुछ काम और हो सके। इसलिये कोई सिद्धान्त के विरुद्ध बात नहीं है बल्कि सिद्धान्त के अनुकूल है और इस सिद्धान्त को हमें मानना चाहिये कि जनहित के जो भी कार्य हो सकें उनके लिये अगर हम आर्थिक साधन पेश करते हैं और ले सकते हैं तो जल्द से जल्द होने चाहिये वह बजट में हो या न हो। इसलिये इसके लिये मैं आशा करता हूं कि इस सदन को कोई असंतोष न होकर संतोष ही होगा कि इस तरीके पर यह अनुदान लाये गये हैं। कुछ बातें और कही गयीं, एक तो यह कि धर्म पर टैक्स लगाया गया। किसी साहब ने मैं नहीं जानता कि आज कहा या नहीं, लेकिन उस दिन कहा था कि जजिया लगाया गया। मैं जानता नहीं कि जजिया किस तरह से लगता था उसकी जानकारी लोगों को है या नहीं, परन्तु इस तरह की बातों का कहना एक गैर जिम्मेदारी की बात है और वह कम से कम जो भी लोग एक प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी रखते हैं, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। असल में यह तो जिन पर टैक्स लगता था हिन्दू या मुसलमान, सिक्ख या ईसाई कोई भी हो सभी पर लगता था। किसी एक मजहब वाले पर नहीं लगता था। ऐसा नहीं था कि किसी एक को देना पड़े और दूसरे को न देना पड़े। इसको इस तरीके पर कहना कि जैसे किसी एक वर्ग पर लगता हो और दूसरे वर्ग पर न लगता हो यह गलत बात है।

दूसरे यह जो पिलग्रिम टैक्स लगा है यह अबकी ही नहीं लगा है। यह टैक्स हरिद्वार के कुम्भ में भी लगा था, वृन्दावन में भी लगा था, यह तो काशी और अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों में रोज ही लगता है। यह कोई हमारी शुरू की हुई चीज नहीं है। जो कोई रेल पर चढ़ता है उसको एक आने दो आने, चार आने या आठ आने जो वहाँ आते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। जिनको आज आजादी है बोलने की और जो आज कह सकते हैं वह पहले जमाने में जो कुछ बोलते थे वह यही बोलते थे कि उस जमाने की सरकार बहुत अच्छी थी उसकी तारीफ ही कौन कर सकता है। यह तो लाखों सरस्वती भी आ जायं फिर भी नहीं कर सकतीं। उन लोगों की राय से यह टैक्स लगा था। इसलिये यह कहना कि धर्म पर कोई टैक्स है, बिलकुल गलत बात है। किसी साहब ने पहले यह भी कहा था कि यह तो जो गवर्नमेंट ने जो मेले का इन्तजाम किया था वह इस गर्ज से किया था कि इससे फायदा उठायेंगे, वह शायद आज हैं नहीं। जिन्होंने कहा था कि उनका नाम हिन्दू महासभा कहा जाय मगर खर्चा तो हुआ करीब ५० लाख और पिलग्रिम टैक्स से पूरी आमदनी १० लाख से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है तो यह रोजगार बहुत अच्छा रहा कि ५० लाख खर्च करके १० लाख की आमदनी की जाय। १० लाख की आमदनी तो पहले समझी जाती थी शायद उससे कम ही हो। मुमकिन है कि ८, ७ या ६ ही लाख हो तो यह कहना बिलकुल गलत बात है।

दूसरी बात यहाँ यह कही गई कि मिल वालों की इस तरफ से मदद की जाती है और किसानों के खिलाफ किया जाता है। मैं समझता नहीं कि इस प्रकार अनर्गल और निर्मूल बातें कैसे कही जाती हैं। हमारी तरफ से कम से कम यह कोशिश की जाती है कि किसानों को जितना भी ज्यादा पैसा मिल सके उसे दिलाने की कोशिश करें। गवर्नमेंट आफ इंडिया से जितना मिल सकता है उतना दिलाया जाय। मिल वालों से भी जो कुछ दिला सकते हैं किसानों और मजदूरों को मजदूरों की मजदूरी और बोनस की शक्ल में वह दिलाने की कोशिश करते हैं। जितना बोनस आज यू० पी० में शुगर इंडस्ट्रीज में मिल रहा है उतना किसी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलता है और उसका श्रेय जो किसी को मिल सकता है तो जो आज हमारे श्रम मन्त्री हैं या गवर्नमेंट है अगर उसको न हो तो कम से कम जो लोग उसके विरोधी हैं उनको समझना चाहिये कि चाहे श्रेय वह ले लें लेकिन कम से कम मानें तो कि ऐसा हो रहा है। इसी तरह से गन्ने के मामले में जैसा कि मैंने पहले कहा अगर कोई आदमी गन्ना न ले जाना चाहे तो उसको पूरी आजादी है हालाँ कि मैं समझता हूं कि यह हानिकर बात होगी, गन्ना सूख जायगा, गरीब किसानों का नुक्सान होगा, परन्तु कोई जाकर बीच में लेट जाय और गाड़ी तुलने न दे या ऐसी ही और बातें करे तो उसके मानी यह हैं कि वह किसी काम को करने

[श्री गोविन्द बल्लभ पंत]

रोकता है इस लिये जो जबरदस्ती करना चाहते हैं जो लोगों को आजादी से काम करने से रोकते हैं जो किसानों के लिये हितकर नहीं और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धान्त के बिल्कुल खिलाफ है और जो ट्रेड यूनियन की पालसी असल होती है उसके भी खिलाफ है इसलिये मैं चाहता हूं कि जो लोग इस किस्म की कार्यवाही करते हों वह उसे छोड़ दें और उस स्ट्राइक को छोड़ दें। उसमें कोई चीज नहीं रहीं। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ नीति हमने इसमें बरती है वह इस सदन को हर तरह से रुचिकर और उचित प्रतीत होगी।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे बैठेंगे ।

(कुछ देर रुकने के बाद)

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—माफ कीजिये।

(माननीय अध्यक्ष फिर व्यास पीठ पर बैठ गये जब सदन में माननीय मुख्य मन्त्री कुछ सूचना देने के लिये खड़े हुये।)

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कल तो यही सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स होंगे। परसों के लिये स्वायल प्रिजर्वेशन बिल है और दूसरा पंचायत राज का आर्डिनेंस के बारे में छोटा सा बिल है। उसके बाद फिर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करना चाहें और कर सकें तो ठीक होगा और फ़ाइडे जो पहले नान-आफिशियल डे नहीं रहा था, नान-आफिशियल काम में आ सकता है, अगर लोग चाहें।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१६ फ़रवरी, १९५४ ।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, बिधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७६ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के उपबन्धों को कुछ प्रयोजन के निमित्त अनुपूरित करने का

विधेयक ।

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ उत्तर प्रदेश पंचायत-राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ द्वारा संशोधित हुआ था और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम का होना आवश्यक है।

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनपूरक) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) इसे २० जनवरी, १९५४ से प्रचलित समझा जायेगा ।

परिभाषा ।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में पद "गाँव पंचायत", "गाँव सभा" और "पंचायती अदालत" का तात्पर्य यू० १९४७ का यू० पी० पी० पंचाय राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन स्थापित क्रमशः "गाँव पंचायत", ऐक्ट, २६ । "गाँव सभा" और "पंचायती अदालत" से है ।

गाँव सभाओं के प्रेसीडेंट और वाइस-प्रेसीडेंट तथा गाँव पंचायतों के सदस्य तथा पंचायती अदालतों के पंचों और सरपंचों की पदावधि का बढ़ाना ।

३—किसी गाँव पंचायत के सदस्य तथा गाँव सभा के वाइस-प्रेसीडेंट अथवा प्रेसीडेंट तथा पंचायती अदालत के पंच अथवा सरपंच की, जो इस अधिनियम के आरम्भ पर उस रूप से पदग्रहण किये हों, पदावधि इस प्रकार अवधारित की जायगी मानो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११ की उपधारा (३) और धारा १२ की उपधारा (३) और धारा ४५ की उपधारा (१) में शब्द "five years" के स्थान पर शब्द "six years" रख दिये गये थे और छः वर्ष का कार्यकाल निर्दिष्ट करती हुई घोषणा उक्त धाराओं के अनुसार तथा अधीन यथोचित रूप से कर दी गयी हो ।

निवर्तन ।

४—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ एतद्द्वारा निरस्त (repealed) किया जाता है और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि यह उत्तर प्रदेश के किसी ऐक्ट (अधिनियम) द्वारा निरस्त ऐक्ट (अधिनियम) हो ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ विभिन्न गाँव सभाओं, गाँव पंचायतों और पंचायती अदालतों के विभिन्न पदों की अवधि विस्तार के लिये प्रचारित हुआ था। इस विधेयक द्वारा उक्त अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम बनाना है ।

विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था और पहली बार स्थापित पंचायती संस्थाओं की पदावधि समाप्त होने से पूर्व यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट में उक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिये संशोधन करने थे, इसलिये अध्यादेश प्रचारित करना आवश्यक था ।

राज्य सरकार शीघ्र ही विधान मंडल के समक्ष गाँव पंचायतों और पंचायती अदालतों के निर्माण कार्य और अधिकारों के संशोधन के लिये एक विधेयक उपस्थित करेगी। इन आगे किये जाने वाले परिवर्तनों को देखते हुये यह आवश्यक है कि वर्तमान संस्थाओं की पदावधि राज्य विधान मंडल द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों पर, विचार किये जाने तक जारी रखी जाय।

तदनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

मोहन लाल गौतम,
स्थानीय स्वशासन मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १३२ एल० ए०—१९५४—८५०।